

v/; k; -II

2. jkT; ds l koTtfud {ks= ds mi Øeka l s l Ecfu/kr fu'i knu yf{kki jh{kk

2.1 mRrj i ns k i koj VRUI fe'ku dkj i kjs ku fyfeVM dh fu'i knu yf{kki jh{kk

dk; bkj h l kj k' k

### प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) एवं राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के द्वारा प्रबन्धित किया जाता है। 31 मार्च 2007 को कम्पनी के पास 21,619 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) का पारेषण नेटवर्क एवं 276 एक्सट्रा हाई टेंशन उपकेन्द्र (एसएस) थे जो बढ़कर 31 मार्च 2012 को 25,064.90 सीकेएम लाइन एवं 53,338 मेगा वोल्ट एम्पियर (एमवीए) की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकेन्द्र हो गये। पारेषित ऊर्जा की मात्रा वर्ष 2007-08 में 51,472.14 मि.यू. से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 70,029.47 मि.यू. हो गयी।

### नियोजन एवं विकास

कम्पनी ने क्षमता वृद्धि एवं विस्तार हेतु वार्षिक योजना तैयार किया। उपकेन्द्रों एवं लाइनों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई क्योंकि पाँच वर्षों के दौरान 222 उपकेन्द्रों की नियोजित वृद्धि एवं 12,877 सीकेएम लाइनों के निर्माण के विरुद्ध केवल 81 उपकेन्द्रों एवं 3,445.90 सीकेएम लाइनों का निर्माण हुआ था। अल्पप्राप्ति का कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब था।

### परियोजना प्रबन्धन

कम्पनी अपनी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कर सकी जिसके कारण वर्ष 2007-12 के दौरान एक माह से 216 महीनों तक का समयाधिक्य एवं ₹ 105.02 करोड़ का लागत आधिक्य था। समयाधिक्य का कारण भूमि अधिग्रहण, रेलवे से अनुमोदन प्राप्त करने एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने आदि में विलम्ब था।

कम्पनी भार की आवश्यकता का आँकलन करने में विफल रही और अल्प क्षमता वाले दो उपकेन्द्रों का निर्माण किया। बाद में ₹ 13.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करके उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गयी।

### क्रय

कम्पनी ने दो प्रकरणों में अनुबन्ध के महत्वपूर्ण उपवाक्य को लागू न करके ₹ 4.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। अग्रतर, काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण कम्पनी ने ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

### परियोजनाओं का क्रियान्वयन

उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निर्माण का कार्य सामान्यतः खुली निविदा के माध्यम से टर्नकी के आधार पर दिया गया था। कम्पनी ने ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम के प्रतिकूल टर्नकी अनुबन्धों में ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति को शामिल करके, उच्च दरों पर अनुबन्ध प्रदान करके, निविदा को दो पैकेजों में

विभाजित करके एवं टावर डिजाइन का मानकीकरण न करने के कारण ₹ 158.78 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

कम्पनी ने दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के पर्यवेक्षण शुल्क की वसूली नहीं किया।

### पारेषण प्रणाली का निष्पादन

कम्पनी की सम्पूर्ण पारेषण क्षमता (अतिरिक्त हेतु 30 प्रतिशत छोड़कर), वर्ष 2007-08 को छोड़कर, प्रतिवर्ष आवश्यकता से अधिक थी। मानक के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर सुनिश्चित करने में कम्पनी विफल रही। चार परिमण्डलों में 255 पोषकों में से 68 पोषक 366 एम्पियर से अधिक भारित थे। 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों (49 एकल बस बार उपकेन्द्र एवं 18 उपकेन्द्र दो बस बार वाले) में से मात्र 18 उपकेन्द्रों में बस बार प्रोटेक्शन पैल थ्रे, जिनमें से केवल तीन कार्यशील अवस्था में थे।

### उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

कम्पनी ने 220 केवी के 5 उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के एक उपकेन्द्र में ट्रान्सफार्मरों की अनुमन्य अधिकतम क्षमता को पार किया था। न्यूनतम दो ट्रान्सफार्मरों के मानक के विरुद्ध कम्पनी के पास 220 केवी के चार उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के 48 उपकेन्द्रों में एकल ट्रान्सफार्मर थे।

### ग्रिड प्रबन्धन

357 उपकेन्द्रों एवं 9 जनरेटरों में से केवल 93 उपकेन्द्रों (26.05 प्रतिशत) एवं 9 जनरेटरों में रिमोट टर्मिनल युनिट की व्यवस्था थी। अग्रतर, ग्रिड मानक के उल्लंघन हेतु कम्पनी ने अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान नार्दर्न रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर से 120 (ए-टाइप), 107 (बी-टाइप) एवं 21 (सी-टाइप) संदेश प्राप्त किया। ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के कारण सीईआरसी द्वारा ₹ 9.10 करोड़ का अर्धदण्ड लगाया गया।

### वित्तीय प्रबन्धन

कम्पनी ने समस्त पाँच वर्षों में हानियाँ वहन की और निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान संचित हानियाँ ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। अग्रतर, उक्त अवधि के दौरान ऋण-इक्विटी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया।

### टैरिफ निर्धारण

कम्पनी द्वारा वार्षिक राजस्व आव यकता (एआरआर) वर्ष 2008-09 को छोड़कर निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर प्रस्तुत किया गया।

**सामग्री प्रबंधन**

निम्ने एक मण्डल के निर्णय के बावजूद कम्पनी ने वर्ष 2001 से पड़े हुए 51 क्षतिग्रस्त एवं अमितव्ययी ट्रान्सफार्मरों का निस्तारण नहीं किया। कम्पनी का अन्तिम स्टॉक 2007-08 में ₹ 290.17 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 606.51 करोड़ हो गया। अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के तुल्य था।

**निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ**

कम्पनी, नियोजित क्षमता वृद्धि को प्राप्त करने में विफल रही जिसने वृहद अल्पप्राप्ति दर्ज किया, समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के साथ परियोजनाओं को पूर्ण किया, उत्पादन योजना के साथ ऊर्जा निकासी प्रणाली के निर्माण में समन्वय स्थापित करने में विफल रही और विद्यमान पारेषण प्रणाली के माध्यम से ऊर्जा निकासी को प्रबंधित किया, बिना समुचित भार आव यकता का ऑकलन किये उपकेन्द्रों एवं लाइनों का निर्माण किया जो अल्प उपयोग्य थे, एकल ट्रान्सफार्मरों के साथ उपकेन्द्रों का निर्माण किया जो मैनुअल ऑफ ट्रान्समिशन प्लानिंग क्राइटेरिया के प्राक्धानों के प्रतिकूल था। वोल्टेज प्रबंधन प्रणाली ग्रिड संहिता में

निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी, ग्रिड अनुासन का अनुपालन नहीं किया गया था और कम्पनी के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय एवं आपदा प्रबंधन हेतु अवसंरचना नहीं थी।

हमने क्षमता वृद्धि हेतु वार्षिक योजना के क्रियान्वयन एवं यथा नियोजित परियोजनाओं को पूर्ण करने, उत्पादन प्रणाली से समन्वय स्थापित करते हुए ऊर्जा निकासी प्रणाली हेतु नियोजन करने, पारेषण नेटवर्क के प्रभावी कार्यान्वयन एवं रख-रखाव हेतु एमटीपीसी/बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने, पर्याप्त आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं उपकेन्द्रों एवं लाइनों की सुरक्षा हेतु संस्तुत प्रणाली की स्थापना करने, ग्रिड संहिता के अनुसार एसएलडीसी का रख-रखाव करने और ग्रिड की सुरक्षा हेतु रिअल टाइम आधार पर आस्टीयू के माध्यम से सभी जनरेटरों एवं उपकेन्द्रों को एसएलडीसी से संयोजन सुनिश्चित करने हेतु छः संस्तुतियाँ की हैं। ग्रिड अनुासन के उल्लंघन से बचने हेतु फ्रिक्वेंसी स्तर का अनुपालन किया जाना चाहिए।

**iLrkouk**

**2.1.1** सभी को वर्ष 2012 तक विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हेतु, भारत सरकार (जीओआई) ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) तैयार किया जिसमें उल्लिखित था कि देश हेतु मजबूत एवं एकीकृत ऊर्जा प्रणाली विकसित करने हेतु प्रभावी एवं समन्वय पूर्ण कार्यवाही के अतिरिक्त पारेषण प्रणाली में पर्याप्त एवं समय पर निवेश की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत साथ ही, केन्द्रीय/राज्य पारेषण उपक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं राज्य ग्रिड के विकास की आवश्यकता की भी पहचान की गयी। उत्तर प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन का कार्य उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित किया जाता है, जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समुचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबंधन एवं विद्युत के पारेषण हेतु अधिकृत है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस कम्पनी को 31 मई 2004 को उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापारी निगम लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था, जिसका 13 जुलाई 2006 को उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के रूप में पुनः नामकरण किया गया। यह ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिवेदित करती है।

**2.1.2** कम्पनी का प्रबंधन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यों से युक्त निदेशक मण्डल में सन्निहित है। दैनंदिन कार्यों का संचालन, निदेशक (संचालन), निदेशक (वर्क्स एवं प्रोजेक्ट्स), निदेशक (राजस्व), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशासन एवं मानव संसाधन) एवं कम्पनी सचिव की सहायता से प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया जाता है, जो कि कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्ष 2007-08 के दौरान, कम्पनी द्वारा 51,472.14 मि.यू. ऊर्जा पारेषित की गयी जो 2011-12 में बढ़कर 70,029.47 मि.यू. हो गयी अर्थात् 2007-12 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास 25,064.90 सीकेएम का पारेषण नेटवर्क एवं 53,338 एमवीए की स्थापित क्षमता के साथ 357 उपकेन्द्र (एसएस) थे, जो 220 केवी पर 1,55,266\* मि.यू. ऊर्जा वार्षिक रूप से पारेषित करने के लिए सक्षम थे। 2011-12 में कम्पनी का टर्नओवर ₹ 1,028.55 करोड़ था जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (₹ 6,87,836.28 करोड़) का 0.15 प्रतिशत था। इसके अन्तर्गत 31 मार्च 2012 को 5,852 कर्मचारी कार्यरत थे (स्वीकृत कार्मिक संख्या 11,393 के विरुद्ध 51 प्रतिशत)।

\* 19640 एमवीएX0.9X24X366 / 1000

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड<sup>४</sup> के अर्न्तगत अति उच्च टेंशन लाइनों एवं संयोजित उपकेन्द्रों पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समाहित की गयी थी। इस प्रतिवेदन पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा अप्रैल एवं जुलाई 2010 में विचार विमर्श किया गया। कोपू की संस्तुतियाँ अभी तक (फरवरी 2013) प्राप्त नहीं हुईं।

### यसूक्की जहक्क दक {क= , 0a i) fr

**2.1.3** फरवरी 2012 से अगस्त 2012 के दौरान सम्पादित वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी के वर्ष 2007-08 से 2011-12 के निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। लेखापरीक्षा जाँच में कम्पनी मुख्यालय के विभिन्न संभागों, राज्य लोड डिस्पैच सेन्टर (एसएलडीसी), मुख्य अभियन्ता की प्रमुखता वाले सभी चारों परिमण्डलों,<sup>५</sup> एवं अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता द्वारा नियंत्रित 137 लेखा इकाइयों में से 36 इकाइयों के अभिलेखों की जाँच सम्मिलित है।

कम्पनी ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 81 उपकेन्द्रों (एसएस) (क्षमता: 6,020 एमवीए) एवं 147 लाइनों (लम्बाई: 3,445.90 सीकेएम) का निर्माण किया एवं साथ ही विद्यमान पारेषण क्षमता में 11,063 एमवीए का विस्तार किया। इनमें से 39 उपकेन्द्र (क्षमता: 4,820 एमवीए) एवं 41 लाइनों (लम्बाई: 591.33 सीकेएम) की जाँच की गयी।

लेखांकन इकाइयों का चयन नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन की रैन्डम नम्बर टेबल का प्रयोग करके रैन्डम नम्बर के आधार पर किया गया और 137 लेखांकन इकाइयों में से 36 लेखांकन इकाइयों (26 प्रतिशत लगभग) का चयन, कम्पनी मुख्यालय के अभिलेखों के अतिरिक्त, परीक्षण जाँच हेतु किया गया।

लेखापरीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के अन्तर्गत सर्वोच्च प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों से अवगत कराना, मुख्यालय एवं चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा की गयी इकाइयों के पदाधिकारियों से अन्तर्सवाद करना, लेखापरीक्षा कसौटियों के सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन से विचार विमर्श करना एवं प्रबंधन/शासन को उनकी टिप्पणी हेतु ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत करना, सम्मिलित है।

### यसूक्की जहक्क मन्स ;

**2.1.4** निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह ज्ञात करना था कि क्या:

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना एवं उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी थी और नियोजन में विफलता के प्रभाव का आँकलन करना, यदि कोई हो;
- पारेषण प्रणाली मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से विकसित एवं संचालित की गयी थी;
- पारेषण प्रणाली का संचालन एवं रख-रखाव मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी ढंग से किया गया था;
- इसके संचालन को अनज्ञ अवरोधों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु आपदा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की गयी थी;
- प्रभावी विफलता विश्लेषण प्रणाली की स्थापना की गयी थी;

<sup>४</sup> पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के विभाजन के पश्चात् पारेषण संबंधी क्रियाकलाप, 31 मार्च 2007 तक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के पास थे।

<sup>५</sup> पारेषण पूर्व परिमण्डल, इलाहाबाद, पारेषण मध्य परिमण्डल, लखनऊ, पारेषण दक्षिण परिमण्डल, आगरा एवं पारेषण पश्चिम परिमण्डल, मेरठ।

- प्रभावी एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विद्यमान थी जिसमें समय पर देयक जारी करना एवं वसूली तथा टैरिफ में संशोधन हेतु समय पर सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तुत करने पर बल दिया गया हो;
- सामग्री क्रय हेतु कुशल एवं प्रभावी प्रणाली तथा स्कन्ध नियंत्रण तंत्र विद्यमान था;
- राष्ट्रीय ऊर्जा योजना (एनईपी) के समन्वय में कुशल एवं प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपाय किये गये थे एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना की गयी थी; और
- विद्यमान/चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने एवं कमियों को दूर करने के लिये सुधारात्मक उपाय करने हेतु अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान थी।

### यसूक्कि जहृक्क धह दल कव; क

**2.1.5** लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आँकलन करने हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा की कसौटियाँ अपनायी गयी:

- राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना एवं राष्ट्रीय टैरिफ नीति के प्रावधान;
- कम्पनी की परिप्रेक्ष्य योजना एवं परियोजना प्रतिवेदनों में निर्धारित मानक;
- मितव्ययिता, कुशलता, प्रभावशीलता एवं नैतिकता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में अनुबंध प्रदान करने हेतु निर्धारित मानक प्रक्रियायें;
- टैरिफ निर्धारण हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा, परिपत्रों के निर्देश/प्रावधान, मैनुअल एवं एमआईएस प्रतिवेदन;
- मैनुअल ऑफ ट्रान्समिशन प्लानिंग क्राइटेरिया (एमटीपीसी);
- कोडल प्राविजन्स ऑफ टेक्निकल इन्टरफेस (सीटीआई)/नियोजन, संचालन, संयोजन कोड सहित ग्रिड कोड;
- राज्य सरकार/ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) के निर्देश;
- यूपीईआरसी/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के मानक/दिशानिर्देश;
- पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर मुद्दों के विश्लेषण हेतु ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रतिवेदन;
- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा संस्तुत 'बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन' की संस्तुतियाँ; और
- रीजलन लोड डिस्पैच सेन्टर (आरएलडीसी) के प्रतिवेदन।


### इ क्जस्क.क इ फठ; क दक | फ्रक्लर ओ.कु

**2.1.6** विद्युत पारेषण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्यतः 132 केवी एवं इससे ऊपर, लम्बी दूरी तक समस्त ऊर्जा के स्थानान्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत संयंत्रों में सापेक्षतया निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण से पूर्व पारेषण में हानि कम करने एवं ग्रिड में कुशलता बढ़ाने हेतु, उच्च वोल्टेज ऊर्जा में उच्चीकृत किया जाता है। एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर पर उच्चीकृत करने/निम्नीकृत करने, विद्युत प्रणाली को संयोजित करने एवं प्रणाली के अन्दर एवं बाहर उपकरणों को बन्द करने हेतु उपकेन्द्रों की सुविधायें प्रयुक्त की जाती हैं। विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर उच्चीकरण हेतु स्थित पारेषण उपकेन्द्र लम्बी दूरी तक पारेषण के लिये वोल्टेज को बढ़ाने हेतु ट्रान्सफार्मरों का प्रयोग करते हैं।

पारेषण लाइनों द्वारा उच्च वोल्टेज विद्युत ऊर्जा का वहन किया जाता है। निम्नीकरण पारेषण उपकेन्द्र, तत्पश्चात् उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु वोल्टेज को उप-पारेषण

वोल्टेज स्तर तक कम करते हैं। विशिष्ट वोल्टेज पर विद्युत वितरण हेतु वितरण प्रणाली में लाइनें खम्भे ट्रांसफार्मर तथा अन्य उपकरण सम्मिलित हैं।

विद्युत ऊर्जा का संग्रहण नहीं हो सकता है; अतः विद्युत उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप अवश्य होना चाहिए। अतएव, माँग के ठीक सापेक्ष विद्युत उत्पादन में संतुलन सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पारेषण प्रणाली में व्यवस्थित नियंत्रण प्रणाली, जिसे ग्रिड प्रबन्धन कहते हैं, की आवश्यकता होती है। पारेषण प्रक्रिया का सचित्र प्रदर्शन निम्नवत है:



### यसूक्की जहक्क वकी फर; क

**2.1.7** हमने 27 मार्च 2012 को आयोजित इन्ट्री कान्फ्रेन्स के दौरान कम्पनी को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। तत्पश्चात्, अगस्त 2012 में कम्पनी एवं राज्य सरकार को लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रतिवेदित किया गया और 3 जनवरी 2013 को आयोजित एक्जिट कान्फ्रेन्स में उन पर विचार विमर्श किया गया। एक्जिट कान्फ्रेन्स में ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव, कम्पनी के निदेशक (वित्त), निदेशक (संचालन) एवं निदेशक (वर्क्स एवं प्रोजेक्ट्स) सम्मिलित हुए। कम्पनी के उत्तर प्राप्त हो गये थे जबकि शासन के उत्तर प्रतीक्षित थे। उनके द्वारा अभिव्यक्त विचारों को निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय दृष्टिगत रखा गया है। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

### fu; kst u , oa fodkl

#### राष्ट्रीय ऊर्जा नीति/योजना

**2.1.8** सभी संबंधित एजेन्सियों के साथ समन्वित राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित नेटवर्क के नियोजन एवं विकास की मुख्य जिम्मेदारी, केन्द्रीय पारेषण उपक्रम (सीटीयू) एवं राज्य पारेषण उपक्रमों पर है। दसवीं योजना के अन्त में (मार्च 2007) देश में 765/एचवीडीसी/400/230/220 केवी पर स्थापित 1.98 लाख सीकेएम पारेषण लाइनों से युक्त पारेषण नेटवर्क था जिसमें वृद्धि करके ग्यारहवीं योजना के अन्त में अर्थात् मार्च 2012 तक, 2.93 लाख सीकेएम तक वृद्धि करने की योजना थी। वर्ष 2006-07 के अन्त में 14,100 मे.वा. की अन्तः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का ऑकलन राष्ट्रीय विद्युत योजना में किया गया था एवं पुनः ग्यारहवीं योजना में 23,600 मे.वा. की वृद्धि की योजना बनाकर समग्र अन्तः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को 37,700 मे.वा. करना था।

इसी प्रकार, 2007-08 के प्रारम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत 36,255 एमवीए की पारेषण क्षमता से युक्त 276 अति उच्च/(ई.एच.टी.) टेंशन वाले उपकेन्द्र (एसएस) एवं 21,619 सीकेएम की ई.एच.टी. पारेषण लाइनें सम्मिलित थी। 31 मार्च 2012 को पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत 53,338 एमवीए की पारेषण क्षमता से युक्त 357 ई.एच.टी. उपकेन्द्र एवं 25,064.90 सी.के.एम. की ई.एच.टी. पारेषण लाइनें थीं।

राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली के नियोजन एवं विकास हेतु कम्पनी उत्तरदायी है। क्षमता वृद्धि के नियोजन हेतु माँग का आँकलन एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। कम्पनी ने पारेषण हेतु वार्षिक राज्य विद्युत योजना (एसईपी) तैयार किया और राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जिसे राज्य की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया।

i kj.sk.k u\odl , oa bl dk fodkl


2.1.9 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ई.एच.टी. स्तर पर कम्पनी की पारेषण क्षमता निम्न सारणी में दिया गया है:

Øe l ÷; k	fooj .k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	; ks
v- mi dlnh dh l ÷; k ¼ ÷; k e½							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	276	285	310	331	346	-
2	वर्ष हेतु नियोजित वृद्धि	33	25	24	79	61	222
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	09	25	21	15	11	81
4	वर्ष के अन्त में उपकेन्द्रों की संख्या (1+3)	285	310	331	346	357	
5	वृद्धि के विरुद्ध कमी (प्रतिशत) (2-3)	24 (73)	शून्य (शून्य)	03 (13)	64 (81)	50 (82)	141 (64)
c- VMI Qke½ {kerk ¼ eoh, ½							
1	वर्ष के प्रारम्भ में क्षमता	36255	38254	41717	44895	48984	
2	वर्ष के दौरान नियोजित वृद्धि/विस्तार	3980	5110	5283	18650	13530	46553
3	वर्ष के दौरान जोड़ी गयी क्षमता	1999	3463	3178	4089	4354	17083
4	वर्ष के अन्त में क्षमता (1+3)	38254	41717	44895	48984	53338	
5	वृद्धि/विस्तार के विरुद्ध कमी (प्रतिशत)	1981 (50)	1647 (32)	2105 (40)	14561 (78)	9176 (68)	29470 (63)
l - i kj.sk.k ykbus ¼ hds e½							
1	वर्ष के प्रारम्भ में	21619	22339	22956	23637	24474	
2	वर्ष हेतु नियोजित वृद्धि	1400	1596	1585	4090	4206	12877
3	वर्ष के दौरान वृद्धि	720	617	681	837	590.90	3445.90
4	वर्ष के अन्त में कुल लाइनें (1+3)	22339	22956	23637	24474	25064.90	
5	वृद्धि के विरुद्ध कमी (प्रतिशत) (2-3)	680 (49)	979 (61)	904 (57)	3253 (80)	3615.10 (86)	9431.10 (73)




निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता वृद्धि, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी इत्यादि का विवरण, i j f k 'V & 7 में दिया गया है।


जुं कृप= % मि दलन एा ओ) दस I कि सुं क देह धि i ढररक ¼ वदक एह



जुं कृप= % वृद्धि ओके कु (केर I फ़र दस एा देह धि i ढरर



जुं कृप= % यकबुका एा ओ) दस I कि सुं क देह एा क<रि गप I ढरर ¼ फदव फदेह एह



हमने पाया कि वार्षिक योजनायें एकाकी में तैयार की गयी थी और ऊर्जा की माँग एवं पूर्ति (उत्पादित क्षमता एवं क्रय ऊर्जा दोनों को सम्मिलित करते हुए) की प्रत्याशित वार्षिक वृद्धि से सह-संबंधित नहीं थीं। कम्पनी ने संबंधित वर्षों में वास्तव में निर्माणाधीन उपकेन्द्रों की संख्या एवं लाइनों को बिना ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान उपकेन्द्रों एवं सहयोजित लाइनों के सन्दर्भ में क्षमता वृद्धि हेतु योजना बनायी।

mi dlnhka ds fuekZk ea  
13 l s 82 ifr kr , oa  
ykbuka ds fuekZk ea 49  
l s 86 ifr kr dh deh  
gpa

हमने आगे देखा कि 222 ई.एच.टी. उपकेन्द्रों एवं 12,877 सीकेएम ई.एच.टी. लाइनों के लक्षित निर्माण के विरुद्ध, 81 ई.एच.टी. उपकेन्द्रों एवं 3,445.90 सीकेएम ई.एच.टी. लाइनों का निर्माण किया जिससे पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः 36 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत की लक्ष्य प्राप्ति हुई। 2011-12 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान 46,553 एमवीए की नियोजित वृद्धि के विरुद्ध 17,083 एमवीए की पारेषण क्षमता की ही वृद्धि हुई।

पाँच वर्षों के दौरान, उपकेन्द्रों में वृद्धि के लक्ष्य में 13 से 82 प्रतिशत (वर्ष 2008-09 को छोड़कर) के मध्य कमी हुई, ट्रान्सफार्मेशन क्षमता में 32 से 78 प्रतिशत, लाइनों की वृद्धि में 49 से 86 प्रतिशत के मध्य कमी रही।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि किसी वर्ष हेतु क्षमता वृद्धि के नियोजन का वास्तविक क्षमता वृद्धि से कोई सहसम्बन्ध नहीं था।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न क्षेत्रों में भार वृद्धि के आधार पर विस्तार हेतु योजना बनायी गयी थी और पारेषण सम्भाग, वितरण सम्भाग से नियमित रूप से अन्तर्संवाद स्थापित करता है। आगे यह भी कहा गया कि योजना प्रपत्र तैयार करते समय पूर्व-प्रवृत्ति एवं भावी आवश्यकता के आधार पर नये कार्यों की संख्या सम्मिलित की गयी थी किन्तु योजना प्रपत्र में सही योजना का समावेश नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना प्रपत्र, विद्युत उत्पादन योजना विद्युत क्रय सहित एवं वितरण आवश्यकता तथा पारेषण हेतु उपलब्ध ऊर्जा के साथ सम्बद्ध करते हुए, तैयार करना चाहिये।

### ikj sk.k izkkyh dk ifj; kstuk izdku

**2.1.10** पारेषण परियोजना के अन्तर्गत विचार से स्थापना तक की विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारेषण परियोजना की मुख्य प्रक्रियाएं (i) परियोजना का निर्धारण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण और (ii) अनुबन्ध प्रबंधन सहित परियोजना का क्रियान्वयन चरण। परियोजना की क्रियान्वयन अवधि में कमी लाने हेतु, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने पारेषण पर एक टास्क फोर्स का गठन (फरवरी 2005) निम्न को दृष्टिगत रखते हुए किया:

- पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर तत्वों का विश्लेषण करना,
- सीटीयू और एसटीयू की बेस्ट प्रैक्टिस से क्रियान्वयन, तथा
- 24 माह की अवधि के लिये मॉडल पारेषण परियोजना का सुझाव देना।

पारेषण प्रणाली को पूर्ण करने में गति लाने हेतु टास्क फोर्स ने (जुलाई 2005) निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियाँ की।

- सर्वेक्षण, डिजाइन एवं परीक्षण, वन विभाग से एवं अन्य वैधानिक अनापत्तियाँ प्राप्त करना तथा निविदा इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रारम्भिक क्रियाओं को अग्रिम में परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के समानान्तर सम्पन्न करना तथा पारेषण लाइन परियोजना की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त होने पर निर्णय-क्रियाएं सम्पन्न करना;
- पारेषण परियोजनाओं को स्पष्टतः परिभाषित पैकेजों में विभाजित करना ताकि पैकेज के क्रय एवं क्रियान्वयन में न्यूनतम समन्वय एवं अन्तः संबंध की आवश्यकता हो और साथ ही यह प्रतिस्पर्द्धा को भी आकृष्ट करे जिससे लागत प्रभावी क्रय हो सके; और
- टावर निर्माण की डिजाइन को मानकीकृत करना ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में 6 से 12 महीने के समय की बचत की जा सके।

टास्क फोर्स की संस्तुतियों से संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पायी गयी कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।



**समय एवं लागत-आधिक्य**

**2.1.11** हमने पाया कि टास्क फोर्स द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरूप पारेषण परियोजनाओं को पैकेजों में विभक्त किया गया था और कम्पनी ने इन पैकेजों को विभिन्न ठेकेदारों को आवंटित किया किन्तु सर्वेक्षण, डिजाइन एवं परीक्षण, वन विभाग से एवं अन्य वैधानिक अनापत्तियों हेतु प्रक्रिया शुरू करने तथा निविदा आदि से संबंधित विभिन्न प्रारम्भिक क्रियाओं को, अग्रिम में/परियोजना के मूल्यांकन एवं अनुमोदन स्तर के समानान्तर सम्पन्न नहीं किया जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में असामान्य विलम्ब हुआ। आगे यह देखा गया कि कम्पनी 2007-12 के दौरान विभिन्न उपकेन्द्रों एवं लाइनों को क्रियान्वयित करने में विफल रही, जिनका विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

क्र.सं.	ए.एस.एस. (सीकेएम)		ए.एस.एस. (सीकेएम)		लाइन		लाइन		कुल	
	संख्या	मूल्य (₹)	संख्या	मूल्य (₹)	संख्या	मूल्य (₹)	संख्या	मूल्य (₹)	संख्या	मूल्य (₹)
765	1	1 (1.9)	1	1 (1.9)	1	शून्य	10	शून्य	शून्य	शून्य
400	शून्य	शून्य (शून्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
220	19	25 (976)	10	9 (133.45)	9	9	3-78	9-78	22.11	20.89
132	61	121 (2468)	28	31 (455.98)	27	28	1-216	4-216	19.72	42.30
<b>कुल</b>	<b>81</b>	<b>147 (3445.9)</b>	<b>39</b>	<b>41 (591.33)</b>	<b>37</b>	<b>37</b>			<b>41.83</b>	<b>63.19</b>

स्रोत: कम्पनी की वार्षिक योजना तथा पूर्ण की गयी परियोजनाओं की स्थिति रिपोर्ट

उपर्युक्त से देखा जा सकेगा कि

37 mi dlnka , oa 41  
ykbuka ds fuek.k ea  
, d l s 216 eghuka  
ds foyEc ds i fj . kke  
Lk: lk ₹ 105.02  
dj kM+ dk ykx r  
vkf/kD; gq/kA

- लेखापरीक्षा में जाँच किये गये 39 उपकेन्द्रों में से 37 उपकेन्द्र (95 प्रतिशत) एक माह से 216 माह के समयाधिक्य से पूर्ण किये गये जिसकी वजह से ₹ 41.83 करोड़ का लागत आधिक्य हुआ।
- लेखापरीक्षा में जाँच की गयी 41 लाइनों में से 37 लाइनों (90 प्रतिशत), 4 माह से 216 माह के समयाधिक्य से पूर्ण की गयी जिसकी वजह से ₹ 63.19 करोड़ का लागत आधिक्य हुआ।

समयाधिक्य एवं लागत आधिक्य के मुख्य कारण, जिनका हमारे द्वारा विश्लेषण किया गया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, सामग्री के आवंटन में धीमी प्रगति, सिविल एवं पारेषण संभाग में समन्वय का अभाव, साइट का हस्तान्तरण, राइट ऑफ वे (आरओडब्लू) सम्बन्धित समस्याएँ, पर्यावरण मंत्रालय एवं वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब एवं कार्यों को पूर्ण करने में ठेकेदारों द्वारा विलम्ब आदि थे, जिनका विवरण i jf k'V&8 एवं 9 में दिया गया है।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी के पास पहले से उपलब्ध डिजाइन/ड्राइंग के आधार पर सामान्यतः निर्माण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था। नयी डिजाइन के विकास की तभी आवश्यकता थी जबकि विद्यमान डिजाइन/ड्राइंग के द्वारा परियोजना की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। पारेषण कार्य अनुमोदन समिति (टीडब्ल्यूसी) द्वारा परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् तत्काल निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। पारेषण लाइनों के प्रकरण में, वन, सड़क रेलवे एवं रिवर-क्रासिंग इत्यादि की प्रक्रिया, मितव्ययी मार्ग के निर्धारण, विस्तृत सर्वेक्षण एवं लाइन प्रोफाइल के प्रस्ताव ही प्रारम्भ की जा सकी। वास्तविक निर्माण कार्य से काफी पहले लाइन का सर्वेक्षण किये जाने के कारण, आरओडब्ल्यू समस्या अधिक गम्भीर हो गयी थी। अतः, टीडब्ल्यूसी के अनुमोदन की तिथि को कार्य प्रारम्भ की तिथि मानना ठीक नहीं था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि लाइन के सर्वेक्षण के पश्चात् ही टीडब्ल्यूसी हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये थे और टीडब्ल्यूसी के अन्तर्गत कार्य के पूर्ण होने की तिथि दी गयी थी अतः

\* लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में उद्धृत।

एमओपी भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुरूप परियोजना क्रियान्वयन अवधि में कमी लाने हेतु कार्य प्रारम्भ से पहले आवश्यक अनापत्तियों हेतु प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी।

ज्ञात हुए कुछ रोचक प्रकरणों की चर्चा निम्नवत् है:

### अल्प क्षमता वाले उपकेन्द्रों का निर्माण

2.1.12 हमने देखा कि कम्पनी भार आवश्यकता का आँकलन करने में विफल रही और त्रुटिपूर्ण नियोजन के कारण अल्प-क्षमता वाले उपकेन्द्रों का निर्माण किया। परिणामस्वरूप, बाद में इसमें क्षमता में वृद्धि करनी पड़ी जिसके कारण ₹ 13.75 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जिसका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

मि.दि.नं. केंद्र का नाम	क्षमता (एमवीए)	निर्माण की तिथि				क्षमता वृद्धि की तिथि				क्षमता वृद्धि की लागत (₹ करोड़)
		प्रारम्भ	पूर्ण	आरम्भ	पूर्ण	प्रारम्भ	पूर्ण	आरम्भ	पूर्ण	
132/33 केवी उपकेन्द्र हापुड़ रोड, मेरठ	65 एमवीए	2x20 एमवीए	सितम्बर 2006	जनवरी 2009	8.19	2x40 एमवीए	अगस्त 2009	जनवरी 2011	5.62	0.63 <sup>±</sup>
220/132 केवी उपकेन्द्र लोनी, गाजियाबाद	325 एमवीए	2x100 एमवीए	जुलाई 2007	सितम्बर 2008	22.60	2x160 एमवीए	अगस्त 2009	फरवरी 2011	17.22	13.12 <sup>±</sup>

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि:

- 132/33 केवी उपकेन्द्र हापुड़ (2X20 एमवीए) जनवरी 2009 में पूर्ण हुआ किन्तु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के कारण क्षमता-वृद्धि की योजना 2008-09 में बनायी गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जैसा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित था, अगले पाँच वर्षों में भार में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये उपकेन्द्र के निर्माण हेतु योजना बनायी जानी चाहिए थी।
- 220/132 केवी उपकेन्द्र लोनी के निर्माण का अनुमोदन टीडब्ल्यूसी द्वारा 220 केवी की मानक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता अर्थात् 2X100 एमवीए के साथ 132/33 केवी उपकेन्द्र, लोनी पर विद्यमान भार एवं अगले पाँच वर्षों में भार वृद्धि की पूर्ति हेतु किया गया था। वर्ष 2005-10 की अवधि के दौरान उच्च औद्योगिक विकास के कारण विद्युत की माँग में असाधारण वृद्धि हुई, अतः क्षमता में वृद्धि हेतु योजना बनायी गयी।

हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि क्षेत्र में उच्च औद्योगिक विकास 2005 में प्रारम्भ हो गया था और इस परियोजना का प्रारम्भ जुलाई 2007 में किया गया था, मानक ट्रान्सफार्मेशन क्षमता के स्थान पर उस क्षेत्र के भावी विकास के सन्दर्भ में, भविष्य में भार की माँग का आँकलन किया जाना चाहिए था।

### नोएडा में 220/132 केवी उपकेन्द्र का निर्माण

2.1.13 पारिषद कार्य अनुमोदन समिति (टीडब्ल्यूसी) ने नोएडा\* के डिपार्जिट कार्य को निर्धारित दिसम्बर 2008 तक कार्य पूर्ण करने के लिये, ग्रेटर नोयडा से सेक्टर-129, नोयडा तक 220 केवी डीसी लाइन (25 किमी) का निर्माण ₹ 12.33 करोड़ की लागत के साथ ₹ 59.87 करोड़ की लागत से 2X160 एमवीए (220X132 केवी) एवं 2X40 एमवीए (132X33 केवी) ट्रान्सफार्मरों के साथ सेक्टर 129, नोएडा में 220 केवी उपकेन्द्र के

<sup>±</sup> आरम्भ की तिथि

<sup>±</sup> पूर्ण होने की तिथि

<sup>±</sup> क्षमता वृद्धि की लागत: ₹ 5.62 करोड़ घटाया ₹ 4.99 करोड़ {मिन्नता की लागत: 2 x 40 एमवीए एस/एस (₹ 14.61 करोड़) तथा 2 x 20 एमवीए एस/एस (₹ 9.62 करोड़)}

<sup>±</sup> क्षमता वृद्धि की लागत: ₹ 17.72 करोड़ - ₹ 4.60 करोड़ (लागत 2 x 160 एमवीए एस/एस ₹ 36.70 करोड़ घटाया: लागत 2 x 100 एमवीए एस/एस ₹ 32.10 करोड़ = ₹ 4.60 करोड़)

\* नोयडा: नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

fMi kftV dk; Z ds  
i kDdyu ea Okj kV  
fDy; j d h ykxr  
l ekfgr u dj us ds  
dkj .k dEi uh us  
₹ 5.73 dj kM+ dh  
gkfu , oa ₹ 15.11  
dj kM+ dh ns rk  
ogu dhA

निर्माण हेतु अनुमोदन (अगस्त 2007) किया। उपकेन्द्र एवं लाइन के निर्माण का कार्य क्रमशः ₹ 38.25 करोड़ एवं ₹ 10.84 करोड़ की लागत से 30 महीने के विलम्ब से जून 2011 में पूर्ण हुआ। हमने देखा कि लाइन के निर्माण के दौरान वन विभाग ने ₹ 20.84 करोड़ की माँग की और इसके विरुद्ध ईटीडी-1, नोएडा ने ₹ 5.73 करोड़ का भुगतान किया था। नोएडा को प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय, ईटीडी-1, नोएडा प्राक्कलन में फारेस्ट क्लियरेंस की लागत को सम्मिलित करने में न केवल विफल रहा अपितु इस बात का उल्लेख भी नहीं किया था कि इस मद में किया गया वास्तविक व्यय चार्ज किया जायेगा। चूँकि प्राक्कलन में इस लागत का कोई उल्लेख नहीं था, नोएडा ने इस मद में किसी दावे को स्वीकार नहीं किया। परिणामस्वरूप, कार्य का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार करने के कारण कम्पनी पहले ही ₹ 5.73 करोड़ की हानि वहन कर चुकी थी और ₹ 15.11 करोड़ का अग्रतर दायित्व भी कम्पनी पर था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि किये गये व्यय की नोएडा से माँग प्रक्रियाधीन थी। उत्तर, फारेस्ट क्लियरेंस की लागत को प्राक्कलन में सम्मिलित न किये जाने के मुद्दे को सम्बोधित नहीं करता।

### झांसी में 220 केवी उपकेन्द्र का निर्माण

**2.1.14** निदेशालय, एअर रूट एवं एरोड्रम (डारा) (आप्स) के 1990 के परिपत्र संख्या 3 के अनुसार उड़ान पट्टी के क्षेत्र के आन्तरिक छोर में चढ़ाव क्षेत्र, पहुंच स्थल/उड़ान क्षेत्र से 3 किमी के अन्दर उच्च टेंशन/निम्न टेंशन वाली लाइनों का निर्माण नहीं किया जा सकता था।

कम्पनी ने उपलब्ध चार स्थलों में से 664 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के उड़ान पट्टी से 1.25 किमी की दूरी के अर्न्तगत 220 केवी उपकेन्द्र के निर्माण के लिए झाम्सी के सिमार्धा नामक स्थल का चुनाव किया (मई 2005)।

dEi uh ujs fcuk  
vuki fRr  
i ek.k&i = i klr  
fd; } mi ØWnz ds  
fuekZk dk dk; Z  
i kjEhk dj fn; k  
vlg fl ek/kZ l s  
nupkj k ij dk; LFky  
cnyus ds dkj .k  
₹ 5.89 dj kM+ dk  
0; FkZ 0; ; fd; kA

टीडब्ल्यूसी ने बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ही 220/132 केवी उपकेन्द्र<sup>५</sup> एवं सम्बद्ध लाइन के ₹ 41.07 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान (जुलाई 2006) किया। उपकेन्द्र एवं लाइनों के निर्माण का कार्य कम्पनी ने प्रारम्भ किया (अगस्त 2007) जिसका आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द्वारा विरोध किया गया (दिसम्बर 2007)।

हमने देखा कि दिसम्बर 2007 में आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन द्वारा विरोध करने के बावजूद कम्पनी ने कार्य जारी रखा और एक वर्ष तक उपकेन्द्र पर ₹ 9.15 करोड़ का व्यय किया। कम्पनी ने एक वर्ष बाद अर्थात् दिसम्बर 2008 में कार्य स्थल को बदलने का निर्णय लिया। उपकेन्द्र को सिमार्धा से दुनारा स्थानान्तरित करने के कारण सिमार्धा में उपकेन्द्र पर किया गया ₹ 5.89 करोड़<sup>६</sup> का व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ओवरहेड लाइनों के साथ उपकेन्द्र के निर्माण हेतु एअरपोर्ट अथारिटी द्वारा अनुमति नहीं दी गयी एवं अण्डरग्राउण्ड केबिल के साथ उपकेन्द्र का निर्माण वित्तीय दृष्टि से सम्भव नहीं था, अतएव, उपकेन्द्र के स्थल में बदलाव का निर्णय कम्पनी द्वारा लिया गया। यह तथ्य, हाँलाकि, कायम रहा कि एअरपोर्ट अथारिटी की अनुमति कार्य प्रारम्भ से पहले ली जानी चाहिए एवं आर्मी अथारिटी द्वारा विरोध किये जाने के ठीक बाद कार्य बन्द कर देना चाहिए था।

### भार आव यकता का आँकलन किये बिना उपकेन्द्र का निर्माण

**2.1.15** उपकेन्द्र के निर्माण हेतु, परियोजना को शुरू करने से पूर्व, भार वृद्धि एवं वोल्टेज नियमन की अनुमन्य सीमा के साथ भविष्य में माँग में अनुमानित वृद्धि पर विचार करना अनिवार्य है, ताकि अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। प्रस्तावित नयी योजनाओं हेतु भार के पूर्वानुमान के साथ प्रत्याशित भौतिक एवं वित्तीय लाभ पर भी विचार करना चाहिए।

<sup>५</sup> 2x100 एमवीए + 2x40 एमवीए 132/33 केवी

<sup>६</sup> उपकेन्द्र एवं लाइन पर अप्राप्त व्यय क्रमशः ₹ 4.15 करोड़ एवं ₹ 1.29 करोड़ जोड़ा विखण्डन, परिवहन इत्यादि पर व्यय ₹ 0.45 करोड़।

कम्पनी ने बिना समुचित रूप से भार आवश्यकता का आँकलन किये ही निम्नलिखित उपकेन्द्रों का निर्माण किया, जिनका विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:

Øe l f; k	mi dlnz , oa ytkbula dls uke	fkerk ¼ eoh, ½	Lohdfr dh frffk	Lohdr /kujkf k	Mhvk d h	0; ; dh /kujkf k	(kujkf kkr djMHe)	
							okLrfod vkqfjr Hkj i hcl yM ¼ eoh, eZ	vof/k veghula eZ
1	220/33 केवी उपकेन्द्र, गोमतीनगर, लखनऊ	3x60	सितम्बर 2006	40.08	दिसम्बर 2008	31.48	0.02 – 31.07	41 (जनवरी 2009 से मई 2012)
2	220/132 केवी उपकेन्द्र, सोहावल, फैजाबाद	2x100	दिसम्बर 2001	24.25	दिसम्बर 2009	16.92	24 - 47	29 (जनवरी 2010 से मई 2012)
3	220/132 केवी उपकेन्द्र, बिदूर, कानपुर	2x160	जुलाई 2008	51.13	जुलाई 2011	51.75	8 – 21	13 (जुलाई 2011 से जुलाई 2012)

उपर्युक्त उपकेन्द्र अल्प उपयोजित रहे जो इस बात का संकेतक था कि उपकेन्द्रों पर भार का आँकलन नहीं किया गया था, जिनकी चर्चा निम्नवत है:

- राज्य सरकार के निर्देश के अनुपालन में, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने लोहिया पार्क गोमती नगर स्थित 132/33 केवी उपकेन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु कम्पनी से अनुरोध किया (जून 2005)। कम्पनी ने, 132/33 केवी उपकेन्द्र को स्थानान्तरित किये बिना ही, एलडीए द्वारा प्रदान की गयी भूमि पर 220/33 केवी (3x60 एमवीए) का एक दूसरा उपकेन्द्र निर्मित किया। उपकेन्द्र की लागत (₹ 31.48 करोड़) एवं लाइन की लागत (₹ 4.32 करोड़) कम्पनी द्वारा वहन की गयी क्योंकि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार, 132/33 केवी उपकेन्द्र के पोषकों को स्थानान्तरित न करने के कारण, उपकेन्द्र अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि स्थापित क्षमता 180 एमवीए के विरुद्ध जनवरी 2009 से मई 2012 के दौरान उपकेन्द्र पर पीक लोड 0.02 एमवीए से 31.07 एमवीए के मध्य रहा, इसका कारण 132/33 केवी उपकेन्द्र के भार को स्थानान्तरित न किया जाना था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि गोमती नगर विस्तार में एलडीए द्वारा आवासों के निर्माण में विलम्ब के कारण वितरण उपकेन्द्रों पर संयोजित भार कम था, परिणामस्वरूप, उपर्युक्त उपकेन्द्र अल्प-उपयोजित रहा। उत्तर स्वतः संकेतक है कि उपकेन्द्र के निर्माण की योजना बिना समुचित रूप से भार आँकलन किये ही बनायी गयी थी।

- 220/132 केवी उपकेन्द्र सोहावल, फैजाबाद के निर्माण का कार्य पाँच वर्ष व्यतीत होने के बाद दिसम्बर 2006 में प्रारम्भ किया गया जो कि दिसम्बर 2009 में कुल 78 महीनों की विलम्ब से ₹ 16.92 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। उपकेन्द्र अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि स्थापित क्षमता 200 एमवीए के विरुद्ध जनवरी 2010 से मई 2012 के दौरान उपकेन्द्र पर पीक लोड 24 एमवीए से 47 एमवीए के मध्य रहा। अल्प उपयोग का मुख्य कारण यह था कि दो बहिर्गामी लाइनें<sup>©</sup> ₹ 13.37 करोड़ का व्यय करने के बाद भी संयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि ये लाइनें चार वर्षों के बाद भी अपूर्ण थी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि तीन बहिर्गामी लाइनों अर्थात् 132 केवी एससी सोहावल-मिल्कीपुर, सोहावल-आरएस घाट एवं सोहावल-दर्शन नगर के पूर्ण होने में विलम्ब होने के कारण उपकेन्द्र पर पूर्ण भार नहीं लाया जा सका।

<sup>©</sup> सोहावल-मिल्कीपुर लाइन एवं सोहावल-दर्शन नगर लाइन

- 220/132 केवी उपकेन्द्र बिठूर, कानपुर का निर्माण 2X160 एमवीए ट्रान्सफार्मरों एवं 2X40 एमवीए 132/33 केवी ट्रान्सफार्मरों के साथ ₹ 51.75 करोड़ की लागत से जुलाई 2011 में पूर्ण हुआ। उपकेन्द्र अल्प-उपयोजित रहा क्योंकि 320 एमवीए की स्थापित क्षमता के विरुद्ध जुलाई 2011 एवं जुलाई 2012 के दौरान उपकेन्द्र पर पीक लोड 8 एमवीए (2.5 प्रतिशत) से 21 एमवीए (6.5 प्रतिशत) के मध्य रहा।

प्रबन्धन के उत्तर में, लेखापरीक्षा में उठाये गये प्रकरण पर कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी।

### क्रय एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन

**2.1.16** कम्पनी ने पारिषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पैकेज बनाये और कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न ठेकेदारों को पैकेजों का आवंटन किया और साथ ही नयी परियोजनाओं, उपकेन्द्रों के विस्तार एवं ओएण्डएम कार्यों हेतु सामग्री का क्रय किया। सामग्री का क्रय एवं कार्यों का क्रियान्वयन खुली निविदा के माध्यम से किया गया और ₹ 10.00 करोड़ (25 नवम्बर 2009 तक ₹ एक करोड़) से अधिक की निविदाओं को मूल्यांकित एवं प्रदान करने का कार्य कम्पनी की कारपोरेट भण्डार क्रय समिति (सीएसपीसी) द्वारा किया गया था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान, कम्पनी ने ₹ 4,940.48 करोड़ के अनुबंध निष्पादित किया जिसमें से उच्च मूल्य वाले ₹ 3,264.06 करोड़ के अनुबंधों (66 प्रतिशत) की नमूना जाँच हमारे द्वारा की गयी। हमने अनुबंध के अर्न्तगत आदेशित मात्रा में वृद्धि/कमी से सम्बन्धित उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने वाले प्रकरण, काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना से सम्बन्धित प्रकरण एवं उच्च दरों पर कार्य प्रदान करने से सम्बन्धित प्रकरण देखे जिनकी चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:

### क्रय

**2.1.17** कम्पनी के पास न तो कोई विहित क्रय नीति थी और न ही इसने आवधिक क्रय योजना तैयार किया था। क्षेत्र इकाइयों से ओएण्डएम कार्यों एवं नये कार्यों हेतु प्राप्त सामग्री की आवश्यकता के विरुद्ध कम्पनी ने तदर्थ ढंग से सामग्री का क्रय किया। सामग्री का क्रय खुली निविदा के माध्यम से किया गया था। क्रय की वृहद मात्रा के कारण, कम्पनी ने निविदित मात्रा का विभाजन, सामान्य तथा अर्ह निविदादाताओं के मध्य न्यूनतम एवार्ड दर पर काउण्टर आफर के माध्यम से किया था।

### अनुबंध के महत्वपूर्ण उपवाक्य का क्रियान्वयन न करना

**2.1.18** उपवाक्य 'निविदादाताओं हेतु निर्देश' के अनुसार विशिष्टि में उल्लिखित मात्रा, क्रेता की वास्तविक आवश्यकता के सापेक्ष, मूल्य सूची में उल्लिखित इकाई मूल्य पर बढ़ायी अथवा घटायी जा सकती हैं। यह वृद्धि अथवा कमी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने विषयक प्रकरण निम्नवत् हैं:

- 3,845 किमी एसीएसआर पैथर कन्डक्टर के क्रय हेतु निविदा (टीडी-341/10) का मूल्य-भाग को खोला (25 अक्टूबर 2010) गया, जिसमें मुफ्त रेल गन्तव्य (एफओआर) दर ₹ 97,067.57 प्रति किमी के साथ अनामिका कन्डक्टर्स लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। उपर्युक्त निविदा के जारी रहने के दौरान 9,000 किमी एसीएसआर पैथर कन्डक्टर के क्रय हेतु एक दूसरी निविदा (टीडी-355/11) का मूल्य भाग को खोला (5 दिसम्बर 2011) गया, जिसमें ₹ 1,20,854.71 प्रति किमी की एफओआर दर के साथ वेंकटेश्वर वायर्स लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। अतः, पूर्व निविदा के अर्न्तगत आदेशित मात्रा में 1,922.50 किमी\* की वृद्धि की जानी चाहिए थी। कम्पनी ने अनुबंध के उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया और ₹ 4.57 करोड़<sup>⊕</sup> का परिहार्य व्यय किया।

ek=k ea50 ifr kr  
rd of) @deh l s  
l Ecfll/kr mi okD; dk  
vuijkyu u fd;s  
tkus ds ifj .kkelo: i  
₹ 4-73 djkm+dk  
vfrfjDr 0; ; gq/kA

\* जोकि प्रथम आदेश का 50 प्रतिशत है।

⊕ (₹ 1,20,854.71 - ₹ 97,067.57 x 1,922.50 किमी)

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 50 प्रतिशत वृद्धि/कमी से सम्बन्धित उपवाक्य केवल निविदा चरण पर लागू था अर्थात् अनुबंध निष्पादित किये जाने से पूर्व। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि पूर्व निविदा (संख्या: 341/10) की वैधता अभी भी विद्यमान थी एवं 1,536.55 किमी पैथर कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु आवंटन, नयी निविदा (संख्या: 355/11) का मूल्य-भाग दिसम्बर 2011 में खुलने के बाद, क्रमशः दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 में किया गया था।

- निविदा- टीडी 302/07 के विरुद्ध नट एवं बोल्ड सहित एससी/डीसी टावर पार्ट्स की आपूर्ति हेतु क्रमशः 360 एमटी एवं 240 एमटी की एलओआई एल-1 एफओआर दर ₹ 57,147 प्रति एमटी पर, संगम स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद (एल-1) एवं एनएल इन्जीनियर्स मोहाली को निर्गत (अगस्त 2007) की गई। एनएल इन्जीनियर्स द्वारा एलओआई स्वीकार न किये जाने के कारण शेष मात्रा 240 एमटी संगम स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड को आवंटित (26 मई 2008) कर दी गयी। 15,000 एमटी नट एवं बोल्ड सहित टावर पार्ट्स के क्रय हेतु एक दूसरी निविदा टीडी- 316/07 का मूल्य-भाग 26 मार्च 2008 को खोला गया, जिसमें ₹ 53,328 प्रति एमटी की एफओआर दर के साथ यूनिटेक पावर ट्रान्स. लिमिटेड न्यूनतम (एल-1) पायी गयी। चूंकि नयी निविदा की दर ₹ 3,819 प्रति एमटी कम थी और नयी निविदा के मूल्य-भाग को खोलने की तिथि पर यह तथ्य कम्पनी के संज्ञान में था, अतः संगम स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड को आवंटित मात्रा का 50 प्रतिशत अर्थात् 180 एमटी से कम कर देना चाहिए था एवं शेष भाग 240 एमटी को भी नयी निविदा टीडी- 316/07 के अर्न्तगत एल-1 को आवंटित कर देना चाहिए था। अनुबंध के उपर्युक्त महत्वपूर्ण उपवाक्य का अनुपालन न किये जाने के कारण ₹ 16.04 लाख (₹ 3,819 x 420 एमटी) की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि दोनों निविदा विशिष्टियों के अर्न्तगत टावर की डिजाइन भिन्न थीं, अतः दरें तुलनीय नहीं थीं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दोनों डिजाइनों में टावर पार्ट्स के इनपुट एक समान थे।

### **इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अतिरिक्त व्यय**

**2.1.19** प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, ट्रान्सफार्मरों एवं अन्य सामग्रियों यथा कन्डक्टर, सर्किट ब्रेकर्स, इन्सुलेटर आदि के क्रय हेतु निविदा आहूत करते समय, कम्पनी निविदादाताओं को विस्तृत रूप में मूल्य-उद्धृत करने हेतु कहती है जिसमें एक्स वर्क्स मूल्य, उत्पाद कर (ईडी), पैकिंग एवं अग्रसारण शुल्क, परिवहन एवं बीमा शुल्क, मूल्य-वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर (वैट/सीएसटी) एवं ऊर्जा हानियों (भार रहित हानि, भार-युक्त हानि एवं अतिरिक्त हानि) का पूँजीगत मूल्य शामिल किया जाता है। उपर्युक्त सभी मूल्य-अवयवों को सम्मिलित करते हुए, कम्पनी न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य की गणना करती है एवं निविदा के अर्न्तगत सामग्री की मात्राओं को एल-1 मूल्यांकित-मूल्य पर उसी निविदा के विभिन्न निविदादाताओं के मध्य विभाजित कर देती है। काउण्टर आफर हेतु कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निविदादाताओं हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना, न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य में से विशिष्ट निविदादाता द्वारा उद्धृत कर सहित प्रत्येक मूल्य अवयव के सम्बन्धित मूल्यों को घटाकर बैंक कैलकुलेशन द्वारा किया जाता है।

dkm.Vj vtQj grq  
bDoW/M i kbl dl  
x.kuk djrs l e;  
dEi uh }kjk =fVi wZ  
i f0; k vi ukus ds  
i fj.kkeLo: i  
₹ 17-12 djkm+dk  
vfrfjDr 0; ; gqKA

हमने पाया कि निविदादाता हेतु इक्वेटेड प्राइस की बैंक कैलकुलेशन द्वारा गणना हेतु कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य में से न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य में शामिल कर अवयवों एवं किसी निविदादाता द्वारा उद्धृत अन्य मूल्य अवयवों को ही घटाया जाना चाहिए था।

सामग्री के क्रय हेतु निविदादाताओं को काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना में इन त्रुटियों के कारण ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है:



- 40 एमवीए के 67 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी/285) का मूल्य-भाग खोला (13 जुलाई 2010) गया जिसमें वैट हेतु दायित्व (13.5 प्रतिशत) सहित एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर्स लिमिटेड द्वारा उद्धृत ₹ 3.29 करोड़ का मूल्यांकित मूल्य, न्यूनतम (एल-1) पाया गया। एल-1 फर्म के अतिरिक्त, कम्पनी ने सीएसटी (दो प्रतिशत) हेतु दायित्व सहित आठ अन्य फर्मों को एलओआई निर्गत (जुलाई 2010) किया। उपर्युक्त आठ फर्मों को काउण्टर आफर हेतु इक्वेटेड प्राइस की गणना करते समय, कम्पनी के न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य में से वैट (13.5 प्रतिशत) के स्थान पर सीएसटी (2 प्रतिशत) घटाया। परिणामस्वरूप, 47 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति पर ₹ 8.04 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ, क्योंकि वैट एवं सीएसटी के मध्य अन्तर के प्रभाव की उपेक्षा कर दी गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि एल-1 निविदादाता द्वारा उद्धृत पूंजीकृत लागत के आधार पर काउण्टर आफर दिये गये थे। यदि हम ईडी एवं सीएसटी के अन्तर मूल्य से मूल्यों को कम कर देते, तो उन फर्मों के मूल्य, जिन्हें काउण्टर आफर दिये गये थे, एल-1 मूल्य से कम हो जाते एवं अकार्यात्मक हो जाते।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि तथ्य यह है कि डिलोडिंग स्टेटमेंट तैयार करते समय, वैट (जो कि न्यूनतम निविदादाता के मूल्य में शामिल था) के स्थान पर सीएसटी (सम्बन्धित निविदादाता, जिनको काउण्टर आफर दिया गया था के द्वारा उद्धृत) पर ध्यान दिया गया था। परिणामस्वरूप, वैट (13.5 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के अन्तर की धनराशि काउण्टर आफर के अर्न्तगत हस्तान्तरित कर दिया गया। एल-1 का एक्स वर्क्स मूल्य काउण्टर आफर में दिये गये एक्स वर्क्स मूल्य से कम था। अतः काउण्टर आफर अकार्यात्मक नहीं हो सकता था।

- 5,200 किमी बर्सिमीज कन्डक्टर के क्रय हेतु निविदा (ईटीडी/08-09/10) का मूल्य-भाग खोला (26 नवम्बर 2010) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी-शून्य के दायित्व सहित ₹ 2.73 लाख प्रति किमी के मूल्यांकित मूल्य के साथ गैमन इण्डिया लिमिटेड एल-1 पायी गयी। उसी मूल्य ₹ 2.73 लाख प्रति किमी पर 3,200 किमी बर्सिमीज कन्डक्टर की आपूर्ति हेतु ईडी-शून्य एवं सीएसटी (एक प्रतिशत) के दायित्व के साथ टेराकाम लिमिटेड को एलओआई निर्गत (जनवरी 2011) की गयी। गैमन इण्डिया के न्यूनतम मूल्यांकित मूल्य पर काउण्टर आफर हेतु त्रुटिपूर्ण इक्वेटेड प्राइस की गणना के कारण ₹ 7.82 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 63 एमवीए के 21 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी -303) का मूल्य-भाग खोला (8 नवम्बर 2011) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के दायित्व सहित ईसीई लिमिटेड, हरियाणा द्वारा उद्धृत मूल्यांकित-मूल्य ₹ 4.12 करोड़ न्यूनतम पाया गया। ईसीई लिमिटेड के न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर काउण्टर आफर के माध्यम से कर दायित्व यथा ईडी- शून्य एवं सीएसटी (एक प्रतिशत) के साथ उत्तराखण्ड कार्यस्थल वाली एक्यूरेट ट्रान्सफार्मर लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा (एटीएल) को दो ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु कम्पनी ने एलओआई निर्गत (दिसम्बर 2011) किया। इसी प्रकार, आठ ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु कर दायित्व यथा ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी शून्य के साथ आईएमपी पावर लिमिटेड को दूसरी एलओआई निर्गत (दिसम्बर 2011) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण 10 ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के विरुद्ध ₹ 70.90 लाख (₹ 42.42 लाख एटीएल एवं ₹ 28.48 लाख आईएमपी) का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 63 एमवीए के 17 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी- 297) का मूल्य-भाग खोला (23 दिसम्बर 2010) गया जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (2 प्रतिशत) के दायित्व के साथ बीपीएल थाणें द्वारा उद्धृत मूल्यांकित-मूल्य ₹ 4.15 करोड़ न्यूनतम पाया गया। बीपीएल के न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर काउण्टर आफर करके तीन ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति हेतु ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी-शून्य के दायित्व के साथ आईएमपी पावर लिमिटेड को एलओआई निर्गत

(मार्च 2011) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण, तीन ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति के लिये आईएमपी पावर लिमिटेड को दिये गये आदेश के विरुद्ध ₹ 10.62 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

- 40 एमवीए के 55 ट्रान्सफार्मरों के क्रय हेतु निविदा (ईएसडी-241) का मूल्य-भाग खोला (4 अक्टूबर 2007) गया, जिसमें ईडी (16.48 प्रतिशत) व्यापार कर (चार प्रतिशत) एवं विकास कर (एक प्रतिशत) के दायित्व के साथ टेक्निकल एसोसिएट लिमिटेड (टीएएल) द्वारा उद्धृत मूल्यांकित-मूल्य ₹ चार करोड़ न्यूनतम पाया गया। न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर ईडी (16.48 प्रतिशत) एवं सीएसटी (तीन प्रतिशत) के दायित्व के साथ बीबीएल, थाणे को एलओआई निर्गत (जनवरी 2008) की गयी। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण आठ ट्रान्सफार्मरों के क्रय पर ₹ 30.88 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- 3,011 किमी अर्थवायर के क्रय हेतु निविदा (टीडी- 359) का मूल्य-भाग खोला (18 नवम्बर 2011) गया, जिसमें ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं वैट (चार प्रतिशत) के दायित्व सहित ₹ 39,550 प्रति किमी की मूल्यांकित-मूल्य दर के साथ मनोहर लाल-हीरालाल, गाजियाबाद न्यूनतम (एल-1) पाये गये। 807 किमी अर्थवायर की आपूर्ति हेतु मनोहर लाल-हीरालाल, गाजियाबाद को निर्गत एलओआई के अतिरिक्त, न्यूनतम मूल्यांकित-मूल्य पर काउण्टर आफर के माध्यम से प्रत्येक के द्वारा 1,102 किमी अर्थवायर की आपूर्ति हेतु कम्पनी ने निर्मल वायर लिमिटेड, कोलकाता एवं यूआईसी उद्योग लिमिटेड, कोलकाता को भी एलओआई निर्गत किया। इन फर्मों पर ईडी (10.30 प्रतिशत) एवं सीएसटी (दो प्रतिशत) के भुगतान का दायित्व था। इक्वेटेड प्राइस की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण 2,204 किमी अर्थवायर की आपूर्ति पर ₹ 13.98 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि एल -1 निविदादाता के संगणित मूल्य के आधार पर काउण्टर आफर दिये गये थे यदि हम ईडी एवं सीएसटी के मूल्य अन्तर से मूल्यों को कम कर देते तो उन फर्मों के मूल्य जिन्हें काउण्टर आफर दिये गये थे, एल-1 मूल्य से कम हो जाते।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एल-1 के संगणित मूल्य में सम्मिलित ईडी एवं सीएसटी की धनराशि को, ऐसे निविदादाताओं को जिन्हें काउण्टर आफर दिया गया था, उसी सीमा तक उन पर ईडी एवं सीएसटी के भुगतान का दायित्व था। कर के लिये जो फर्म उत्तरदायी नहीं थीं, कर का लाभ फर्मों को हस्तान्तरित करने के कारण परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, उपर्युक्त प्रकरणों में ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय ₹ 17.12 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

हम ससंतुत करते हैं कि काउण्टर आफर हेतु मूल्य की गणना करते समय, कर के रूप में लाभ अन्य फर्मों को हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए।

### टर्नकी अनुबंधों के माध्यम से कार्य प्रदाय एवं क्रियान्वयन

**2.1.20** ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (नवम्बर 2001) देश के अर्न्तगत बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम (बीपीआईटीएस) में पारेषण लाइनों एवं उपकेन्द्रों के कार्यों एवं सामग्री के क्रय हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। बीपीआईटीएस का प्रस्तर 5(i) प्रावधानित करता है कि टर्नकी अनुबंधों की दशा में, उपकेन्द्रों का निर्माण करना, समुचित रूप से ट्रान्सफार्मर/रिपेक्टर के अतिरिक्त जिन्हें अलग से क्रय किया जायेगा एवं निर्माता के पर्यवेक्षण में टर्नकी ठेकेदार द्वारा लगाया जाएगा, पैकेजों में तैयार करना था ताकि डिजाइन फिलासफी बनी रहे।

हमने देखा कि 132/33 केवी के 31 उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य टर्नकी आधार पर कम्पनी ने प्रदान (अक्टूबर 2010 से अगस्त 2011 तक) किया। कम्पनी ने, फिर भी, टर्नकी अनुबंधों को ट्रान्सफार्मरों की लागत सहित अन्तिम रूप दिया।

chi hv/kb/h, l dh  
l h.rfr; ka ds  
i frdhy] dEi uh us  
Vu dh vuqzka ea  
VKU! Okej ka dh  
vki firz dks "kkfey  
fd; k ft l ds  
i fj .kkelo: i  
₹ 15-42 dj kM+ dk  
vfrfjDr 0; ; gq/kA

इस प्रकार, कम्पनी ने न केवल बीपीआईटीएस की संस्तुतियों की अवहेलना किया अपितु ₹ 15.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, क्योंकि उसी अवधि में समान क्षमता वाले टर्नकी ठेकेदारों द्वारा आपूर्तित ट्रान्सफार्मर कम्पनी द्वारा स्वयं क्रय किये ट्रान्सफार्मरों से मंहगे थे जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

(₹ dj)M+es

ट्रान्सफार्मरों की क्षमता	संख्या	लागत (रंज)	सन्दर्भित निविदा	सन्दर्भित निविदा की दर	दर का अन्तर (रंज)	धनराशि
20 एमवीए	41	1.41 से 1.60	ईएसडी-296 <sup>६</sup>	1.26	0.15 से 0.34	9.26
40 एमवीए	19	2.09 से 2.26	ईएसडी-285	1.80	0.29 से 0.46	6.16
						15.42

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि टर्नकी परियोजनाएं स्थिर लागत अनुबंध थीं जबकि ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति विषयक निविदाओं के मूल्य ईमा के अनुसार परिवर्तनीय थे। अतः, खुली निविदा के ट्रान्सफार्मर की लागत की टर्नकी परियोजना के ट्रान्सफार्मर की लागत से इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने मदवार टर्नकी निविदाएं आमंत्रित की थी और प्रत्येक मद की दरों के औचित्य का आँकलन किया जा सकता था। अग्रेतर, ट्रान्सफार्मरों/रिक्वेटों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा संस्तुत बीपीआईटीएस के प्रावधानों का अनुपालन भी कम्पनी ने नहीं किया।

### उच्च दर पर कार्य प्रदान किया जाना

**2.1.21** टर्नकी आधार पर उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु दो निविदाएं ईएसडी- 281 (सात उपकेन्द्रों हेतु) एवं ईएसडी-298 (चार उपकेन्द्रों हेतु) आमंत्रित (जनवरी 2010/अक्टूबर 2010) की गयी थीं। मूल्य-भाग (अगस्त 2010/फरवरी 2011) खोला गया और सीएसपीसी के अनुमोदन के पश्चात, एलओआई निर्गत (अक्टूबर 2010/मार्च 2011) की गयी। निविदा संख्या ईएसडी 281 के सापेक्ष ईएसडी 298 की दरें 13 प्रतिशत कम थीं।

बिना निविदा आमंत्रित किये, ईएसडी 281 की दरों पर ₹ 12.57 करोड़ की लागत पर 132/33 केवी, 2X20 एमवीए उपकेन्द्र नाथनगर के निर्माण कार्य हेतु सीएसपीसी ने अनुमोदन (4 फरवरी 2011) प्रदान कर दिया। एलओआई 7 फरवरी 2011 को निर्गत कर दी गयी। ईएसडी-298 का मूल्य-भाग 4 फरवरी 2011 को खोला गया एवं ईएसडी-281 की तुलना में ईएसडी-298 के मूल्य 13 प्रतिशत कम थे, अतएव सीएसपीसी ने नाथनगर की एलओआई निरस्त कर दिया। उसी समय सीएसपीसी ने (8 मार्च 2011) रुद्रपुर उपकेन्द्र (ईएसडी-281 के अन्तर्गत निर्माण हेतु आवंटित) के स्थान पर ईएसडी-281 की दरों पर नाथ नगर उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रदान करने हेतु अनुमोदन (8 मार्च 2011) किया।

हमने देखा कि ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र के निर्माण के लिये सीएसपीसी का निर्णय इस पूर्वधारणा पर कि यह रुद्रपुर के स्थान पर (ईएसडी-281 के अन्तर्गत शामिल) निर्मित किया जायेगा न केवल प्रतिकूल था अपितु उच्च दर पर अनुबंध प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सीएसपीसी ने 132 केवी नाथनगर उपकेन्द्र (ईएसडी-281 की दरों पर) के आवंटन का निर्णय (4 फरवरी 2011) लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईएसडी-298 में प्राप्त कम दरों के कारण ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र का पूर्व आवंटन निरस्त (8 मार्च 2011) कर दिया गया था एवं उसी समय, ईएसडी-281 की दरों पर नाथनगर उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु आवंटन अविवेकपूर्ण निर्णय था।

### उच्च लागत पर टर्नकी अनुबंध प्रदान किया जाना

**2.1.22** कम्पनी ने पारेषण लाइनों (220 केवी एससी/डीसी एवं 132 केवी एससी/डीसी) के निर्माण हेतु निविदा संख्या (टीडी/329) के विरुद्ध खुली निविदाएं (अप्रैल 2009) इस पूर्व आवश्यकता के साथ आमंत्रित की कि सभी प्रकार की लाइनों के

<sup>६</sup> चूंकि 20 एमवीए के ट्रान्सफार्मर का क्रय नहीं हो रहा था इसलिए 20 एमवीए ट्रान्सफार्मर के मरम्मत से सम्बन्धित अद्यतन दर का प्रयोग किया गया था।

निर्माण हेतु समान विभिन्न मदों की दरें निविदादाता उद्धृत करें। निविदादाताओं को किसी विशिष्ट लाइन के निर्माण हेतु अपनी रूचि भी अभिव्यक्त करनी थी।

इस प्रकार, निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को प्रत्येक प्रकार की लाइन हेतु एल-1 लागत ज्ञात करने हेतु निविदादाताओं द्वारा उद्धृत मदवार दरों का प्रयोग करते हुए विभिन्न लाइनों की लागत के सम्बन्ध में निविदाओं को मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, प्रत्येक प्रकार के लाइन हेतु ज्ञात एल-1 दर के आधार पर सभी निविदादाताओं को काउण्टर आफर दिया जाना चाहिए था, जैसा कि कार्यों को प्रदान करने हेतु निर्णय की प्रक्रिया कम्पनी में विद्यमान है।

कम्पनी ने तथापि, किसी विशिष्ट लाइन में इच्छुक सम्बन्धित निविदादाताओं की दरों का प्रयोग करते हुए लाइन वार निविदा का मूल्यांकन किया जबकि निविदा प्रपत्र के अनुसार किसी विशिष्ट लाइन में निविदादाता की पंसद के बावजूद, न्यूनतम लाइनवार दरों पर विचार करते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए था।

कम्पनी ने उपर्युक्त निविदा को अन्तिम रूप दिया (जनवरी 2010) और टर्नकी आधार पर एल-1 दर/एल-1 दरों पर काउण्टर आफर द्वारा तीन ठेकेदारों<sup>८</sup> को विभिन्न प्रकार की 1,790 किमी<sup>२</sup> लाइनों के निर्माण का कार्य ₹ 388.56 करोड़ की लागत पर प्रदान (फरवरी 2010) किया।

हमने पाया कि कम्पनी द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के परिणामस्वरूप 1,528 किमी लाइनों के निर्माण का कार्य ₹ 61.56<sup>९</sup> करोड़ की उच्च लागत पर प्रदान किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2012) कि 132 केवी डीसी हेतु एआईपीएल की दरें न्यूनतम थीं और उसे सम्पूर्ण 262 किमी लाइन के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया क्योंकि एआईपीएल ने केवल 132 केवी डीसी लाइन हेतु निविदा दिया था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि एआईपीएल ने सभी लाइनों हेतु दरें उद्धृत की थीं और ये दरें सभी लाइनों हेतु न्यूनतम थीं। इसलिए, सभी प्रकार की लाइनों हेतु एआईपीएल की दरों का प्रयोग करते हुए काउण्टर आफर द्वारा अन्य निविदादाताओं को कार्य का आवंटन किया जाना चाहिए था।

### दो पैकेजों में निविदा के विभाजन के कारण अतिरिक्त व्यय

2.1.23 अनपरा 'डी' से उन्नाव तक 416 किमी 765 केवी एससी पारेषण लाइन का टर्नकी आधार पर निर्माण हेतु दो पैकेजों में विभाजित करते हुए 765 केवी एवं 400 केवी पारेषण डिजाइन मण्डल (सर्किल) द्वारा 24 फरवरी 2009 को निविदा (ईटीडी/08-03/09) आमंत्रित की गई। निविदा का भाग-II 10 नवम्बर 2009 को खोला गया। सीएसपीसी ने कार्य प्रदान करने हेतु दरों का अनुमोदन (30 जनवरी 2010) किया एवं तदनुसार दोनों एल-1 फर्मों को दो एलओआई निर्गत (2 फरवरी 2010) की गयी जिनका विवरण निम्नवत है:

, d gh dh; l dks nls i fclst la ea foHkt u Qel dk ule vupk dh /ujkf k l lexb dh vki firz	i fclst & II vui jk l s > h 1/182 fclst			i fclst & II > h l s mlulo 1/234 fclst			nluls i fclst la dh l dlyr ek=k , oa /ujkf k		nlula i fclst la ds vlrkr U: ure nj ds l kfk /ujkf k		vlrj dh /ujkf k ₹ djM+ ek
	T: kfr LVDpjy fyfeVM ₹ 201-30 djM+	xflu bf.M; k fyfeVM ₹ 215-64 djM+			ek=k ¼ eV%	nj ₹ ek	₹ djM+ ea	ek=k ¼ eV%	nj ₹ ek	₹ djM+ ea	ek=k ¼ eV%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एचटी स्टील	7830	63513	49.73	9070	66120	59.97	109.70	16900	63513	107.34	2.36
एमएस स्टील	8990	60075	54.01	9920	57878	57.42	111.43	18910	57878	109.45	1.98
कुल निर्माण लागत	₹ 53.74 करोड़	26604 प्रति किमी		₹ 52.23 करोड़	22320 प्रति किमी						4.34

<sup>८</sup> 1. एआईपीएल (एल-1)-₹ 15.92 लाख प्रति किमी पर 262 किमी (132 केवी डीसी लाइन) 2. पीएनसी ₹ 27.52 लाख प्रति किमी पर 275 किमी (220 केवी डीसी लाइन) एवं ₹ 17.86 लाख प्रति किमी पर 611 किमी (132 केवी एससी) लाइन 3. एसईडब्ल्यू ₹ 25.24 लाख प्रति किमी पर 642 किमी (220 केवी एससी लाइन)।

<sup>९</sup> 132 केवी एससी (611 किमी), 132 केवी डीसी (262 किमी), 220 केवी एससी (642 किमी) एवं 220 केवी डीसी (275 किमी)।

<sup>१०</sup> 132 केवी एससी (611 किमी × ₹ 17.86 - ₹ 14.66 लाख), 220 केवीएससी (642 किमी × ₹ 25.24 - ₹ 20.74 लाख) एवं 220 केवी डीसी (275 किमी × ₹ 27.52 - ₹ 22.75 लाख)

dEi uh us ,d gh  
ykbv ea ,d t s  
enka % ,pVh o , l , l  
LVhy% ds fy, nks  
fRku nj a i nku dh  
, ca ₹ 4-34 djkm+dk  
vfrfjDr 0; ; fd; kA

कम्पनी ने दोनों पैकेजों की दरों का मूल्यांकन करते समय, पैकेजों के अन्तर्गत एचटी एवं एमएस स्टील (प्रमुख मद) की दरों में अन्तर का संज्ञान नहीं लिया। इसके परिणामस्वरूप, एक ही लाइन हेतु एक ही तिथि पर दो दरों पर कार्य प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हमने आगे भी देखा कि पैकेज-1 एवं पैकेज 2 के अन्तर्गत 77,500 एवं 94,500 नग 120 केएन डिस्क इन्सुलेटर की आपूर्ति हेतु एफओआर दरें क्रमशः ₹ 702 एवं ₹ 705 प्रति इन्सुलेटर पर आदेश दिया गया था, जबकि, उसी मण्डल ने 10,000 नग, 120 केएन डिस्क इन्सुलेटर एफओआर दर ₹ 467 प्रति इन्सुलेटर पर क्रय हेतु आदित्य बिड़ला इन्सुलेटर को एलओआई निर्गत (जनवरी 2010) किया था। हमने देखा कि एल-1 दरों का अनुमोदन करते समय, सीएसपीसी द्वारा विद्यमान बाजार दरों पर विचार नहीं किया गया था। अतः इन्सुलेटर की बाजार दरों की उपेक्षा करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 4.07 करोड़<sup>c</sup> की हानि वहन किया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि अनपरा-झूँसी एवं झूँसी-उन्नाव खण्ड से सम्बन्धित टेरन की प्रकृति के कारण निविदा को दो पैकेजों में विभाजित किया गया था। इसलिए, दोनों पैकेजों की संगणना पृथक रूप से की गयी थी एवं दोनों पैकेजों में न्यूनतम निविदादाता को कार्य प्रदान किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि टेरन की प्रकृति का टावर पार्ट्स की आपूर्ति की दरों से कोई सम्बन्ध नहीं था और यह केवल निर्माण दरों को प्रभावित कर सकती है जबकि हमारा बिन्दु एक ही सामग्री की आपूर्ति में दरों के अन्तर/उच्च दरों से सम्बन्धित है।

### टावर की डिजाइन को मानकीकृत न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

**2.1.24** बेस्ट प्रैक्टिसेज ऑफ ट्रान्समिशन सिस्टम का प्रस्तर 4.4 यह प्रावधानित करता है कि भविष्य में प्रयोग हेतु मानकीकरण किया जाये एवं अनुपालन किया जाये जिससे:

- टावर की बार-बार टाइप टेस्टिंग को खत्म किया जा सके, एक लाइन के टावर का प्रयोग अन्य लाइन में किया जा सके एवं स्पेअर की आवश्यकता को कम किया जा सके।
- फाउण्डेशन डिजाइन हेतु तत्काल आँकड़े उपलब्ध हो सके, और
- अभियंत्रण समय, परियोजना निर्माण की अवधि/लाइन निर्माण अवधि में कमी लायी जा सके।

कम्पनी ने अपनी डिजाइन पर विद्युत उत्पादन केन्द्र, अनपरा-सी (1,320 एमडब्ल्यू) से 756 केवी पर ऊर्जा की निकासी हेतु मूज कन्डक्टर का प्रयोग करके पारेषण लाइन (409 किमी) का निर्माण (1998) किया था। भावी विद्युत उत्पादन केन्द्र अनपरा-डी (1,000 एमडब्ल्यू) से ऊर्जा की निकासी हेतु पुरानी लाइन के लगभग समानान्तर कम्पनी को एक दूसरी लाइन का निर्माण करना पड़ा। हमने निम्नलिखित तथ्य देखा:

dEi uh us 765 dsh  
ykbv ds fuekzk grq  
vi uh Lo; a dh  
fMtkbu dk iz; ks  
djus ds ctk; , d  
ni jh fMtkbu dk  
Ø; fd; k vlg  
ykbv ds fuekzk grq  
₹ 68-52 djkm+dk  
vfrfjDr 0; ;  
fd; kA

- कम्पनी ने, अपनी डिजाइन का प्रयोग करने के बजाय, बर्सिमीज कन्डक्टर के साथ नयी लाइन के निर्माण हेतु ₹ 3.16 करोड़ की लागत से पीजीसीआईएल से टावर की नयी डिजाइन का क्रय (जुलाई 2009) किया। अपनी स्वयं की डिजाइन का प्रयोग करके ₹ 3.16 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था।
- अपनी स्वयं की डिजाइन प्रयोग करने की स्थिति में उसी लम्बाई की लाइन के निर्माण हेतु कम टावरों के साथ मूज कन्डक्टर का प्रयोग किया जा सकता था। नयी डिजाइन में बर्सिमीज कन्डक्टर का प्रयोग किया गया था, जो कि मूज कन्डक्टर से महंगा था। आगे, टावरों की कुल संख्या, लगभग उतनी ही लम्बाई की लाइन हेतु अपनी पुरानी डिजाइन की अपेक्षा ज्यादा थी। अतः अपनी डिजाइन का प्रयोग न करके कम्पनी ने ₹ 68.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, जिसकी गणना निम्नवत् दी गयी है:

<sup>c</sup> 77500 x ₹ 235 (₹ 702-₹ 467) + 94500 x ₹ 238 (₹ 705-₹ 467)

en	fo   eku fMtkbu				u: h fMtkbu				vMrj	
	i dIj	ek=k	nj %yK [k ₹ ifr fdeh@, eV%#	/uJkf k ₹ dJlM+ e#	i dIj	ek=k	nj %yK [k ₹ ifr fdeh@, eV%#	/uJkf k ₹ dJlM+ e#	otu	/uJkf k ₹ dJlM+ e#
8	मूज	5200 किमी	2.29465	119.32	बसिमीज	5200 किमी	2.73190	142.06		22.74
टावर	983 नग	27083 एमटी		159.81	1169 नग	34944 एमटी		205.59	7861	45.78
; lK										68.52

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि पीजीसीआईएल की डिजाइन पर लाइन के निर्माण का निर्णय मुख्य रूप से इस कारण से लिया गया था कि यूपीपीटीसीएल की डिजाइन की अपेक्षा पीजीसीआईएल की डिजाइन में कोरीडोर की चौड़ाई कम थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि पीजीसीआईएल से डिजाइन क्रय करते समय, कम्पनी का यह मंतव्य था कि ड्राइंग एवं डिजाइन से कोरीडोर में कमी से आरओडब्ल्यू समस्याएं कम होंगी। कोरीडोर में कमी की कोई महत्ता नहीं रही क्योंकि आरओडब्ल्यू समस्याएं टावरों की संख्या से सम्बन्धित थीं जो कि नयी ड्राइंग एवं डिजाइन में बढ़ गयी थी।

### निक्षेप कार्यों पर सुपरविजन शुल्क की वसूली न होना

2.1.25 निक्षेप कार्यों के अर्न्तगत किये जाने वाले कार्यों के मूल्य पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के आदेश (अप्रैल 2002) के अनुसार, 15 प्रतिशत की दर से सुपरविजन शुल्क की वसूली की जानी थी। हमने देखा (अप्रैल 2012) कि दो प्रकरणों में ₹ 63.66 करोड़ के सुपरविजन शुल्क की वसूली नहीं हुई, जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

- अनपरा-डी के प्रोजेक्ट साइट से होकर गुजरने वाली लाइनों<sup>14</sup> के ड्राईवर्जन का कार्य डिपाजिट कार्य के आधार पर यूपीपीटीसीएल को एवार्ड करने के लिए यूपीपीटीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, हिन्डाल्को एवं यूपीपीटीसीएल द्वारा एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया (जुलाई 2007) गया। सहमति पत्रक के अनुसार, लाइनों को हटाने में व्यय की जाने वाली लागत (रफ प्राक्कलन ₹ 55 करोड़) का वहन यूपीआरवीयूएनएल एवं हिन्डाल्को द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाना था। कम्पनी ने उपर्युक्त कार्य टर्नकी निविदा संख्या-306/07 एवं 307/07 के विरुद्ध क्रियान्वित (अगस्त-सितम्बर 2009) किया।

कम्पनी ने ₹ 42.54 करोड़ का व्यय (बिना सुपरविजन शुल्क ₹ 6.38 करोड़) किया एवं केवल ₹ 42.31 करोड़ (यूपीआरवीयूएनएल से ₹ 25.04 करोड़ एवं हिन्डाल्को से ₹ 17.27 करोड़) प्राप्त किया। हमने पाया कि कम्पनी ने प्राक्कलन/क्रियान्वित प्राक्कलन तैयार नहीं किया, परिणामस्वरूप यह सुपरविजन शुल्क ₹ 6.38 करोड़ प्राप्त करने से वंचित रही। पुनः इसने अल्प प्राप्त ₹ 23 लाख का दावा नहीं किया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ₹ 6.38 करोड़ का दावा यूपीआरवीयूएनएल के समक्ष प्रस्तुत (18 अप्रैल 2012) किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सहमति पत्रक के अनुसार, यूपीआरवीयूएनएल द्वारा 60 प्रतिशत सुपरविजन शुल्क वहन किया जाना था एवं 40 प्रतिशत की वसूली हिन्डाल्को से की जानी थी।

- यूपीआरवीयूएनएल की भावी विद्युत परियोजना अनपरा-डी (2x500 एमडब्ल्यू) से ऊर्जा निकासी हेतु अनपरा-डी के पास एक नये 765 केवी उपकेन्द्र का निर्माण यूपीपीटीसीएल द्वारा डिपाजिट कार्य के आधार पर करने हेतु यूपीआरवीयूएनएल ने कम्पनी से अनुरोध (अगस्त 2007) किया। कम्पनी ने उक्त कार्य को ₹ 396.75 करोड़ की अनुबंधित लागत (कार्य की लागत: ₹ 381.86 करोड़ एवं ओएण्डएम की लागत: ₹ 14.89 करोड़) पर अरेवा टी एण्ड डी लिमिटेड को प्रदान (जनवरी 2010) किया।

कम्पनी ने तथापि, प्राक्कलन तैयार नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.28 करोड़ का सुपरविजन शुल्क (कार्य की लागत ₹ 381.86 करोड़ का 15 प्रतिशत) नहीं लगाया जा सका।

fu/ki dIk; klgrrq  
i kDdyu r\$ kj u  
djus ds dkj .k  
dEi uh ₹ 63-66  
dj kM+ ds l ij fotu  
"kyd l soipr jghA

<sup>14</sup> 132 केवी रेनु सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 1 एवं 2), 132 केवी रेनु सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 3 एवं 4), 132 केवी रेनु सागर-रेनूकूट लाइन (सीकेटी 5 एवं 6) तथा 132 केवी रेनु सागर-रेनूकूट मल्टी सर्किट लाइन (सीकेटी 7,8,9 एवं 10)।



प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यूपीआरवीयूएनएल के प्रबन्ध निदेशक से ₹ 57.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया (1 दिसम्बर 2012) गया है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने सुपरविजन शुल्क की धनराशि जमा करने हेतु पाँच वर्षों बाद, वह भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, अनुरोध किया था। पुनश्च, धनराशि अभी भी प्राप्त होना शेष है। यह कम्पनी के अन्तर्गत आंतरिक नियंत्रण के अभाव का भी संकेत था।

### 2.1.26

कम्पनी का निष्पादन न्यूनतम अवरोधों के साथ गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु मुख्यतः ई.एच.टी. पारेषण नेटवर्क के कुशल अनुरक्षण पर निर्भर करता है। उपकेन्द्रों एवं लाइनों के संचालन के दौरान, अन्तर्निहित उप-प्रणाली के अन्तर्गत माँग-आपूर्ति प्रोफाइल की पहचान की जाती है एवं लाइन हानियों के कम करने तथा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार योजना द्वारा ऊर्जा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली सुधार योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। ये योजनाएं विद्यमान ट्रान्सफार्मर क्षमता का विस्तार, अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरों की स्थापना, आतिरिक्त लाइनों का निर्माण एवं कैपिसिटर बैंक्स की स्थापना से सम्बन्धित हैं। प्रणाली के ओएण्डएम से सम्बन्धित कम्पनी के निष्पादन की चर्चा आगामी प्रस्तारों में की गयी है।

#### पारेषण क्षमता

2.1.27 विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा की निकासी एवं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भार-वृद्धि की पूर्ति हेतु कम्पनी, विभिन्न ई.एच.टी. वोल्टेज पर लाइनों एवं उपकेन्द्रों का निर्माण करती है। ट्रान्सफार्मर एसी वोल्टेज एवं करेन्ट को अति उच्च कुशलता पर विभिन्न वोल्टेज एवं करेन्ट में परिवर्तित करता है। प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम हानि के साथ एसी वोल्टेज में कमी अथवा वृद्धि लाने हेतु वोल्टेज स्तरों को उच्चिकृत अथवा निम्नीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा की निकासी सामान्यतः 400 केवी/220 केवी उपकेन्द्रों पर किया जाता है। कम्पनी द्वारा मार्च 2012 को समाप्त हुए पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सृजित पारेषण क्षमता (220 केवी) एवं पारेषित क्षमता (पीक डिमाण्ड की पूर्ति) का विवरण निम्नवत् है:

वर्ष	एसी वोल्टेज पर 220 केवी के उपकेन्द्रों की संख्या	एसी वोल्टेज पर 30 किलोवॉट के उपकेन्द्रों की संख्या	एसी वोल्टेज पर 110 केवी के उपकेन्द्रों की संख्या	एसी वोल्टेज पर 132 केवी के उपकेन्द्रों की संख्या
2007-08	13230	9261	9520	(-) 259
2008-09	14730	10311	9164	1147
2009-10	15850	11095	9500	1595
2010-11	18120	12684	11858	826
2011-12	19640	13748	12990	758

स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 के अतिरिक्त सकल पारेषण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। विद्यमान पारेषण क्षमता, 30 प्रतिशत मार्जिन छोड़ते हुए, मार्च 2012 के अन्त तक 758 एमवीए से अधिक आंकलित की गयी। पारेषण नेटवर्क के अन्तर्गत, अतिरिक्त अनावश्यक क्षमता की विद्यमानता एवं कुछ स्थानों पर अतिभार, उच्च वोल्टेज की विद्यमानता, पारेषण नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक नियोजन को प्रतिबिम्बित करता है।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 220 केवी के स्तर पर उपकेन्द्रों की क्षमता उससे संयोजित 132 केवी एवं 33 केवी उपकेन्द्रों पर निर्भर करती है। विषम लोड डिमाण्ड के कारण स्थापित क्षमता एवं पीक लोड डिमाण्ड के मध्य तुलना तकनीकी रूप से ठीक नहीं है क्योंकि पीक डिमाण्ड, ग्रिड की दशाओं के कारण निर्बाधित माँग एवं अनिर्धारित रोस्टरिंग को प्रतिबिम्बित करता है। हालांकि, हमने, स्थापित क्षमता के साथ पीक डिमाण्ड की तुलना मार्जिन हेतु 30 प्रतिशत छोड़ने के बाद की है।

### उपकेन्द्र

#### उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

**2.1.28** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पारेषण नियोजन कसौटियों से सम्बन्धित मैनुअल (एमटीपीसी) विभिन्न उपकेन्द्रों हेतु अधिकतम अनुमन्य क्षमता का प्रावधान करता है अर्थात् 220 केवी हेतु 320 एमवीए एवं 132 केवी उपकेन्द्रों हेतु 150 एमवीए। उपकेन्द्रों पर स्थापित अधिकतम क्षमता की जाँच से पता चला कि 220 केवी के पाँच उपकेन्द्रों एवं 132 केवी के एक उपकेन्द्र की क्षमता अनुमन्य स्तर से अधिक थी। 132 केवी एवं अधिक क्षमता वाले उपकेन्द्रों पर कम से कम दो ट्रान्सफार्मर होने चाहिए थे तथा एमटीपीसी ने इंगित किया कि उपकेन्द्र में ट्रान्सफार्मरों के आकार एवं नियोजन इस ढंग से किया जायेगा कि किसी एकल ट्रान्सफार्मर की बंदी की स्थिति में अन्य ट्रान्सफार्मरों द्वारा 80 प्रतिशत भार की आपूर्ति की जा सके। हालांकि, यह देखा गया कि एक 400 केवी उपकेन्द्र, चार 220 केवी उपकेन्द्र एवं 132 केवी के 48 उपकेन्द्रों पर एकल ट्रान्सफार्मर (मार्च 2012) स्थापित थे।

हमने आगे भी देखा कि एमटीपीसी के मानकों की उपेक्षा करते हुए कम्पनी ने अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान ₹ 48.22 करोड़ की लागत से 132 केवी वाले 10 उपकेन्द्रों का निर्माण एकल ट्रान्सफार्मरों के साथ किया था।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि प्रारम्भ में न्यूनतम क्षमता वाले उपकेन्द्रों के निर्माण के कारण उपकेन्द्रों की अनुमन्य अधिकतम क्षमता स्तर का उल्लंघन किया गया था। एकल ट्रान्सफार्मर के साथ उपकेन्द्रों के निर्माण की स्थिति में, प्रबन्धन ने कहा कि उपकेन्द्रों का निर्माण उस क्षेत्र के लोड डिमाण्ड के अनुसार किया गया था। उपकेन्द्र ग्रिड प्रणाली से जुड़े हुए थे एवं एक उपकेन्द्र में समस्या की स्थिति में निकटस्थ उपकेन्द्र द्वारा भार का प्रबन्धन किया गया था। तथ्य, फिर भी, यही रहा कि कम्पनी के एमटीपीसी के मानकों का उल्लंघन किया गया। यह भी पाया गया कि हरदोई की आपूर्ति पाँच दिनों तक बाधित रही क्योंकि 220/132 केवी उपकेन्द्र, हरदोई पर केवल एक ट्रान्सफार्मर स्थापित था।

**2.1.29** जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड (जेएएल) ने चुर्क में 4x60 एमडब्ल्यू कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु प्रस्ताव दिया और कम्पनी से 160 एमडब्ल्यू के ओपेन एक्सेस हेतु स्वीकृति का अनुरोध (जून 2010) किया। इसकी स्वीकृति (जुलाई 2010) इस शर्त के साथ दी गयी कि पारेषण हेतु आवश्यक अवसंरचना की लागत जेएएल द्वारा वहन की जायेगी। एकल ट्रान्सफार्मर के साथ 220/132 केवी उपकेन्द्र के निर्माण हेतु कम्पनी ने ₹ 25.45 करोड़ प्लस ₹ 3.82 करोड़ के सुपरविजन शुल्क हेतु प्राक्कलन प्रस्तुत किया। जेएएल के द्वारा सुपरविजन शुल्क कम्पनी के पास जमा किया गया एवं उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य जेएएल द्वारा किया जाना था।

हमने देखा कि केवल एक 160 एमवीए ट्रान्सफार्मर के साथ 220/132 केवी उपकेन्द्र का निर्माण एमटीपीसी के मानकों के प्रतिकूल था क्योंकि मानकों के अनुसार 160 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों की स्थापना की जानी थी। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा की निकासी हेतु ट्रान्सफार्मर की ट्रान्सफारमेशन क्षमता के 0.70 भारांक का भी अनुपालन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि 160 एमडब्ल्यू की ऊर्जा निकासी हेतु 160 एमवीए का ट्रान्सफार्मर पर्याप्त था। उत्तर इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है कि एमटीपीसी के प्रावधान के अनुसार तथा मानकों के अनुपालन में 160 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों की स्थापना की जानी थी।

#### वोल्टेज प्रबन्धन

**2.1.30** राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले अनुज्ञापति-धारकों को यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि ग्रिड वोल्टेज सदैव सीमा के अन्तर्गत बना रहे। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार, एसटीयू 400 केवी, 220 केवी एवं 132 केवी पर वोल्टेज रेन्ज क्रमशः 380-420 केवी, 198-245 केवी एवं 119-145 केवी बनाये रखना चाहिए। चार परिमण्डलों के 30 खण्डों की अप्रैल 2011

से मार्च 2012 अवधि की 220/132 केवी बस वोल्टेज की जाँच से पता चला कि 220 केवी के 34 उपकेन्द्रों में अभिलिखित वोल्टेज 162 केवी एवं 278 केवी के मध्य (पश्चिम पारेषण परिमण्डल में सबसे खराब स्थिति) रहा जबकि 132 केवी के 143 उपकेन्द्रों में अभिलिखित वोल्टेज 90 केवी एवं 185 केवी (सबसे खराब स्थिति पूर्व पारेषण परिमण्डल में) के मध्य रहा। गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध कराने एवं लाइन हानियों को कम करने हेतु कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानकों के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज बना रहे।

### लाइनें

#### ईएचटी लाइनें

**2.1.31** एमटीपीसी के अनुसार, अनुमन्य लाइन लोडिंग, सामान्यतः थर्मल लोडिंग लिमिट<sup>⊗</sup> (टीएलएल) से अधिक नहीं हो सकती है। ऊर्जाकृत कन्डक्टर के अन्तर्ग्रस्त तापमान को टीएलएल सीमित करता है एवं यह लाइनों की टेन्साइल स्ट्रेन्थ की हानि एवं सैग को कम करता है। लाइनों में अधिकतम ऊर्जा प्रवाह को टीएलएल सीमित करता है। एमटीपीसी के अनुसार एसीएसआर<sup>⊗</sup> पैन्थर 210 वर्ग मिमी कन्डक्टर के साथ 132 केवी लाइन का टीएलएल 366 एम्पियर होता है। 132 केवी पोषकों पर लाइन लोडिंग की जाँच से पता चला कि चार परिमण्डलों में 255 पोषकों में से 68 पोषकों (27 प्रतिशत) का भार 366 एम्पियर से अधिक था जिसमें अतिभारित पोषकों में से अधिकतम (34 प्रतिशत) पश्चिम पारेषण मण्डल से सम्बन्धित थे। क्षमता से अधिक लाइन लोडिंग के परिणामस्वरूप, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव उच्च पारेषण हानियाँ एवं बार-बार अवरोध/ब्रेकडाऊन की स्थिति उत्पन्न हुई।

#### बस बार प्रोटेक्शन पैनेल (बीबीपीपी)

**2.1.32** एक विद्युत उपकेन्द्र पर अन्तः गामी एवं बहिर्गामी लाइनों तथा ट्रान्सफार्मरों के अन्तर्संयोजन हेतु बस बार का एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बीबीपीपी सम्पूर्ण ऊर्जा नेटवर्क पर बस बार फाल्ट्स के प्रभाव को सीमित करता है जिससे अनावश्यक ट्रिपिंग नियंत्रित होती है एवं केवल उन्ही ब्रेकर्स की ट्रिपिंग होती है जो बस बार फाल्ट को दूर करने हेतु आवश्यक हो। ग्रिड मानकों एवं बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम के अनुसार, ग्रिड अवरोधों के दौरान, प्रणाली में स्थिरता बनाये रखने हेतु एवं 220 केवी बसों पर फाल्ट्स को दूर करने हेतु सभी 220 केवी उपकेन्द्रों पर बीबीपीपी कार्यशील अवस्था में रखना होता है। हमने देखा कि 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों (49 एकल बस बार उपकेन्द्र एवं 18 दो बस बार उपकेन्द्र) जहाँ कि बीबीपीपी स्थापित करने की आवश्यकता थी, कम्पनी ने 18 उपकेन्द्रों पर पैनेल स्थापित किये थे और शेष 49 उपकेन्द्रों पर बीबीपीपी अभी तक नहीं लगाये गये थे। यह देखा गया कि 18 उपकेन्द्र जहाँ कि बीबीपीपी उपलब्ध थे; केवल तीन कार्यशील अवस्था में थे और शेष 15 में से 12 पुराने एवं अप्रचलित हो गये थे तथा मरम्मत योग्य नहीं थे या अभी भी मरम्मत करना था। पूर्व पारेषण परिमण्डल इलाहाबाद तथा दक्षिण पारेषण परिमण्डल आगरा के अन्तर्गत कोई भी बीबीपीपी कार्यशील अवस्था में नहीं थे।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि बीबीपीपी की स्थापना/बदलने हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

### अनुरक्षण

#### हाट लाइन खण्ड/उपखण्डों के कार्यकलाप

**2.1.33** पारेषण प्रणाली के निर्बाधित संचालन हेतु इसकी नियमित एवं आवधिक अनुरक्षण अति महत्वपूर्ण है। लाइनों के अनुरक्षण हेतु लाइनों की समयबद्ध पैट्रोलिंग के अतिरिक्त देश में बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन को अद्यतन करने वाली समिति के प्रतिवेदन प्रस्तर 9.1 में निम्नलिखित तकनीक निर्धारित की गयी है:

- हाट लाइन अनुरक्षण

⊗ अधिकतम तापमान सीमा जिस पर कन्डक्टर, निर्माता द्वारा स्थापित मिनिमम टेन्साइल प्रापर्टीज बनाये रखते हुए, लगातार चल सकता है।  
 & एल्युमिनियम कन्डक्टर स्टील रिइन्फोर्स

- हाट लाइन वॉशिंग
- इन्सुलेटर्स का हॉट लाइन पंचर डिटेक्शन
- पोर्टिबल अर्थिंग हाट लाइन उपकरणों का प्रयोग करके रोधात्मक अनुरक्षण।
- लाइन का वाइब्रेशन मेजरमेन्ट
- थर्मो स्कैनिंग
- उपकरणों का प्रदूषण मापन।

हाट लाइन तकनीक (एचएलटी) में उपकेन्द्रों एवं लाइनों को बिना बन्द किये ही हाट स्पार्ट्स नट एवं बोल्ट को कसना, कंडक्टर में क्षति, इन्सुलेटरों का प्रतिस्थापन आदि जैसे अनुरक्षण सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करना होता है। इसके अन्तर्गत अवरोधात्मक अनुरक्षण हेतु सभी उपकेन्द्रों एवं लाइनों की थर्मो स्कैनिंग शामिल है। एचएलटी का भारत में सूत्रपात 1958 में किया गया। मार्च 2012 तक, कम्पनी के अन्तर्गत कोई भी हाट लाइन खण्ड एवं उपकेन्द्र नहीं थे। हमने देखा कि कम्पनी उपकेन्द्रों एवं लाइनों का रखरखाव अनुरक्षण की परम्परागत विधियों का प्रयोग करके करती है एवं इसने हाट लाइन अनुरक्षण तकनीक को नहीं अपनाया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि जब आवश्यकता पड़ेगी, आउट सोर्सिंग के द्वारा हाट लाइन अनुरक्षण कार्य कराया जायेगा।

### पारेक्षण हानियाँ

**2.1.34** पारेक्षण एवं वितरण (टीएण्डडी) नेटवर्क से होते हुए ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्रों से उपभोक्ता तक पहुँचाने के दौरान कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टीएण्डडी हानि के नाम से जाना जाता है। पारेक्षण हानि, उत्पादन केन्द्र/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा एवं डिस्काम्स को भेजी गयी ऊर्जा के अन्तर को माना जाता है। पारेक्षण हानियों का वर्ष 2007-08 से 2011-12 से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:

विवरण	इकाई	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पारेक्षण हेतु प्राप्त ऊर्जा	मि.यू.	53670.43	54580.10	58656.19	64116.61	72697.45
शुद्ध पारेषित ऊर्जा	मि.यू.	51472.14	52471.24	56413.62	61831.49	70029.47
वास्तविक पारेक्षण हानि	मि.यू.	2198.29	2108.86	2242.57	2285.12	2667.98
	प्रतिशतता	4.09	3.86	3.82	3.56	3.67
सीईए के अनुसार पारेक्षण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
यूपीईआरसी मानक के अनुसार पारेक्षण हानि का लक्ष्य	प्रतिशतता	5.00	5.00	4.00	टैरिफ आर्डर प्रतीक्षित	टैरिफ आर्डर प्रतीक्षित

स्रोत्र: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना।

कम्पनी ने, यूपीईआरसी से 2001-02 में पारेक्षण हानि को कम करने की प्रतिबद्धता के अन्तर्गत, वर्ष 2010 तक चार प्रतिशत तक पारेक्षण हानियों को कम करने का प्रस्ताव दिया था जिसे यूपीईआरसी ने अनुमोदित किया था। उपरोक्त से यह देखा जा सकेगा कि पारेक्षण हानियाँ कम हुईं और 2007-08 को छोड़कर यह सभी चार वर्षों में सीईए के चार प्रतिशत के मानक के अन्दर थीं और 2009-10 तक यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानक के भी अन्दर थीं।

### fxM i cu/ku

### ग्रिड का अनुरक्षण एवं एसएलडीसी का निशादन

**2.1.35** विद्युत उत्पादन केन्द्रों से डिस्काम्स/उपभोक्ताओं तक ऊर्जा की सुगम निकासी हेतु पारेक्षण एवं ग्रिड प्रबन्धन आवश्यक कार्य कहलाते हैं। ऊर्जा प्रणाली के अन्तर्गत विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता, कुशलता को ध्यान में रखने हेतु ग्रिड प्रबन्धन अन्तर्संयोजित ऊर्जा प्रणाली में पल-प्रति-पल ऊर्जा संतुलन सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबन्धन सीईए द्वारा निर्गत ग्रिड संहिता में दिये गये मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड पाँच क्षेत्रों यथा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी

एव दक्षिणी ग्रिड से मिलकर बना है, जिनमें प्रत्येक के अन्तर्गत एक रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (आरएलडीसी) होता है जो कि सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन सुनिश्चित करने हेतु एक उच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर, लखनऊ (एसएलडीसी) जो कि उत्तरी रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (एनआरएलडीसी) का अंग है, राज्य के अन्तर्गत ऊर्जा प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित (जनवरी 2011) किया कि एसएलडीसी का संचालन कम्पनी द्वारा किया जायेगा। आँकड़ों के संग्रहण एवं इसे एसएलडीसी को हस्तान्तरण करने तथा 132 केवी एवं 33 केवी उपकरणों के ऊपर पर्यवेक्षणीय नियंत्रण हेतु एसएलडीसी की सहायता चार एरिया लोड डिस्पैच सेन्टर (एएलडीसी) द्वारा की जाती है। एसएलडीसी, राज्य के अन्दर विद्युत पारेषण हेतु यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित शुल्क एवं प्रभार, विद्युत उत्पादन कम्पनियों तथा अनुज्ञापतिधारी पर आरोपित एवं संग्रहीत करती है।

### लोड मानीटरिंग हेतु अवसंरचना

357 ea l s d o y  
93 1/2 6-05  
i fr kr 1/2 mi d b n k a  
i j f j ; y V k b e  
M K V k f j d k M Z d j u s  
g s r q v k j V h ; 11 c h  
0 ; o L F k F k h A

**2.1.36** सभी उपकेन्द्रों के लिए ग्रिड मानकों के अनुसार लोड डिस्पैच सेन्टर में आपातकाल के दौरान, पारेषण प्रणाली की कुशलता एवं लोड की मॉनीटरिंग हेतु रिमोट टर्मिनल युनिट / सब-स्टेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (आरटीयू/एसएमएस) आवश्यक हैं। हमने देखा कि 765 केवी/400केवी/220केवी/132 केवी के 357 उपकेन्द्र एवं नौ जनरेटर जिनमें से 765 केवी/400 केवी/220 केवी/132 केवी के 93 उपकेन्द्रों (26.05 प्रतिशत) तथा सभी नौ जनरेटरों के अन्तर्गत कुशल ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली हेतु रियल टाइम डाटा रिकार्ड करने के लिए आरटीयू की व्यवस्था थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि विभिन्न उपकेन्द्रों पर आरटीयू की स्थापना का कार्य प्रगति पर था।

### फ्रिक्वेंसी प्रबन्धन द्वारा ग्रिड अनुासन

**2.1.37** ग्रिड कोड के अनुसार, ग्रिड के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए पारेषण उपक्रमों को ग्रिड अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है। ग्रिड के सभी सम्बन्धित सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सिस्टम फ्रिक्वेंसी 49 एवं 50.5 हर्ट्ज (1 अप्रैल 2009 से 49.2 एवं 50.3 हर्ट्ज) के बीच बनाये रखें। विभिन्न कारणों जैसे कि उत्पादन क्षमता में कमी, उच्च माँग, भार उत्पादन संतुलन बनाये रखने में, ग्रिड अन-अनुशासन, अपर्याप्त लोड मानीटरिंग एवं प्रबन्धन से ग्रिड फ्रिक्वेंसी अनुमोदित फ्रिक्वेंसी स्तर से कम या ज्यादा होती है। ग्रिड अनुशासन के कार्यान्वयन के लिए, एसएलडीसी तीन प्रकार के खंडन संदेश (अ,ब, एवं स) जारी करता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 50 एमडब्ल्यू अथवा 10 प्रतिशत शिड्यूल से ऊपर जो भी कम हो तो संदेश अ जारी होता है। जब फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 10 मिनट से अधिक 50 एवं 200 एमडब्ल्यू के बीच हो या पाँच मिनट से अधिक 200 एमडब्ल्यू हो तो खण्डन संदेश ब जारी होता है। जब संदेश ब जारी होने के 15 मिनट के पश्चात् फ्रिक्वेंसी 49.2 हर्ट्ज से नीचे एवं ओवर ड्राल 100 एमडब्ल्यू अथवा शिड्यूल के 10 प्रतिशत से अधिक हो तब संदेश स जारी होता है। हमने देखा कि वर्ष 2010-11 (अगस्त 2010 से मार्च 2011) में 103 संदेश (अ-42, ब-40 एवं स-21) प्राप्त हुए थे जो कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012<sup>®</sup> के बीच बढ़कर 147 (अ-80, ब-67 एवं स-0) हो गये थे।

v c , o a l  
l a n s k a d h l d ; k  
c < + t k u k f x M  
v u q k l u d s  
m Y y a k u d k  
l a d r d j r k g f  
f t l d s Q y L o : l k  
v f k h . M y x k A

इस प्रकार, अ एवं ब संदेशों की संख्या बढ़ जाने कारण सीईआरसी ने अर्थदण्ड लगाया जिसका विवरण नीचे है:

### ग्रिड अनुासन

**2.1.38** ग्रिड अनुशासन बनाये रखने के लिए, सीईआरसी ग्रिड से निम्न फ्रिक्वेंसी पर विद्युत की अधिक निकासी करके, ग्रिड को खतरे में डालने के लिये स्वतः संज्ञान लेती है। कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण ₹ 9.10 करोड़ का अर्थदण्ड का भुगतान किया जो कि निम्न प्रकार से है:

<sup>®</sup> मुरादाबाद कन्ट्रोल, सारनाथ कन्ट्रोल, पनकी कन्ट्रोल एवं मोदीपुरम कन्ट्रोल।

<sup>®</sup> अप्रैल 2007 से जुलाई 2010 की अवधि के अमिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

क्र.सं.	वर्ष	लेखापरीक्षा की तिथि	लेखापरीक्षा की प्रस्तुत नहीं किया गया।	वर्षावधि (महीने)
1	30 सितम्बर 2008 से 26 अक्टूबर 2008		लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	1.75
2	13 अप्रैल 2009 से 10 मई 2009		लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	2.57
3	11 जून 2009 से 19 जून 2009		लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	4.62
4	1 अप्रैल 2010 से 9 अप्रैल 2010		लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।	0.16

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना)

कम्पनी ने अपने एमआईएस प्रणाली में ग्रीड के वार्षिक निष्पादन में प्राप्त संदेशों की संख्या/जुर्माना/आरोपित अर्थदण्ड के बारे में निदेशक मण्डल को अवगत कराने हेतु व्यवस्था नहीं करी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विद्युत की उपलब्धता एवं माँग में भारी अन्तर के कारण संदेश प्राप्त हुए थे लेकिन अब इसमें रुझान गिरावट की तरफ है। तथापि, प्रतिदिन के आधार पर ग्रीड की निष्पादन एवं प्राप्त संदेशों की संख्या निदेशकों को अवगत कराने हेतु एमआईएस सिस्टम की व्यवस्था पहले से ही है लेकिन चूँकि फैक्स पेपर दो माह से अधिक नहीं रहता है, अतः, अगस्त 2009 से पहले प्राप्त हुए संदेशों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि संदेशों की प्राप्ति ग्रीड अनुशासन के उल्लंघन का द्योतक था एवं निदेशक मण्डल को एमआईएस द्वारा अवगत नहीं कराया गया।

### बैंकिंग डाउन निर्देश (बीडीआई)

**2.1.39** जब फ्रिक्वेंसी आदर्श स्तर से बढ़ जाती है, जैसे कि उस स्थिति में जब उत्पादन अधिक एवं निकासी कम होती है (50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी पर) तब एसएलडीसी विद्युत उत्पादकों को बैंकिंग डाउन के निर्देश जारी करते हुए कार्यवाही करता है कि वे एकीकृत ग्रीड संचालन के लिए उत्पादन कम करें जिससे राज्य में ऊर्जा प्रणाली को मितव्ययी एवं प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। एसएलडीसी के निर्देशों का पालन न करने में विद्युत उत्पादकों की विफलता ग्रीड कोड का उल्लंघन माना जायेगा और यह अर्थदण्ड लगाये जाने योग्य होगा। कम्पनी ने निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 32 मामलों में 117.559 मि.यू. के लिये बीडीआई जारी किया जिसका उत्पादनकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया गया।

### आपदा प्रबन्धन

**2.1.40** आपदा प्रबन्धन (डीएम) का उद्देश्य सिस्टम पर बड़े ब्रेक डाउन का प्रभाव न पड़ने देना और इसे कम समय में पूर्व अवस्था में लाना है। बेस्ट प्रैक्टिसेज के अनुसार मेजर फेल्योर की घटना पर, पारिषण प्रणाली को तत्काल पूर्व अवस्था में लाने हेतु सभी ऊर्जा उपक्रमों में डीएम स्थापित किया जाना चाहिए। यह डीजल जनरेटर सेट, गाडियों, अग्नि-शमक यंत्रों, कुशल एवं विशिष्ट मानव संसाधन के द्वारा किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र, नेशनल लोड डिस्पैच सेन्टर, नई दिल्ली, आपदा की स्थिति में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष द्वारा जब कभी आवश्यकता बतायी गयी, कम्पनी द्वारा, आपदा प्रबन्धन के एक भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट\* के दौरान उत्पादक केन्द्रों को स्टार्ट अप करने के लिए मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा था। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में इस तरह की कोई माँग नहीं की गई थी। तथापि, 400 केवी उपकेन्द्रों में साप्ताहिक आधार पर मॉक ड्रिल किया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि पारिषण के ब्रेक डाउन के दौरान शीघ्र पूर्व अवस्था में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये थे। टावर के फेल होने की दशा में नियंत्रण हेतु इमर्जेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम (ईआरएस) का क्रय किया जा रहा था।

### आपदा प्रबन्धन हेतु अपर्याप्त सुविधायें

**2.1.41** एसएलडीसी ने राज्य में नौ बड़े उत्पादन केन्द्रों की पहचान की जिसमें से एक उत्पादन केन्द्र (अनपरा तापीय विद्युत परियोजना में रिहन्द जल विद्युत केन्द्र द्वारा) में ब्लैक स्टार्ट सुविधायें उपलब्ध थीं जो कि आपदा प्रबन्धन की अपर्याप्त तैयारी को दर्शाता है।

\* अल्प या पूर्ण ब्लैक आउट से बाहर निकलने की आवश्यक प्रक्रिया।



डीजल जनरेटर सेट (डीजी) और सिन्क्रोस्कोप्स,<sup>&</sup> बड़े उत्पादन केन्द्रों से जुड़े हुए ई.एच.टी. उपकेन्द्रों पर, आपदा प्रबन्धन के भाग हैं। कम्पनी ने 220 केवी के 67 उपकेन्द्रों की पहचान (मार्च 2012) की जिसमें से सिर्फ छः डीजल जनरेटर उपलब्ध थे जो कि कार्य करने की स्थिति में थे जबकि केवल 11 सिन्क्रोस्कोप्स उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने पहचान करने वाले मेटल डिटेक्टर की स्थापना का प्रावधान नहीं किया एवं आतंकी आक्रमण, हड़तालियों से यंत्रों की सुरक्षा, बम की धमकियों से बचाने के लिए उपकेन्द्र स्थलों को सुरक्षा बलों के हवाले नहीं किया था। आपदा प्रबन्धन की पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान न करके कम्पनी ने आपदा अथवा धमकियों/आक्रमण की परिस्थिति में अपनी परिसम्पत्तियों को जोखिम में डाल रखा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ब्लैक स्टार्ट सुविधायें अनपरा-ओबरा काम्प्लेक्स में रिहन्द जल विद्युत स्टेशन के माध्यम से एवं पारीक्षा तापीय विद्युत स्टेशन में माताटीला जल विद्युत केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध थीं। इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि 220 केवी उपकेन्द्रों पर सिन्क्रोनाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी और विद्युत उत्पादन स्टेशनों अथवा उच्च वोल्टेज उपकेन्द्रों पर सिन्क्रोनाइजेशन किया गया था।

### सीईए की संस्तुतियों को लागू न करना

**2.1.42** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम से सम्बन्धित समिति के प्रस्तावों का अनुपालन राज्य/केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों द्वारा किये जाने हेतु संस्तुत किया (जनवरी 2002) था। समिति की संस्तुतियों के अनुसार, ट्रान्सफार्मरों/रिएक्टरों के बीच का खाली स्थान विशिष्ट सीमा से कम होने पर, आग लगने की स्थिति में एक दूसरे के प्रभाव से बचाने हेतु, दोनों के बीच फायर-वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए।

हमने देखा (अप्रैल 2012) कि 132/33 केवी उपकेन्द्र चाँदपुर, बिजनौर में, 33/11 केवी के 5 एमवीए ट्रान्सफार्मर का (वितरण विंग का) 11 केवी बुशिंग नष्ट होने के कारण एक अग्नि दुर्घटना हुई (23 जून 2009)। 5 एमवीए ट्रान्सफार्मर के पास रखा हुआ एक अतिरिक्त 20 एमवीए 132/33 केवी ट्रान्सफार्मर में भी आग लग गयी और 40 एमवीए 132/33 केवी के कार्यरत ट्रान्सफार्मर में भी आग पकड़ ली। चूँकि 5 एमवीए, 20 एमवीए एवं 40 एमवीए ट्रान्सफार्मर के बीच फायर-वॉल निर्मित नहीं था, ये ट्रान्सफार्मर पूर्ण रूप से जल गये। जैसा कि बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम में प्रावधानित है, यदि खण्ड ने ट्रान्सफार्मरों के बीच फायर-वॉल का निर्माण किया गया होता तो 20 एमवीए एवं 40 एमवीए के दो ट्रान्सफार्मरों को नष्ट होने से बचाया जा सकता था।

### आँकलन, बाँकलन, बाँकलन

**2.1.43** ऊर्जा का लेखांकन एवं लेखापरीक्षा पारेषण हानियों को आँकलन करने एवं कम करने के लिए, आवश्यक है। पारेषण हानियों की संगणना, मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेन्ट (एमआरआई) से प्राप्त रीडिंग के आधार पर, उत्पादन से पारेषण (जीटी) एवं पारेषण से वितरण (टीडी) सीमा के बीच लगे मीटरों के आधार पर की जाती है। वर्ष 31 मार्च 2012 तक, वहाँ पर 853 इण्टरफेस बाउंड्री मीटरिंग बिन्दुओं पर जिसमें कि टीडी (774) एवं जीटी (79) बिन्दुओं पर 0.2 की शुद्धता वाले मीटरों की व्यवस्था की गयी थी। हमने पाया की वे पर्याप्त थे।

### मीटरिंग, मीटरिंग

**2.1.44** राष्ट्रीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय टर्न-एराउण्ड एवं वाणिज्यिक वाइबिल्टी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। वर्ष 2011-12 तक समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:

<sup>&</sup> एसी, विद्युत ऊर्जा प्रणाली में यह एक यंत्र होता है जो उस डिग्री का संकेत करता है जिस पर दो सिस्टम जनरेटर या पावर नेटवर्क एक दूसरे से सिन्क्रोनाइज किये जाते हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10 %वृद्धि	2010-11 %वृद्धि	2011-12 %वृद्धि
प्रदत्त पूँजी (शेयर एप्लोकेशन मनी को शामिल करते हुए)	2213.34	2641.89	3533.45	4033.45	4442.51
संचय एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान को शामिल करते हुए)	283.30	322.13	380.43	386.77	406.92
उधारियाँ (ऋण कोष)	2466.18	2382.61	2805.08	3448.92	5477.33
चालू देयतायें एवं प्रावधान	1061.06	1355.58	1814.19	2346.06	3126.27
कुल पूँजी	6023.88	6702.21	8533.15	10215.20	13453.03
सकल स्थाई परिसम्पतियाँ	5786.28	6422.93	7131.51	7412.78	7952.30
घटाया: हास	2192.48	2476.59	2731.05	3020.23	3361.92
निवल परिसम्पतियाँ	3593.80	3946.34	4400.46	4392.55	4590.38
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी)	798.36	979.46	1062.60	2167.40	4105.48
चालू परिसम्पतियाँ, ऋण एवं अग्रिम (सीए) प्रारम्भिक व्यय को शामिल करते हुए	640.64	775.20	1998.53	2480.00	3573.35
लाम एवं हानि (डेबिट शेष)	991.08	1001.21	1071.56	1175.25	1183.82
कुल पूँजी अनुपात	1.11:1	0.90:1	0.79:1	0.86:1	1.23:1
व्याज (निवल पूँजीकृत आईडीसी <sup>1</sup> )	161.89	161.40	167.54	209.65	244.30
कर पूर्व लाम / हानि	(-) 14.42	(-) 9.81	(-) 70.35	(-) 103.69	(-) 8.56
कुल रिटर्न	(-)829.19	(-)840.05	(-)904.02	(-)965.60	(-) 939.52
निवेशित पूँजी	3971.74	4345.42	5647.41	6693.90	9192.94
निवेशित पूँजी पर प्रतिलाम (प्रतिशतता)	(-)20.88	(-)19.33	(-)16.01	(-)14.43	(-) 10.22

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गई सूचना)

जैसा कि देखा गया कि कम्पनी को 2007-08 से 2011-12 के सभी पाँच वर्षों में हानि हुई है। संचित हानि वर्ष 2007-08 में ₹ 991.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 1,183.82 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि में कम्पनी का ऋण अंश पूँजी अनुपात 1.11:1 से बढ़कर 1.23:1 हो गया। कम्पनी की 31 मार्च 2012 को उधारियाँ ₹ 5,477.33 करोड़ हो गईं।

हमने इसके अतिरिक्त यह भी पाया कि:

- वर्ष 2007-08 से 2011-12 में विविध देनदारियाँ असामान्य रूप से 800.67 प्रतिशत बढ़ गयीं। असामान्य रूप से बढ़े देनदारों का मुख्य कारण वर्क मेमो क्रेडिट (डब्ल्यूएमसीआर) अर्थात् देनदारियों के लेखाओं द्वारा समायोजन होना था। ऐसे लेखाओं का समायोजन, समयानुसार नहीं किया जा रहा था।
- देनदारों से खराब वसूली होने से कम्पनी को उधार निधियों पर निर्भरता 122.10 प्रतिशत बढ़ गई इसके फलस्वरूप ब्याज एवं वित्तीय लागतों में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में 50.90 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई।

**2.1.45** वर्ष 2011-12 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों से सम्बन्धित विस्तृत कार्यचालन परिणाम जैसे राजस्व वसूली, निवल आधिक्य/हानि एवं प्राप्ति एवं पारेषण की प्रति युनिट लागत का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10 %वृद्धि	2010-11 %वृद्धि	2011-12 %वृद्धि
1	राजस्व	680.22	758.17	744.30	790.39	1028.55
	अन्य आय (ब्याज/कुल आय सब्सिडी शामिल करते हुये)	11.34	22.78	24.54	40.30	31.24
	कुल राजस्व	691.56	780.95	768.84	830.69	1059.79
2	स्थापित क्षमता (एमवीए)	38254	41717	44895	48984	53338
(ब)	उत्पादन इकाइयों से प्राप्त ऊर्जा (एमयू)*	53670.43	54580.10	58656.19	64116.61	72697.45
(स)	पारेषण हानियाँ (एमयू)	2198.29	2108.86	2242.57	2285.12	2667.98
	कुल परिसम्पतियाँ	51472.14	52471.24	56413.62	61831.49	70029.47
3	कर्मचारी लागत	193.53	256.10	261.82	266.31	236.63

\* निर्माण अवधि का ब्याज।

• प्राइवेट उत्पादन को शामिल करते हुए।

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	9.92	7.03	7.28	3.57	12.24
(iii)	ह्रास	253.79	278.26	285.50	310.93	358.48
(iv)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	161.89	161.40	168.45	209.65	244.30
	कुल (ii+iii+iv)	619.13	702.79	723.05	790.46	851.65
(C)	निर्धन					
(i)	मरम्मत एवं अनुरक्षण	66.53	64.12	86.06	101.74	127.92
(ii)	अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	13.79	8.45	31.23	39.92	87.94
	कुल (i+ii)	80.32	72.57	117.29	141.66	215.86
(स)	वसूली 3%	699.45	775.36	840.34	932.12	1067.51
4	वसूली (₹ प्रति युनिट)	0.1322	0.1445	0.1319	0.1278	0.1469
5	स्थाई लागत (₹ प्रति युनिट)	0.1203	0.1339	0.1282	0.1278	0.1216
6	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति युनिट)	0.0156	0.0138	0.0208	0.0229	0.0308
7	कुल लागत (₹ प्रति युनिट) (5+6)	0.1359	0.1477	0.1490	0.1507	0.1524
8	अंशदान (₹ प्रति युनिट) (4-6)	0.1166	0.1307	0.1111	0.1049	0.1161
9	अंशदान प्रति युनिट (₹) (7-8)	(-0.0037)	(-0.0032)	(-0.0171)	(-0.0229)	(-0.0055)


(स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखे)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रति इकाई वसूली 13.22 पैसे से बढ़कर 14.69 पैसे हो गयी (11.12 प्रतिशत) और उसी अवधि में प्रति इकाई लागत 13.59 पैसे से बढ़कर 15.24 पैसे (12.14 प्रतिशत) हो गयी। अग्रेतर, प्रति इकाई अंशदान भी 2007-12 के दौरान 1.28 प्रतिशत से घट गया।

उपर्युक्त सारणी से यह भी स्पष्ट था कि 2011-12 में लागत के मुख्य अवयवों में कार्मिक लागत, ह्रास, ब्याज एवं वित्त प्रभार तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रभार सम्मिलित थे जो उस वर्ष कुल लागत के क्रमशः 22.17, 33.58, 22.89 तथा 11.98 प्रतिशत थे। दूसरी तरफ, 2011-12 में ऊर्जा के प्रेषण से प्राप्त राजस्व तथा अन्य आय राजस्व के मुख्य अवयव थे जो उस वर्ष कुल राजस्व का क्रमशः 97.05 एवं 2.95 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते थे।


### संचालन-लागत की वसूली

2.1.46 वर्ष 2011-12 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान, कम्पनी संचालन लागत वसूल करने में समर्थ नहीं रही, जिसे निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है:




### लागत के अवयव

2.1.47 वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित लागत के मुख्य अवयवों के प्रतिशतता का विवरण निम्नवत् किया गया है:



### राजस्व के अवयव

2.1.48 पारेषण शुल्क राजस्व का मुख्य अवयव था। वर्ष 2011-12 हेतु राजस्व प्रतिशतवार विवरण निम्न वृत्त चित्र में दिया गया है।



### टैरिफ निर्धारण

2.1.49 कम्पनी की वित्तीय वाईबिलिटी, विवेकपूर्ण वित्तीय व्यावहारिकता को अपनाकर, अपनी संचालन आवश्यकता एवं भावी पूँजी विस्तार कार्यक्रमों हेतु वित्तीय पोषण, संचालन कार्यों से आधिक्य सृजन (उचित रिटर्न सहित) पर निर्भर करती है। कम्पनी के लिए राजस्व-संग्रह कोष सृजन का महत्वपूर्ण स्रोत है।

यूपीईआरसी (पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) रेगुलेशन, 2006 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पारेषण व्यवसाय से सम्बन्धित लागत की पूर्ति हेतु आवश्यक राजस्व के लिये कम्पनी यूपीईआरसी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता

(एआरआर) प्रस्तुत करती है, जो कि टैरिफ एवं प्रभारों के माध्यम से वसूली हेतु यूपीईआरसी द्वारा अनुमन्य होता है। इस प्रकार, कम्पनी में राजस्व का मुख्य स्रोत पारेषण एवं एसएलडीसी प्रभार होता है।

कम्पनी का टैरिफ स्ट्रक्चर, निर्धारित तिथि के अन्दर प्रस्तुत एआरआर याचिका के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हों, के पश्चात् यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित संशोधन के अधीन रहता है। कम्पनी द्वारा प्रति वर्ष, उस वर्ष के प्रारम्भ से 120 दिन पूर्व एआरआर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यूपीईआरसी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को, ऐसे संशोधनों/शर्तों के साथ जो न्यायसंगत एवं उपयुक्त हों तथा जन-सामान्य एवं अन्य हित धारकों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के बाद, स्वीकार करता है। निम्न-सारणी, एआरआर प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि, फाइल करने की वास्तविक तिथि, टैरिफ याचिका के अनुमोदन की तिथि एवं संशोधित टैरिफ के लागू होने की तिथि दर्शाती है:

वर्ष	ऑफर दिनांक/प्रस्तुत तिथि	ऑफर दिनांक/प्रस्तुत तिथि	विलम्ब (दिन)	अनुमोदन तिथि	प्रतिस्थापित तिथि
2007-08	30 नवम्बर 2006	4 अक्टूबर 2007	307	15 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2007
2008-09	30 नवम्बर 2007	4 अक्टूबर 2007	विलम्ब नहीं	15 अप्रैल 2008	1 अप्रैल 2008
2009-10	30 नवम्बर 2008	31 जुलाई 2009	242	31 मार्च 2010	1 अप्रैल 2009
2010-11	30 नवम्बर 2009	28 मार्च 2011	482	अनुमोदन होना बाकी	उपलब्ध नहीं
2011-12	30 नवम्बर 2010	28 मार्च 2011	117	अनुमोदन होना बाकी	उपलब्ध नहीं

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 2008-09 के अतिरिक्त सभी वर्षों में 117 से 482 दिनों के विलम्ब से एआरआर फाइल किया गया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि चूँकि एआरआर को तैयार करने में कम्पनी की परिसम्पत्तियों, दायित्वों, ऋणों विनियोग इत्यादि से सम्बन्धित अधिकाधिक आँकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, इन आँकड़ों के संकलन एवं अन्तिमीकरण का कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के अन्तर्गत वृहद पुनर्संरचना का कार्य चल रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पारेषण हेतु एआरआर प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ से ही यूपीपीसीएल के द्वारा किया जा रहा था। सभी सम्बन्धित आँकड़े यूपीपीसीएल के पास उपलब्ध थे और इसका ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्संरचना का कोई सम्बन्ध नहीं था।

**2.1.50** कम्पनी द्वारा किये गये एआरआर प्रस्तावों एवं आयोग द्वारा अनुमोदन का विवरण निम्नवत् दिया गया है।

वर्ष	विवरण					
	वर्ष 2007-08			वर्ष 2008-09		
	आय	लाभ	विलम्ब	आय	लाभ	विलम्ब
2007-08	53026	1015.31	0.191	51573	679.44	0.132
2008-09	55064	1272.09	0.231	55411	1195.12	0.216
2009-10	54345	746.47	0.137	54183	680.51	0.126
2010-11	61217	942.37	0.154	टैरिफ आदेश प्रतीक्षित		
2011-12	69788	1069.77	0.153	टैरिफ आदेश प्रतीक्षित		

(स्रोत: टैरिफ आदेश)

अग्रेतर, विनियमन के अनुसार, जब कभी नियंत्रणीय मदों (ओएण्डएम, विनियोजित पूँजी पर रिटर्न, ह्रास एवं गैर-टैरिफ आय) के अन्तर्गत लाभ अथवा हानि (आधिक्य/कमी) हो तो कम्पनी आयोग के समक्ष टैरिफ आर्डर का टू-अप प्रस्तुत करेगी। आयोग,

सम्प्रेक्षित लेखाओं के आधार पर, पारेषण प्रभारों की दरों में वृद्धि या कमी कर सकता है।

Lkj dklj ds funk i j  
dEi uh us 2007&08  
ds Vsj Q vkmj ds  
V&vi ea ₹ 278.24  
dj km+ dk bfDoVh i j  
fj VuL "kkfey ugha  
fd; k ftI dsfy,  
I j dklj I snkok ugha  
fd; k x; kA

हमने देखा कि कम्पनी ने केवल 2007-08 तक ही टू-अप<sup>V</sup> फाइल किया था जिसे यूपीईआरसी द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित किया गया क्योंकि कम्पनी द्वारा असम्प्रेक्षित लेखाओं के आधार पर टू-अप फाइल किया गया था। कम्पनी ने, 2007-08 के सम्प्रेक्षित लेखाओं की उपलब्धता के बाद भी 2007-08 हेतु अन्तिम टू-अप फाइल नहीं किया था। आगे, यह भी देखा गया कि यूपीईआरसी ने यद्यपि कि 2007-08 के टैरिफ आर्डर के अन्तर्गत इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) ₹ 278.24 करोड़ अनुमन्य किया था, कम्पनी ने शासन के निर्देश पर उस धनराशि को 2007-08 के टू-अप में सम्मिलित नहीं किया। उस धनराशि हेतु शासन के समक्ष दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में टैरिफ-आर्डर के अन्तर्गत, यूपीईआरसी ने कार्मिक लागत, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय एवं ब्याज व वित्तीय प्रभारों से सम्बन्धित धनराशि क्रमशः ₹ 71.39 करोड़ और ₹ 31.34 करोड़ को बिना कोई कारण बताये अननुमन्य कर दिया।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि राज्य सरकार की इनर्जी टास्क फोर्स (ईटीएफ) ने 18 सितम्बर 2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया था कि एआरआर के अन्तर्गत आरओई को शामिल करने से पारेषण टैरिफ बढ़ जायेगा जिसके कारण अन्ततः वितरण टैरिफ भी बढ़ जायेगा। हमारा मन्तव्य यह है कि राज्य सरकार के ईटीएफ के निर्णयानुसार आरओई की धनराशि शामिल नहीं की गयी थी, अतः राज्य सरकार से इस धनराशि की माँग की जानी चाहिए थी।

## I kexh i cl/ku

**2.1.51** सामग्री प्रबन्धन के मुख्य कार्य हैं इन्वेन्ट्री नियंत्रण नीति का निर्धारण, सामग्री का क्रय एवं अप्रचलित इन्वेन्ट्री का निस्तारण। बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ट्रान्समिशन सिस्टम में सुझाव दिया गया है कि अनुभव एवं स्पेअर्स की उपभोग दर के आधार पर, कम्पनी को स्पेअर्स के क्रय एवं भण्डारण हेतु मानक विकसित करना चाहिए। स्पेअर्स का क्रय एवं भण्डारण लाइन एवं उपकेन्द्र स्तरों तथा क्षेत्रीय स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए था। कम्पनी ने मितव्ययी क्रय एवं इन्वेन्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु किसी क्रय नीति एवं इन्वेन्ट्री नियंत्रण तंत्र का सूत्रपात नहीं किया था।

**2.1.52** कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित प्रकाश में आये:

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि से सम्बन्धित प्रारम्भिक स्टॉक, क्रय, निर्गमन एवं अन्तिम स्टॉक का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ djkM/e)

o'z	mi Hksx ¼ fro'kz	mi Hksx ¼ frekg½	"kq vflre LVWd %kffrBd fpBBs ds vuq kj½	ekg eami Hksx ds I UnHr ea vflre LVWd
2007-08	237.61	19.80	290.17	15
2008-09	262.10	21.84	348.76	16
2009-10	218.72	18.23	383.03	21
2010-11	331.88	27.66	456.29	16
2011-12	552.91	46.08	606.51	13

(स्रोत: कम्पनी के वार्षिक लेखे)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि:

<sup>V</sup> टैरिफ के अन्तिम अनुमोदन हेतु कम्पनी द्वारा फाइल की गयी याचिका।



- अन्तिम स्टॉक ₹ 290.17 करोड़ (2007-08) से 109.02 प्रतिशत बढ़कर ₹ 606.51 करोड़ (2011-12) हो गया। उपरोक्त शेष इस बात के संकेतक थे कि उपभोग हेतु सामग्री की उपलब्धता 13 से 21 महीनों के लिए था।
- निदेशक मण्डल (बीओडी) के आदेश (अक्टूबर 2009) के बावजूद भी, वर्ष 2001 से पड़े हुए क्षतिग्रस्त एवं अभितव्ययी 5 एमवीए से 150 एमवीए के 51 ट्रान्सफार्मरों का निस्तारण कम्पनी ने नहीं किया था।
- सामग्री के क्रय हेतु निर्णय करने से पूर्व, सामग्री की आवश्यकता के सम्बन्ध में पुनरादेश स्तर एवं इन्वेंट्री-मानक के निर्धारण हेतु कम्पनी ने कोई विश्लेषण नहीं किया था। इस प्रकार, कम्पनी ने आवश्यकता से अधिक सामग्री का क्रय करके अपनी पूँजी, स्टॉक में अवरुद्ध कर दिया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि सभी क्रय, आवश्यकता के अनुरूप किये गये थे, जिनमें पारेषण नेटवर्क में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्तिम स्टॉक 13 से 21 महीनों के उपभोग के बराबर था जो स्वतः इस बात का द्योतक था कि नियोजित ढंग से क्रय नहीं किया गया था।

### इन्वेंट्री प्रबन्धन

**2.1.53** कम्पनी के नियंत्रण के अन्तर्गत, परिमण्डल स्तर पर कोई एरिया स्टोर नहीं था। उपखण्ड स्तर पर कनिष्ठ अभिन्यताओं (जेई) के स्टोर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन (पीवी) किया जा रहा था।

विगत पाँच वर्षों से सम्बन्धित चारों परिमण्डलों के 28 खण्डों द्वारा प्रस्तुत अगतिशील, आधिक्य, अप्रचलित, अकार्यात्मक एवं स्क्रेप सामग्री का मूल्य निम्नवत् दिया गया है:

वर्ग	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आधिक्य/अप्रचलित/अकार्य योग्य/स्क्रेप	9.59	6.64	7.74	9.56	11.64
अगतिशील	2.63	2.33	3.21	4.71	1.69
<b>कुल</b>	<b>12.22</b>	<b>8.97</b>	<b>10.95</b>	<b>14.27</b>	<b>13.33</b>

(स्रोत: प्रबन्धन द्वारा दी गयी सूचना)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है, आधिक्य, अप्रचलित एवं अगतिशील स्टॉक के मूल्य में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। कम्पनी ने स्क्रेप अप्रचलित सामग्री के सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा उनके निस्तारण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी, जिससे कि राजस्व अर्जित किया जा सकता था एवं अन्य सामग्रियों के भण्डार हेतु खाली स्थान उपलब्ध हो सकता था।

### संयोजक

- दई उह फु; क्त्र {केरक ऑफ) द्क इक्लर द्जुस एा फोय् ज्घ् फ्तल्लस 13 लस 82 इफ्र क् दसे/; ह्क्ज् देह फ्हा
- {केरक ऑफ) लसल ईक्फु/क् इफ्ज्; क्स्तुक, ज् ले; क्फ/ड; , एा य्क्खर व्क/कड; द्क ल क्फ्क इक्क ग्घ् फ्तल्लस; ग् ब्फ्खर ग्घ्क फ्द इफ्ज्; क्स्तुक, अ फेरड; ; ह्ज् द्क क्क्खर क्क ड्क , एा इ ह्क्को क्क्ख ह्क्ख लस फु'इ क्फ्न् उग्हा ध्ख; ह् फ्क्हा
- आत्कल्ल फुदकल्ल इक्क क्क्ख द्कस फुक्क द्कस फो|क् म्क्क इक्क; क्स्तुक द्क ल क्फ्क ल एफुक्क द्जुस एा दई उह फोय् ज्घ्] आत्कल्ल फुदकल्ल ह् ध् 0; ओल्ल क्क फो|कु इक्क क्क इक्क क्क्ख द्कस क्क/; ए लस फ्द; क्ख; क् फ्तल्लस म्कल्ल इक्क क्क्ख इक्क व्फ्र्फ्ज् ड्क् ह्क्क म्क्क क्क्ख; क्क
- म्कल्ल ड्कल्ल, एा य्क्कुक द्कस फुक्क क्क फुक ल एफ्फ्र ह्क्क व्को; द्क द्कस फ्द; क्ख; क् फ्तल्ल द्क इक्क क्कल्ल: इ म्कल्ल ड्कल्ल व्क्क म्कल्ल; क्त्र ज्ग्हा

- i kjsk.k fu; kstu dl kSV; ka l s l EcfU/kr eSuqvy ea iko/kku ds cktin dEi uh us , d VKUI Okej ds l kFk mi dlnka dk fuekz.k fd; k vjg vuqpl; {kerk l s vf/kd ds mi dlnz dk fuekz.k fd; kA
- okVst izlU/ku iz.kkyh fxM l figrk ea mfVyf [kr ekudka ds vuq lk ugha Fkh rFkk fxM vuqkkl u dk ikyu ugha fd; k x; k FkkA
- vkin k izlU/ku grq dElkuh ds i kl lk; klr l j {kk mi k; , oa volkij puk ugha FkhA
- dEi uh us okf'kd jktLo vko ; drk 117 l s 482 fnuka ds foyEc l s Okby fd; kA

### l Lrqr; k

- dEi uh dks {kerk of) grq okf'kd ; kstuk dk fØ; kko; u , oa i Hkkoh vuqlo.k ds l kFk fu; kFtr i fj; kstukvka dh l e; l s iwz djuk l fuf pr djuk pfg, ]
- Åtkz fudkl h ds xS dks fo | eku iz.kkyh ds ek/; e l s djus dh 0; oLFk l s cpus grq Åtkz fudkl h iz.kkyh dk mRi knu iz.kkyh ds l kFk l ello; u l fuf pr djuk pfg, ]
- dEi uh dks i kjsk.k us/odZ ds i Hkkoh dk; Zkhyrk , oa j [kj [kko grq i kjsk.k fu; kstu dl kSV; ka l EcfU/kr eSuqvy dLV i SDVI st bu VKUI fe ku fl LVEI ea fu/kkZj r ekudka@ekun.Mka dk vuqkyu l fuf pr djuk pfg, ]
- dEi uh dks lk; klr vkin k izlU/ku iz.kkyh l fuf pr djuk pfg, , oa mi dlnka; ykbuka , oa VKUI Okej ka dh l j {kk grq vuqkkl r iz.kkyh LFkfi r djuk pfg, ]
- fxM l figrk ds vuq kj] LVV/ ykM fMLi \$ l & j ¼, l , yMhl ½ dks n#Lr j [kuk pfg, vjg fxM dh l j {kk , oa l j {kk grq fjvy Vkke vk/kj i j fj; y Vkke ; fuV ds ek/; e l s l Hkh mRi knodka , oa mi dlnka dks , l , yMhl h l s l a kFtr fd; k tkuk pfg, A fxM fo'k; d vuqkkl u ghurk l s cpus grq YhDol h yoy dk vuqkyu fd; k tkuk pfg, ] vjg
- okf'kd jktLo vko ; drk fu/kkZj r l e; ds vlnj i Lrqr dj nuk pfg, A

## 2.2 मर्रिंस्क ज्क; व्कस्र्द फोदक फुखे फुवेव्म धु फु'िनु य्क्कि ज्क

### दक; डकज्ह ल क्जक

#### प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में मार्च, 1961 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के आधीन राज्य में औद्योगिक अवसंरचना के विकास व औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन हेतु किया गया जिसके लिए यह शिर्ष इकाई है।

#### भूमि का अधिग्रहण

भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य, जिला प्रासासन व सरकार के स्तर पर हुई देरी के कारण, प्राप्त नहीं किये जा सके। उपलब्ध भूमि को विकसित करने में कम्पनी की विफलता के कारण, न केवल भूमि के पश्चात्तर्ती अधिग्रहण में धन अवरुद्ध रहा बल्कि सोलोलियम के भुगतान के रूप में व्यय भी व्यर्थ रहा।

बुलन्दशहर में 1993 में 1,200.483 एकड़ तथा अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 तक 2,584.292 एकड़ अधिग्रहण की गयी भूमि का भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका जिसके कारण ₹ 297.29 करोड़ अवरुद्ध रहा।

कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि अधिग्रहण किया जिसके विरुद्ध मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि का ही कन्वेयन्स डीड निष्पादित कराया है।

#### अधिग्रहीत भूमि पर अवसंरचना का विकास

कम्पनी ने विकास हेतु 248 अनुबन्ध निष्पादित किए जिनमें से 201 अनुबन्ध अल्पकालीन निविदा के तहत बिना किसी स्पष्टीकरण के निष्पादित किए तथा ₹ 63.37 करोड़ के 33 अनुबन्धों का निष्पादन अति अल्पकालीन निविदा के तहत किया गया, यद्यपि मैनुअल में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

40 अनुबन्धों के परीक्षण से उजागर हुआ कि निविदा को निम्न पद के कर्मचारियों द्वारा अन्तिमीकृत किया गया जबकि प्रबन्ध निदेक तथा मुख्य अभियन्ता ने निविदा प्रपत्रों एवं तुलनात्मक विवरण पर हस्ताक्षर नहीं किया। प्रबन्ध निदेक ने 'नोट-फिट' पर पृथक रूप से स्वीकृति प्रदान की। कम्पनी ने बिना औचित्य दिए कार्य को समूहों में विभाजित करके 130 अनुबन्धों को अन्तिम रूप दिया। कम्पनी ने 107 अनुबन्ध एक ही ठेकेदार को दिए जिसमें से 48 अनुबन्ध मार्च 2012 तक अपूर्ण थे जिससे समूहीकरण का उद्देश्य विफल रहा।

मुख्य अभियन्ता ने 39 अनुबन्धों के विरुद्ध 19 ठेकेदारों को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि क्रियान्वित कार्यों के बीजक उपलब्ध नहीं थे जिसमें से ₹ 5.64 करोड़ की वसूली नहीं हो पायी। इस अमान्य भुगतान से ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।

21 अनुबन्धों में वसूली योग्य ₹ 2.65 करोड़ के अर्धदण्ड के सापेक्ष मात्र ₹ 1.07 लाख के अर्धदण्ड की वसूली की गयी।

दस अनुबन्ध चार से छः वर्ष की देरी के बावजूद अपूर्ण रहे जिससे ₹ 21.17 करोड़ अवरुद्ध रहे तथा औद्योगिक अवसंरचना के विकास में देरी हुई।

कम्पनी द्वारा सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रबन्ध निदेक के निर्देक (जून 2007) के विपरीत नौ अनुबन्धों में ₹ 3.03 करोड़ का भुगतान किया गया। भौतिक सत्यापन से पता चला कि चकरी-II तथा मधना स्थलों पर ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री कम पाई गयी।

#### औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबन्ध

2011-12 तक पाँच वर्षों के दौरान आवंटित भूखण्डों का उपयोग 48.77 प्रतिशत से 54.27 प्रतिशत के मध्य रहा। कम्पनी को रिक्त भूखण्डों के हस्तान्तरण के कारण ₹ 11.30 करोड़ की अतिरिक्त राजस्व हानि हुई।

212 मामलों में, पट्टा विलेख के निष्पादन बिना भूखण्डों के हस्तान्तरण से ₹ 5.40 करोड़ की स्टाम्प शुल्क की हानि हुई तथा 303 मामलों में ₹ 18.81 करोड़ के स्टाम्प ड्यूटी की वसूली, पट्टा विलेख के निष्पादन न होने के कारण, नहीं की जा सकी।

पाँच ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के रिजर्व प्राइस का निर्धारण नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया जिससे ₹ 110.10 करोड़ की हानि हुई।

आठ ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों तथा 34 वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन निर्धारित प्रणाली के विपरीत किया गया जिससे बाजार मूल्य पर ₹ 152.29 करोड़ तथा 'सर्किल रेट' पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई।

#### आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

मासिक/त्रैमासिक लेखे तैयार नहीं किये जाते जिसके कारण कम्पनी अपनी आय का सही निर्धारण नहीं कर सकी जिसके कारण इसे ₹ 5.45 करोड़ का दण्डात्मक ब्याज का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ा। अधीनस्थ कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण का अभाव तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुसरण न होना आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर बनाता है और इसके फलस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

#### निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

कम्पनी भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करने में विफल रही, भूमि अधिग्रहण व्यय एवं मुआवजे का अधिक भुगतान किया, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण जनपद अधिकारियों के पास कोष अवरुद्ध रहा, निविदा प्रक्रिया की अवहेलना हुई, रिजर्व प्राइस को कम दर पर निर्धारण करने एवं प्रीमियम का पुनरीक्षण न करने के कारण अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर रही।

हमने विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति, सही निविदा प्रक्रिया का अनुपालन करने, दर निर्धारण एवं पुनरीक्षण नीति के अनुपालन हेतु छः सिफारिशें की हैं।

## 1.1.1.1

**2.2.1** उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का निगमन मार्च 1961 में पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनी के रूप में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन किया गया था। कम्पनी का प्रशासनिक नियन्त्रण औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में निहित है। कम्पनी के मुख्य उद्देश्य हैं: उद्योगों, कम्पनियों, परियोजनाओं अथवा उद्यमों को निर्माण एवं उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, भूमि का अधिग्रहण, अधिग्रहीत भूमि का विकास तथा उद्योगों को सहायता व वित्त उपलब्ध कराना जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं सरकार द्वारा प्रायोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन करने के लिए, कम्पनी, केन्द्रीय एवं राज्य औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप करती है:

- भूमि का अधिग्रहण;
- अधिग्रहीत भूमि पर अवसंरचना का विकास;
- औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित भूमि/भूखण्डों का आवंटन;
- औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव।

## 1.1.1.2

**2.2.2** कम्पनी का प्रबन्ध संचालक मण्डल में निहित है जिसमें प्रबन्ध निदेशक (एमडी) एवं अध्यक्ष सहित दस संचालक शामिल हैं। एमडी कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है जो कि संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (जेएमडी), वित्त नियन्त्रक (एफसी), महाप्रबन्धक (जीएम) प्रशासन, उप-महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रोजेक्ट्स, मुख्य प्रबन्धक औद्योगिक क्षेत्र (सीएमआईए), मुख्य अभियन्ता (सीई) एवं एक वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) एवं एक कम्पनी सेक्रेटरी की सहायता से मुख्यालय पर दिन-प्रतिदिन के कार्य करता है।

भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य, 10 निर्माण खण्डों (सीडी) तथा दो विद्युत खण्डों (ईडी) जिसके प्रमुख अधिशासी अभियन्ता होते हैं, के द्वारा मुख्य अभियन्ता के सम्पूर्ण नियंत्रण में जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु उत्तरदायी होता है, किया जाता है। विकसित भूखण्डों का विपणन सीएमआईए द्वारा 15 क्षेत्रीय कार्यालयों जो कि राज्य भर में फैले हैं, के द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों का शीर्ष अधिकारी क्षेत्रीय प्रबन्धक होता है जो कि भूखण्डों के आवंटन, हस्तान्तरण, निरस्तीकरण तथा रेस्टोरेशन तथा भूखण्डों का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है। संगठन संरचना को 'प्लो चार्ट' में दर्शाया गया है।

## 1.1.1.3

**2.2.3** कम्पनी के क्रियाकलापों की समीक्षा पहले की गयी थी जिसका समावेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1998-99 के प्रतिवेदन में किया गया था। तत्पश्चात, यूपीएसआईडीसी द्वारा 'औद्योगिक अवसंरचना का विकास' शीर्षक पर निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2004-05 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में समावेशित किया गया। वर्ष 1998-99 में समावेशित निष्पादन लेखापरीक्षा पर सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) द्वारा आंशिक विचार विमर्श किया गया है एवं वर्ष 2004-05 के प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षा पर 'कोपू' द्वारा विचार विमर्श अभी तक (फरवरी 2013) नहीं किया गया है।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2011 से जुलाई 2012 के मध्य की गयी जिसमें कम्पनी के वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के मुख्य कार्य जैसे पाँच वर्षों में भूमि का अधिग्रहण तथा विकास एवं औद्योगिक क्षेत्रों के प्रबन्धन को सम्मिलित किया गया है।

कम्पनी ने 144 औद्योगिक क्षेत्र (52 अति द्रुतगामी, 61 द्रुतगामी तथा 31 मन्दगामी) विकसित किये। समस्त भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करने हेतु, औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, सूरजपुर तथा प्रोजेक्ट कार्यालय ट्रॉनिका सिटी का चयन किया गया जिसमें अति द्रुतगामी, द्रुतगामी तथा मन्दगामी औद्योगिक क्षेत्र एवं इनसे सम्बन्धित निर्माण एवं विद्युत खण्ड शामिल है।

### यसूक्की जहक्क मन्स ;

**2.2.4** निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आँकलन करना था कि क्या:

- भूमि अधिग्रहण में सरकारी आदेशों तथा अधिनियमों के प्रावधानों का पालन किया गया;
- अधिग्रहीत भूमि का त्वरित विकास किया गया;
- जिला प्रशासन को प्रावधानों के अन्तर्गत भुगतान किया गया;
- आवंटन प्रक्रिया उचित, पारदर्शी व मार्ग दर्शिका के अनुसार थी;
- आवंटित भूखण्डों का उपयोग आवंटी द्वारा उद्योगों की स्थापना में किया गया;
- आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल एवं प्रभावी थी।

### यसूक्की जहक्क दी क्श

**2.2.5** उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा उद्देश्यों हेतु लेखापरीक्षा कसौटियाँ निम्न थीं:

- औद्योगिक विकास नीति 1998 के प्रावधान, संचालक मण्डल के बैठकों में लिए गए निर्णय;
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान, भूमि अधिग्रहण मैनुअल, भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 एवं सरकारी आदेश और कम्पनी द्वारा निर्गत आदेश;
- कम्पनी द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य;
- इंजीनियरिंग विंग के 'वर्किंग मैनुअल' के प्रावधान;
- औद्योगिक क्षेत्र विंग के 'आपरेटिंग मैनुअल' के प्रावधान।

विशिष्ट प्रावधानों का वर्णन सम्बन्धित प्रस्तारों में लेखापरीक्षा आपत्तियों के साथ किया गया है।

### यसूक्की जहक्क i ) fr

**2.2.6** लेखापरीक्षा निष्कर्षों हेतु आँकड़ों के विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित पद्धति का सम्मिलित रूप से प्रयोग किया गया है:

- राज्य औद्योगिक नीतियों, एजेंडा नोट तथा संचालक मण्डल के बैठकों के मिनट्स, इंजीनियरिंग विंग के वर्किंग मैनुअल, औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा शक्तियों के हस्तान्तरण का अध्ययन;
- सर्वे एवं वाईबिलिटी रिपोर्ट एवं जिला प्रशासन को भुगतान सहित भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों की जाँच;
- औद्योगिक क्षेत्रों में, भूखण्डवार रजिस्टर का अध्ययन, प्रकरणवार आवंटन, रेस्टोरेशन, हस्तान्तरण तथा भूखण्डों के उप-विभाजन की जाँच;
- कम्पनी की प्रीमियम पुनरीक्षण नीति का अध्ययन एवं कम्पनी द्वारा विगत पाँच वर्षों में हुई प्रीमियम पुनरीक्षण का अध्ययन;

- विकास कार्यों के निष्पादन हेतु प्राक्कलनों, अनुबन्धों, निविदा प्रपत्रों, माप पुस्तिकाओं तथा ठेकेदारों को किये गये भुगतानों की जाँच;
- लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में पूर्ण, सार्थक एवं उचित प्रमाण प्राप्त करना;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं को निर्गत करना तथा प्रबन्धन से विचार विमर्श करना।

### यसूक्कि jh{kk i {k.k

**2.2.7** हमने 16 जनवरी 2012 को सम्पन्न हुई 'इन्ट्री कान्फ्रेन्स' में प्रबन्ध तन्त्र को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों से अवगत कराया। इसके पश्चात, लेखापरीक्षा प्रेक्षण प्रबन्धन एवं सरकार को सितम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया गया तथा 11 अक्टूबर 2012 की 'एक्जिट कान्फ्रेन्स' में इस पर चर्चा की गयी। 'एक्जिट कान्फ्रेन्स' में कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, वित्त नियंत्रक, मुख्य प्रबन्धक औद्योगिक क्षेत्र, मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ भूमि अधिग्रहण अधिकारी तथा अन्य अधिकारी सम्मिलित हुए। 'एक्जिट कान्फ्रेन्स' में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुआ। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित थे। प्रबन्ध तन्त्र द्वारा दिये गये पक्ष को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिमीकृत करते समय समावेशित किया गया है। लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की अग्रेतर प्रस्तारों में चर्चा की गयी है।

### Hk{ie dk vf/kxg.k

**2.2.8** कम्पनी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलएए) के प्रावधानों के अधीन, ग्राम सभा एवं निजी भूस्वामियों से भूमि का अधिग्रहण करती है जिसका विवरण निम्न है:

, y, , dh /kjk; a	i ko/ku
	भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को निर्धारित प्रपत्रों के साथ जमा करना तथा जिला प्रशासन द्वारा उसकी जाँच करना।
धारा 4	भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करना।
धारा 5 (अ)	भूमि स्वामियों की आपत्तियों को जिला प्रशासन द्वारा सुना जाना।
धारा 6	राज्य सरकार द्वारा धारा 4 की अधिसूचना के एक वर्ष की अवधि में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करना।
धारा 9	राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा करने का नोटिस जारी करना।
धारा 11	राज्य सरकार द्वारा 'एवार्ड' देना तथा भूमि के प्रतिकर का निर्धारण करना।
धारा 17	अनिवार्य अर्जन की दशा में भूमि का कब्जा धारा 9 के तहत प्रकाशित नोटिस के 15 दिन के बाद लिया जा सकता है।
भूमि अधिग्रहण करार नियमावली, 1997 की धारा 2 (एलएकेएन)	भूमि के मालिक तथा भूमि अधिग्रहण कर रही इकाई आपसी समझौते के तहत दरें तय कर सकती हैं तथा इस करार को जिलाधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर सकती है।

### लक्ष्य एवं प्राप्ति

**2.2.9** निम्नलिखित सारणी 2011-12 तक पाँच वर्षों के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में विकास हेतु उपलब्ध भूमि, अधिग्रहीत भूमि तथा विकसित भूमि एवं वर्ष के दौरान विकसित भूमि तथा वर्ष के अन्त में विकास हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण प्रस्तुत करती है:

Øe l {; k	fooj .k	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	वर्ष के प्रारम्भ में विकास हेतु उपलब्ध भूमि	701**	1208.00	877.51	1584.79	2254.79
2	भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित लक्ष्य	1800.00	1500.00	1000.00	600.00	300.00
3	अधिग्रहीत भूमि	802.00	3.51	1034.48	830.00	38.04
4	कुल उपलब्ध भूमि (1+3)	1503.00	1211.51	1911.99	2414.79	2292.83
5	विकसित की गयी भूमि	295.00	334.00	327.20	160.00	391.00
6	वर्ष के अन्त में विकास हेतु उपलब्ध भूमि (4-5)	1208.00	877.51	1584.79	2254.79	1901.83
7	निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अधिग्रहीत भूमि का प्रतिशत	44.56	0.23	103.45	138.33	12.68
8	विकसित भूमि का विकास हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष प्रतिशत	19.63	27.57	17.11	6.63	17.05

स्रोत: प्रगति आख्या तथा कम्पनी की वार्षिक योजना।

\* भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव एलएए के तहत जिलाधिकारी को भेजा जाता है जिसमें भूमि अधिग्रहण हेतु निर्धारित प्रपत्र, प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट, अधिग्रहण की जा रही भूमि का खसरा/खतौनी, प्रतिकर का गणना प्रपत्र, सरकारी एवं सौलिंग भूमि को शामिल न करने का प्रमाण-पत्र, जिला भूमि उपयोग समिति का कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु स्वीकृति का प्रमाण-पत्र, भू-उपयोग परिषद की स्वीकृति प्रमाण-पत्र, धारा 17 में अधिग्रहण हेतु जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र, ग्रामानुसार प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण, इस सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के व्यय की व्यवस्था कर ली गयी है, प्रमाण-पत्र कि भूमि अधिग्रहण इकाई पर कोई बकाया नहीं है, प्रमाण-पत्र कि भूमि पर कोई धार्मिक भवन यथा मंदिर, मस्जिद, कब्रगाह आदि नहीं है, जिलाधिकारी का भूमि अधिग्रहण का प्रमाण-पत्र व आदेश, भूमि पर स्थित सम्पत्तियों की सूची, भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना का 'प्रोफार्मा', सार्वजनिक सूचना/मुनादी, की रिपोर्ट।

\*\* वर्ष 2006-07 में अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष, शेष अविकसित भूमि वर्ष 2007-08 कार्य योजना के अनुसार।



निम्न तथ्य हमारे संज्ञान में आये:

- वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2011-12 में भूमि अधिग्रहण के लक्ष्य की पूर्ति, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के स्तर पर विलम्ब के कारण नहीं हो पायी जिसके लिए, कम्पनी के स्तर पर प्रभावी अनुसरण नहीं किया गया।
- यद्यपि समस्त भूमि का अधिग्रहण एलएए के अनिवार्य अर्जन सम्बन्धी धारा 17 के तहत किया गया, विकसित भूमि का कुल विकास हेतु उपलब्ध भूमि के सापेक्ष प्रतिशतता 6.63 प्रतिशत से 27.57 प्रतिशत के मध्य थी। कम्पनी की उपलब्ध भूमि के विकास करने में विफलता से न सिर्फ पश्चात्पूर्ती भूमि अधिग्रहण में कोष अवरुद्ध रहा बल्कि इससे 'सोलेशियम' के रूप में परिहार्य व्यय भी करना पड़ा। पुनश्च: इससे यह इंगित होता है कि भूमि की आवश्यकता का निर्धारण मनमाने तरीके से किया गया।

भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रपत्रों की हमारी जाँच में, अनिवार्य अर्जन के तहत व्यर्थ व्यय, प्रतिकर का अधिक भुगतान, निजी उद्यमियों हेतु भूमि के अधिग्रहण से हानि, कोषों का अवरुद्ध होना तथा 'कन्वेयन्स डीड' का न होना जैसे प्रकरण उजागर हुये, जिनकी आगे के प्रस्तरो में चर्चा की गयी है।

### अनिवार्य अर्जन के तहत भूमि अधिग्रहण करने पर व्यर्थ व्यय

**2.2.10** एलएए की धारा 17 (1) के तहत अनिवार्य अर्जन की दशा में जब भी सरकार जिलाधिकारी को निर्देशित करेगी, यद्यपि कोई अवार्ड नहीं दिया गया हो, तो भी वह सार्वजनिक उपयोग हेतु जरूरी भूमि का कब्जा धारा 9 के नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिन के भीतर प्राप्त कर सकता है।

सरकार के आदेश संख्या 2623/10(एलए/93ए/04 दिनांक 7 दिसम्बर 2004 (भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी) के अनुसार, अनुमानित प्रतिकर, अर्जन व्यय, सोलेशियम\*\* एवं अतिरिक्त प्रतिकर की गणना हेतु प्रपत्र 5 तथा 21 निर्धारित हैं। ये प्रपत्र इंगित करते हैं कि 10 प्रतिशत अर्जन व्यय केवल अनुमानित प्रतिकर पर देय है।

कम्पनी ने निम्नलिखित भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव एलएए की धारा 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये:

खे.क.उ.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	निर्धारित तिथियाँ (दिनांक)				अर्जन व्यय (₹ करोड़)				कुल अर्जन व्यय (₹ करोड़)
		अनुमानित प्रतिकर	अनुमानित अर्जन व्यय	अनुमानित सोलेशियम	अनुमानित अतिरिक्त प्रतिकर	अनुमानित प्रतिकर	अनुमानित अर्जन व्यय	अनुमानित सोलेशियम	अनुमानित अतिरिक्त प्रतिकर	
आलियाबाद	240.331	अक्टूबर 2005	दिसम्बर 2008	दिसम्बर 2009	–	18.44	5.53	2.21	-	26.18
पावी सादिकपुर	122.516	अक्टूबर 2005	सितम्बर 2008	अगस्त 2009	–	17.24	5.17	2.06	-	24.47
चंदौली	65.90	फरवरी 2001	जुलाई 2005	अगस्त 2006	जुलाई 2010	3.18	0.95	1.19	0.68	6.00
<b>कुल</b>	<b>428.747</b>					<b>38.86</b>	<b>11.65</b>	<b>5.46</b>	<b>0.68</b>	<b>56.65</b>

उपरोक्त सारणी भूमि अधिग्रहण में असाधारण विलम्ब को दर्शाती है तथा कम्पनी अभी तक (दिसम्बर 2012) भूमि का कब्जा नहीं प्राप्त कर सकी थी जिससे भूमि के अनिवार्य अर्जन का उद्देश्य विफल हो गया।

इस प्रकार, 428.747 एकड़ भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण हेतु अर्जन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत भुगतान किये गये ₹ 11.65 करोड़ का सोलेशियम व्यय व्यर्थ सिद्ध हुआ क्योंकि

\*\* सोलेशियम अनिवार्य अर्जन के प्रत्येक दशा में 30 प्रतिशत दिया जाने वाला अवार्ड है।

भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छः से 11 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी भूमि अधिग्रहीत नहीं की जा सकी।

vti h miokD; ds  
vUrxr fd; s x; s  
₹ 11-65 djkm/+ ds  
l ksyf k; e dk Hkxrk  
0; Fkz jgk D; kfd N% l s  
11 o'kz ckn Hkh Hkic  
vf/kxg hr ugha dk tk  
l dhiA

प्रबन्धन ने बताया (4 दिसम्बर 2012) कि 30 प्रतिशत सोलेशियम की धनराशि ₹ 11.65 करोड़ का भुगतान धारा 23(2) के अन्तर्गत अनिवार्य अर्जन की दशा में किया गया तथा धारा 1 (1ए) के अन्तर्गत किया गया ₹ 5.46 करोड़ का अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार था। तथ्य अभी भी यही है कि ₹ 11.65 करोड़ का भुगतान व्यर्थ था क्योंकि भूमि का अधिग्रहण छः से 11 वर्ष की देरी के बावजूद नहीं पूरा हो सका, यद्यपि इसका भुगतान एलएए की धारा 17 के अर्जेन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के लिये किया गया था।

### **अर्जन व्यय का समायोजन न होना**

**2.2.11** कम्पनी ने, आगरा में 'लेदर पार्क' विकसित करने हेतु तीन ग्रामों की 274.43 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल ₹ 55.43 करोड़ के अनुमानित प्रतिकर के सापेक्ष ₹ 5.54 करोड़ अर्जन व्यय का भुगतान जिला प्रशासन को किया (मई 2008)। अनुमानित प्रतिकर को पुनरीक्षित कर ₹ 49.52 करोड़ किया गया जिस पर अर्जन व्यय के रूप में ₹ 4.95 करोड़ देय थे। जिला प्रशासन ने ₹ 3.17 करोड़ की माँग की (20 अप्रैल 2010) क्योंकि कम्पनी ने पुनरीक्षित अनुमानित प्रतिकर ₹ 49.52 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 46.68 करोड़ का ही भुगतान किया था। कम्पनी ने ₹ 3.17 करोड़ की पूर्ण राशि का भुगतान, पहले से ही अधिक जमा अर्जन व्यय ₹ 59.10 लाख के समायोजन किये बिना कर दिया (10 मई 2010)। इसके फलस्वरूप ₹ 59.10 लाख का कोष अवरुद्ध हो गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जिला प्रशासन से वापसी हेतु प्रार्थना की गयी है परन्तु इस राशि को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है (दिसम्बर 2012)।

### **प्रतिकर का अधिक भुगतान**

**2.2.12** कम्पनी ने भू-स्वामियों से हुई बैठक (5 जून 2007) में निर्धारित किया कि यह ग्राम पचायरा एवं लुत्फुल्लापुर के भू-स्वामियों को 10 प्रतिशत अविकसित भूमि के बदले पाँच प्रतिशत विकसित भूमि देगी। तदनुसार, कम्पनी ने निर्णय लिया (14 जून 2007) कि उपरोक्त 10 प्रतिशत अविकसित भूमि हेतु भू-स्वामियों को 10 प्रतिशत प्रतिकर का भुगतान नहीं करेगी। कम्पनी ने ग्राम पचायरा में 115.539 हेक्टेयर भूमि एवं ग्राम लुत्फुल्लापुर में 32.326 हेक्टेयर भूमि का कब्जा प्राप्त किया (28 मार्च 2008)। हमने पाया कि ₹ 141.92 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान जिला प्रशासन की माँग पर 10 प्रतिशत अविकसित भूमि के प्रतिकर को घटाये बिना किया गया। दस प्रतिशत अविकसित भूमि को घटाने के पश्चात प्रतिकर का निर्धारण ₹ 117.25 करोड़ संगणित होता है। इस प्रकार, कम्पनी ने जिला प्रशासन को ₹ 24.67 करोड़ का अधिक प्रतिकर भुगतान कर दिया।

dEi uh us  
₹ 24-67 djkm/+  
i frdj vf/kd  
tek fd; kA

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 24.67 करोड़ अधिक भुगतान की गयी राशि को जिले की अन्य योजनाओं में हस्तान्तरित कर दी जायगी। उत्तर में, जिला प्रशासन के माँग पत्र की अपने निर्णय के तहत उचित सत्यापन किये बिना भुगतान किये जाने के कारणों को नहीं बताया गया।

### **निजी उद्यमी के लिये भूमि अधिग्रहण के कारण हानि**

**2.2.13** कम्पनी को निजी उद्यमियों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु शीर्ष इकाई घोषित किया गया था (27 जनवरी 2005 और 31 जुलाई 2008)। हमने देखा कि निम्नवर्णित उद्यमी के लिए भूमि का अधिग्रहण एलएए के प्रावधान का अनुपालन किये बिना किया गया।

अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) ने कम्पनी तथा टाटा मोटर्स के साथ बैठक (जुलाई 2006) में टाटा मोटर्स के लिये उनके विस्तार परियोजना हेतु

dEi uh us Vkk eK/I l  
l s vupl/k fd; sfcuk  
Hkfe vf/kxg.k fd; k  
rFk ftyk iz kkl u  
dks ifrdj dk  
Hkqrku fd; kj  
QyLo: i ₹ 0-79  
dj kM+ ds t; kt dh  
gkfu gpl, oa ₹ 1-65  
dj kM+ vo#) jgkA

100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का निश्चय किया। तदनुसार, कम्पनी ने लखनऊ में 93.81 एकड़ भूमि अधिग्रहण का एक प्रस्ताव, टाटा मोटर्स से अर्जन लागत के भुगतान हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये बिना, प्रस्तुत किया (नवम्बर 2006) जो एलएए के प्रावधान के विरुद्ध था। कम्पनी ने जिला प्रशासन को ₹ 3.31 करोड़ का भुगतान सितम्बर 2007 से दिसम्बर 2008 के मध्य किया तथा सरकार ने एलएए की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना प्रकाशित कर दी (23 जून 2009)। अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान टाटा मोटर्स के विक्रेताओं ने अधिसूचित भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। कम्पनी ने, जिलाधिकारी की आख्या (16 सितम्बर 2010) के आधार पर कि भूमि अतिक्रमित थी तथा कब्जा हस्तान्तरण पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती थी, भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त करने का निर्णय (6 अक्टूबर 2010) लिया। आयुक्त ने कम्पनी की प्रार्थना पर निर्णय दिया (15 दिसम्बर 2010) कि अर्जन व्यय की कटौती नहीं की जायगी। तथापि, केवल ₹ 1.65 करोड़ ही कम्पनी को वापस किया (31 जनवरी 2011) गया और ₹ 1.65 करोड़ जिला प्रशासन ने रोक लिया। इस प्रकार, टाटा मोटर्स के साथ अनुबन्ध के अभाव में जिला प्रशासन के पास ₹ 1.65 करोड़ की राशि अवरुद्ध होने के अतिरिक्त कम्पनी को जिला प्रशासन द्वारा रोकी गयी राशि पर ₹ 0.79 करोड़\* के ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि टाटा मोटर्स ने न तो 93.81 एकड़ भूमि हेतु आवेदन पत्र दिया न ही शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान की। इस कारण, कम्पनी द्वारा चिनहट औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया तथा भुगतान जिला प्रशासन की माँग पर किया गया। जिलाधिकारी ने भूमि हस्तगत करने पर कानून एवं व्यवस्था की समस्या बतायी थी इस कारण प्रस्ताव को समाप्त करने का निश्चय किया गया। ₹ 1.65 करोड़ की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह आईआईडीसी के उस निर्णय के विपरीत है जिसमें कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण टाटा मोटर्स के विस्तार परियोजना हेतु किया जायेगा। इस कारण टाटा मोटर्स से करार किया जाना चाहिये था तथा अर्जन लागत उनसे वसूल करना चाहिये था।

### एलएकेएन के तहत अपर्याप्त कार्यवाही के कारण कोष का अवरुद्ध होना

dEi uh Hkukofe; ka l s  
vupl/k dj ds fookn  
dk fui Vjkk ugra dj  
l chA bl ds dkj .kj  
Hkfe vf/kxg.k ugra gks  
l dk ftl ds  
ifj .kko: i ₹ 297-29  
dj kM+ dk dksk  
vo#) jgkA

**2.2.14** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 31 मार्च 2005 के प्रस्तर 2.1.21 जो कि 'ग्रोथ सेन्टर' खुर्जा के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ लिया गया। हमने आगे पाया कि कम्पनी ने 1,200.483 एकड़ भूमि 1993 में खुर्जा में अनिवार्य अधिग्रहण प्रावधानों के अन्तर्गत 'ग्रोथ सेन्टर' स्थापित करने हेतु किया था। भू-स्वामियों को ₹ 10.29 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान जनवरी 2011 तक किया गया। इसी प्रकार, बुलन्दशहर के 10 ग्रामों की 2,584.292 एकड़ भूमि का अधिग्रहण अप्रैल 1999 से अप्रैल 2005 के मध्य अर्जेन्सी उपवाक्य के प्रावधान के तहत किया गया। सितम्बर 2012 तक ₹ 287 करोड़ के प्रतिकर का भुगतान किया गया। भू-स्वामियों से प्रतिकर पर विवाद के कारण कम्पनी भूमि पर भौतिक कब्जा नहीं प्राप्त कर सकी। कम्पनी ने भू-स्वामियों के साथ विवाद को एलएकेएन के तहत सुलझा न सकी जिसके कारण न सिर्फ 3,784.775 एकड़ भूमि पर अवसरचंका विकास में देरी हुई बल्कि ₹ 297.29 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि खुर्जा में भू-स्वामियों से करार करने के प्रयास किये जा रहे थे एवं बुलन्दशहर के छः गाँवों के 1,855 में से 1,359 भू-स्वामियों से ₹ 650 प्रति एकड़ की दर पर प्रतिकर हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हैं। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अर्जेन्सी उपवाक्य के अन्तर्गत अर्जन के बावजूद कम्पनी ने प्रक्रिया में छः से 15 वर्ष की देरी की।

### कन्वेयन्स डीड का निष्पादन न होना

**2.2.15** कम्पनी ने 48,551.088 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (मार्च 2012) जिसमें से मात्र 27,745.588 एकड़ भूमि (57.15 प्रतिशत) का कन्वेयन्स डीड निष्पादित (वर्ष

\* सावधि जमा पर न्यूनतम सात प्रतिशत ब्याज की दर पर आगणित।

2008-09 के लेखे के अनुसार मार्च 2009 तक) किया है। एक प्रकरण में डीएम, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि 123.15 एकड़ भूमि जो कि सम्राट बाइसिकिल्स लिमिटेड को पूर्व में पट्टे पर आवंटित थी, का कन्वेयन्स डीड का निष्पादन आवंटी ने अपने पक्ष में करा लिया है तथा वह भूमि का विक्रय कर सकता है। हमारा मानना है कि कन्वेयन्स डीड के निष्पादन में देरी जोखिमपूर्ण है जिससे भूमि का आवंटी द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि शेष भूमि के कन्वेयन्स डीड के निष्पादन के प्रयास किये जा रहे हैं। सम्राट बाइसिकिल्स की कन्वेयन्स डीड के निरस्तीकरण तथा उपरोक्त भूमि का कन्वेयन्स डीड कंपनी के नाम अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-VI द्वारा किया जा रहा था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उत्तर में कन्वेयन्स डीड के निष्पादन में देरी के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है।

### वर्ष 2011-12 में भूमि विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति

**2.2.16** औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवसंरचना न केवल औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बल्कि उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता भी प्रदान करती है क्योंकि इससे उद्योग में विनिवेशित पूँजी की उत्पादकता बढ़ती है तथा उत्पादन लागत कम होती है। राज्य औद्योगिक नीति 1998 तथा 2004 उच्च कोटि की अवसंरचना सुविधा, जैसे 'सीवरेज', सड़क, नाला, सामान्य सुविधा केन्द्र तथा पानी-बिजली की व्यवस्था पर जोर देती है ताकि राज्य में उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित किया जा सके।

#### लक्ष्य एवं प्राप्ति

**2.2.17** नीचे दी गई तालिका वर्ष 2011-12 तक के पिछले पाँच वर्षों की अवधि में निर्धारित भूमि विकास का लक्ष्य एवं प्राप्ति को प्रदर्शित करती है:

वर्ष	लक्ष्य (एकड़)	प्राप्ति (एकड़)	अंतर (एकड़)	लक्ष्य (एकड़)	प्राप्ति (एकड़)	अंतर (एकड़)
2007-08	1300.00	295.00	(-)1005.00	349.00	118.31	
2008-09	1082.00	334.00	(-)748.00	362.99	108.68	
2009-10	1202.00	327.20	(-)874.80	413.82	126.47	
2010-11	200.00	160.00	(-)40.00	442.93	276.83	
2011-12	519.00	391.00	(-)128.00	262.11	67.04	

स्रोत: 2007-08 से 2011-12 तक की प्रगति आख्या।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:

- उद्यमियों से विकसित भूमि की माँग सुनिश्चित किये बिना लक्ष्य का निर्धारण किया गया;
- कंपनी भूमि विकास के लक्ष्यों को 2011-12 तक पिछले पाँच वर्षों की अवधि में नहीं प्राप्त कर सकी।

विकसित भूमि के सापेक्ष आवंटित भूमि की प्रतिशतता 67.04 एवं 276.83 के मध्य रही जो यह संकेत करता है कि उद्यमियों द्वारा भूखण्डों की अत्यधिक माँग थी।

#### विकास कार्य हेतु अनुबन्धों का निष्पादन

**2.2.18** औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं अनुरक्षण हेतु वर्किंग मैनुअल (डब्ल्यूएमडीएमआईए) के प्रस्तर 20.7.6 में यह प्रावधान है कि निविदा सूचना का प्रकाशन निविदा प्राप्ति के न्यूनतम 21 दिन पहले किया जायेगा ताकि प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग हेतु पर्याप्त प्रचार किया जा सके। निविदा का विज्ञापन भी निविदा प्राप्ति के न्यूनतम 15 दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये। यद्यपि, अनिवार्यता की दशा में, आठ दिन की अल्पकालीन निविदा सूचना, सीई के पूर्व अनुमोदन से निर्गत किया जा सकता है। जहाँ उसी कार्य हेतु पुनः निविदा आवश्यक हो अथवा जब कार्य के निष्पादन को टाली न जा सकने वाली अनिवार्यता हो, आठ दिन की अल्पकालीन निविदा पूर्ण औचित्य देते हुए निर्गत की जा सकती है।

डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 20.8.1 में प्रावधान है कि ₹ 75 लाख से ज्यादा तथा ₹ 150 लाख तक की निविदा के लिए एक समिति निविदा को स्वीकृत करेगी जिसमें सीई (चेयरमैन), सदस्य के रूप में डीजीएम (परियोजना), सीई द्वारा नामित ईई, तथा एमडी द्वारा नामित प्रबन्धक/उपप्रबन्धक (लेखा) शामिल होंगे। ₹ 150 लाख मूल्य से ज्यादा राशि वाली निविदा की स्वीकृति देने वाली समिति में एमडी (अध्यक्ष), सीई (सदस्य संयोजक), एफसी एक सदस्य के रूप में तथा पीएम/परियोजना अनुभाग द्वारा नामांकित अधिकारी शामिल होंगे।

कम्पनी ने मुख्यालय पर 2011-12 तक पिछले पाँच वर्षों में 248 अनुबन्ध निष्पादित किया जिनका विवरण निम्न है:

क्र.सं.	वर्ष	संख्या	मूल्य (₹)	मूल्य (₹)
1.	2007-08	10	22.10	17.46
2.	2008-09	84	126.94	122.36
3.	2009-10	74	122.86	109.67
4.	2010-11	36	48.75	30.21
5.	2011-12	44	79.74	21.50
	कुल	248	400.39	301.20

248 अनुबन्धों में से चार अनुबन्ध पूर्णकालिक निविदा सूचना के तहत निष्पादित किये गये, 201 अनुबन्ध अल्पकालिक निविदा सूचना के तहत निष्पादित किये गये तथा 33 अनुबन्ध जिनका मूल्य ₹ 63.37 करोड़ था, अति अल्पकालीन निविदा सूचना\* के तहत निष्पादित किये गये तथा 10 अनुबन्धों के मामले विशेष जाँच दल (एसआईटी) की अभिरक्षा में होने के कारण कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। हमने 40 अनुबन्धों, जिनका मूल्य ₹ 61.67 है, का परीक्षण किया जिससे निम्नलिखित तथ्य उजागर हुये:

- उन्नीस निविदाओं जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ से अधिक था तथा 21 निविदाओं जिनमें प्रत्येक का मूल्य ₹ 1.50 करोड़ तक था, की स्वीकृति क्रमशः एमडी की अध्यक्षता वाली समिति तथा सीई की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाना था। तथापि, इन सभी निविदाओं को अवर अभियन्ता (जेई) अथवा सहायक अभियन्ता (ईई) के द्वारा खोला तथा परीक्षण किया गया।
- तुलनात्मक विवरण एवं निविदा प्रपत्र सीई तथा एमडी के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थे तथा उनके द्वारा स्वीकृति पृथक से टिप्पणी शीट पर दी गई।
- पच्चीस अनुबन्ध अल्पकालिक निविदा सूचनाओं के तहत अन्तिमीकृत किये गये तथा अल्पकालीन निविदा हेतु सामान्य स्वीकृति मात्र पाँच अनुबन्धों के मामलों में ली गयी।
- तीन अनुबन्धों जिनका मूल्य ₹ 3.39 करोड़ था, को सीई की अध्यक्षता वाली समिति ने एमडी की स्वीकृति प्राप्त किये बिना अन्तिमीकृत कर दिया गया।
- हमने इसके अतिरिक्त पाया कि डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.1 का उल्लंघन करते हुये चार अनुबन्धों<sup>६</sup> (प्रत्येक ₹ एक करोड़ से अधिक) में कम्पनी ने ₹ 5.24 करोड़ का भुगतान एमडी की स्वीकृति के बिना ही कर दिया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि अति अल्पकालीन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा था। पुनः बताया गया (13 फरवरी 2013) कि सभी आठ अल्पकालीन निविदायें लोक सभा चुनावों के कारण वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एमडी के अनुमोदन से आमंत्रित की गई थी। इस प्रकार, प्रबन्धन के उत्तर आपस में विरोधाभासी हैं।

### कार्य का समूहीकरण

**2.2.19** डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 20.1 में प्रावधान है कि कार्यो को सीई की स्वीकृति के पश्चात एक या अधिक समूहों में कार्यस्थल की जरूरत/प्रगति को ध्यान में रखते हुये सुविधानुसार, बाँटा जा सकता है।

\* अति अल्पकालीन निविदा सूचना जारी करने का कोई नियम नहीं है।

६ सीबी सं. 57/सीई/2008-09 दिनांक 31 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.19 करोड़, सीबी सं. 60/सीई/ 2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.16 करोड़, सीबी सं. 61/सीई/2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.45 करोड़ एवं सीबी सं. 62/सीई/2008-09 दिनांक 21 मार्च 2009 के विरुद्ध ₹ 1.44 करोड़।

हमने पाया कि निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, सीई ने विकास कार्य से सम्बन्धित ₹ 245.72 करोड़ के 55 स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध इन प्राक्कलनों के कार्यों को समूह में बाँटकर, ₹ 197.73 करोड़ के 130 अनुबन्ध निष्पादित किया। यद्यपि, इन 55 प्राक्कलनों के कार्यों के समूहीकरण के लिए कार्यस्थल की जरूरत/प्रगति का औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इनमें से ₹ 104.60 करोड़ के 74 अनुबन्धों को पूर्ण कर लिया गया तथा ₹ 93.13 करोड़ के 56 अनुबन्ध अपूर्ण रहे जिस पर 31 मार्च 2012 तक ₹ 47.61 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 130 अनुबन्धों में से 44 प्राक्कलनों से सम्बन्धित 107 अनुबन्धों को एक ही ठेकेदार को दिये गये थे। 107 अनुबन्धों के सापेक्ष, 48 अनुबन्ध 31 मार्च 2012 तक अपूर्ण रहे जिससे समूहीकरण का उद्देश्य विफल रहा।

प्रबन्धन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

### *ठेकेदारों का अनुचित पक्षपात*

**2.2.20** डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.1 में प्रावधान है कि ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य के अनुबन्धों के विरुद्ध भुगतान सीई करेगा तथा अन्तिम बीजकों का भुगतान एमडी की स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु संज्ञान में आये:

- सीई ने 19 ठेकेदारों को 39 अनुबन्धों के विरुद्ध ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान (नवम्बर 2005 से जुलाई 2007) किया; यद्यपि, ये चालू बीजक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, ये भुगतान ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात थे तथा कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को वित्त पोषण के समान है। किये गये कार्यों के बीजक सीई के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे जैसा कि ifjf k'V&12 में वर्णित है। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 25.51 करोड़ का भुगतान अनियमित था।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 21.2.3 के प्रावधानों के तहत किया गया था जिसके अनुसार ₹ 100 लाख से अधिक मूल्य के अनुबन्ध में, जहाँ कार्य का मापन न हुआ हो, ठेकेदार को सीई द्वारा कार्य के स्व-मूल्यांकन के आधार पर अग्रिम का भुगतान कर सकता है। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता की सिफारिश व ठेकेदार की माँग पर भुगतान किया गया है तथा भुगतान की गई राशि का समायोजन कर लिया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि ईई की सिफारिश, ठेकेदार की माँग और सीई का मूल्यांकन, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

- भुगतान किये गये ₹ 25.51 करोड़ के सापेक्ष, ठेकेदार को किये गये ₹ 19.87 करोड़ की धनराशि को अप्रैल 2006 से अगस्त 2009 के मध्य ठेकेदार के अग्रेतर बीजकों से समायोजित किया जा चुका है तथा ₹ 5.64 करोड़ की राशि 31 मार्च 2012 तक वसूल नहीं हो पायी थी। कम्पनी आवंटियों से द्रुतगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 14 प्रतिशत तथा मन्दगामी औद्योगिक क्षेत्रों में 13 प्रतिशत ब्याज वसूल करती है। कम्पनी ने ठेकेदारों को अनियमित एवं अमान्य भुगतान के कारण ₹ 5.40 करोड़ के ब्याज की हानि वहन की जैसा कि ifjf k'V&12 में दर्शाया गया है।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान निष्पादित कार्यों के विरुद्ध किया गया था और ब्याज हानि न्यायोचित नहीं थी। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान कार्य के निष्पादन के पूर्व किया गया।

- अनुबन्ध के सामान्य शर्तों के प्रस्तर 2 एवं 3 के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में विफल रहता है तो अनुबन्ध के मूल्य के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से लेकर उपलब्ध 'प्रतिभूति जमा' की राशि की सीमा तक, अर्थदण्ड लगाया जायेगा। यह पाया गया कि 21 अनुबन्धों में ₹ 2.65 करोड़ का अर्थदण्ड लगाया जाना था क्योंकि समय विस्तार हेतु ठेकेदार ने



या तो आवेदन नहीं किया था या सीई ने स्वीकृति नहीं दी थी जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 1.07 लाख का ही अर्थदण्ड लगाया तथा वसूल किया गया। इस प्रकार, ₹ 2.64 करोड़ का अर्थदण्ड न लगाकर ठेकेदारों को अनुचित पक्षपात किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि समय विस्तार ईई की अनुशंसा पर स्वीकृत किया गया था। यद्यपि, हमने ऐसे प्रकरणों को छोड़ दिया है जिसमें समय विस्तार स्वीकृत किया गया था। अर्थदण्ड ₹ 2.64 करोड़ उन प्रकरणों में नहीं लगाया गया जिसमें कि ठेकेदारों ने या तो समय विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया या आवेदन किया परन्तु सीई ने स्वीकृत नहीं किया।

- कम्पनी के आदेश (14 अगस्त 2007) में व्यवस्था थी कि प्रत्येक कार्य की जाँच तीन स्तरों पर या क्रिटिकल स्तर पर, यदि कोई हो, की जानी चाहिए। प्रथम स्तर कार्य शुरू होने की तिमाही में 15 से 20 प्रतिशत पर, द्वितीय स्तर 50 से 70 प्रतिशत एवं अन्तिम स्तर 80 से 99 प्रतिशत कार्य प्रगति होने पर की जायेगी।

हमने पाया कि 39 अनुबन्धों में से, केवल पाँच अनुबन्धों में निर्धारित तीन जाँचें की गईं; निर्धारित तीन गुणवत्ता जाँच के विरुद्ध, नौ अनुबन्धों में कोई जाँच नहीं की गई, 20 अनुबन्धों में एक जाँच की गयी तथा पाँच अनुबन्धों में दो गुणवत्ता जाँचें की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि गुणवत्ता जाँच बाह्य संस्था के द्वारा किया गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि तृतीय पक्ष की जाँच आख्याएं उपलब्ध नहीं थीं।

- 39 अनुबन्धों के तहत दिये गये कार्य का मूल्य ₹ 88.06 करोड़ था; जिसमें से ₹ 34.17 करोड़ के कार्य 10 अनुबन्धों के विरुद्ध दिये गये थे। चार से छः वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद, ये कार्य अपूर्ण थे जिन पर ₹ 21.17 करोड़ का भुगतान हो चुका था तथा ₹ 13.00 करोड़ का कार्य शेष था (मार्च 2012)। इससे न केवल ₹ 21.17 करोड़ का अर्थदण्ड की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि औद्योगिक विकास हेतु अवसंरचनात्मक सुविधा में भी देरी हुई। इन ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही शुरू की गयी है। उन ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी जो कार्य पूर्ण नहीं कर पायेंगे।

**2.2.21** उपरोक्त 39 अनुबन्धों के अलावा, कम्पनी ने गुप्ता एसोसियेट्स को (अनुबन्ध संख्या 54/सीई/2009-10 दिनांक 30 अक्टूबर 2009) ₹ 1.11 करोड़ का भुगतान किया (19 नवम्बर 2009)। हमने पाया कि निष्पादित कार्य के विरुद्ध बीजक सीई अनुभाग में उपलब्ध नहीं थे। कार्य जुलाई 2012 तक अपूर्ण था। ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2013) कि भुगतान मैनुअल के प्रस्तर 21.2.3 की शर्तों के अधीन अधिशासी अभियन्ता की अनुशंसा तथा ठेकेदार की माँग पर किया गया था। आगे बताया कि सम्बन्धित बीजक ईई द्वारा भेजे गये थे तथा कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे थे। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि भुगतान निष्पादित कार्य के मूल्यांकन के बिना किया गया। ईई की अनुशंसा तथा ठेकेदार की माँग अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

### **सामग्री का उपयोग न होना**

**2.2.22** प्रबन्ध निदेशक ने निर्देशित किया (जून 2007) कि भुगतान बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने पर किया जायेगा। हमने पाया कि 16 मीटर सड़क-पथ के छः मीटर विस्तार का, औद्योगिक क्षेत्र चकरी-II में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन (आईओसी) की पाइप लाइन पर, आरसीसी पुलिया के लिये ₹ 1.95 करोड़

dk; ZLFky ij  
₹ 2.21 djkm+dh  
l kexh HkKrd  
: i lsmi yC/k  
ugha FkhA

के प्राक्कलन की स्वीकृति दी गयी (16 अक्टूबर 2008)। निर्माण खण्ड, कानपुर ने निर्माण कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना के तहत तीन अनुबन्ध निष्पादित (28 जनवरी 2009 तथा 26 फरवरी 2009) किया। हमने देखा कि ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति की तथा ₹ 90.58 लाख का भुगतान सामग्री के विरुद्ध किया गया। अनुबन्धों को समाप्त कर दिया गया (3 नवम्बर 2010) क्योंकि आईओसी ने कार्य करने की अनुमति नहीं दी। यह निश्चय किया (3 नवम्बर 2010) गया कि सामग्री मंथना औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु प्रयोग की जायेगी।

इसके पश्चात, कम्पनी ने अल्पकालीन निविदा सूचना के तहत आठ अनुबन्धों को मंथना औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2011 के मध्य निष्पादित किया। ठेकेदार को ₹ 2.83 करोड़ का भुगतान किया गया (जनवरी 2011 से जून 2011) जिसमें छः अनुबन्धों के तहत सामग्री का मूल्य ₹ 2.12 करोड़ शामिल था। हमने पाया कि एमडी के निर्णय के बावजूद, पूर्व में आपूर्ति किये गये ₹ 90.58 लाख की सामग्री का उपयोग खण्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मंथना के विकास कार्य में नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र मंथना का भी कार्य भू-स्वामियों के विरोध के कारण अवरुद्ध हो गया (25 जून 2011)। खण्ड के अभियन्ता द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन (31 मार्च 2012) से उजागर हुआ कि ₹ 2.21 करोड़ की सामग्री, जो कि औद्योगिक क्षेत्र चकरी एवं मंथना से सम्बन्धित थी, कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थी। खण्ड ने न तो सामग्री में कमी के सम्बन्ध में पुलिस को एफआईआर लिखवाई न ही पुर्वोक्त त्रुटियों के लिए अभी तक (दिसम्बर 2012) उत्तरदायित्व का निर्धारण किया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सहायक तथा अवर अभियन्ता निलम्बित कर दिये गये हैं।

## विक्षेपण के लिये आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की:

### भूखण्डों का विपणन

2.2.23 कम्पनी ने अपने आदेश दिनांक 21 नवम्बर 2005 में निम्नलिखित आवंटन प्रक्रिया निर्धारित की:

- आरएम, विपणन के लिये विस्तृत समयबद्ध कार्यक्रम एवं लागत प्राक्कलन मुख्यालय को स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करेगा। आवेदन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों, इन्टरनेट/वेबसाइट, पत्रिकाओं एवं जर्नल में व्यापक प्रचार करके माँगा जायेगा।
- आवंटी की प्रोजेक्ट लगाने में रुचि जानने के लिये, अनुभव का विवरण, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं वित्तीय सृदृढ़ता एवं तकनीकी विशेषज्ञता से सम्बन्धित प्रमाण, प्राप्त किया जायेगा।
- औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन, क्षेत्रीय कार्यालय पर, एक समिति जिसमें आरएम, सम्बन्धित ईई, मुख्यालय के प्रतिनिधि एवं एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे, के द्वारा आवेदक के साक्षात्कार के उपरान्त किया जायेगा।
- एक एकड़ के ऊपर के भूखण्ड के आवंटन का निर्णय मुख्यालय की समिति द्वारा लिया जायेगा।

### आवासीय/वाणिज्यिक/गुप हाउसिंग/संस्थागत भूखण्ड

- 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड क्षेत्रीय स्तर की समिति और 500 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखण्ड मुख्यालय स्तर की समिति द्वारा आवंटित किये जाने थे।
- वाणिज्यिक/गुप हाउसिंग/संस्थागत भूखण्डों का आवंटन बिड व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, मुख्यालय को स्पष्ट विपणन प्रस्ताव जैसे रिजर्व प्राइस, माँगी जाने वाली आवेदन धनराशि, उपयोग जो स्वीकृत किये जाने हैं, बिड प्रारम्भ एवं समाप्त करने की तिथि एवं लागत प्राक्कलन के अनुमोदन के लिये स्पष्ट प्रस्ताव भेजेगा।

एक एकड़ से बड़े भूखण्डों (आवासीय भूखण्डों को छोड़कर) के लिए मुख्यालय द्वारा निविदा माँगी जायेगी और निर्णय मुख्यालय स्तर की समिति द्वारा लिया जायेगा। क्षेत्रीय स्तर की समिति मुख्यालय अनुमोदन से एक एकड़ तक के भूखण्ड का आवंटन करेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में अवसंरचना के विकसित करने के उपरान्त, निर्माण खण्ड द्वारा विकसित भूखण्डों को आरएम को आवंटन के लिये हस्तान्तरित कर दिया जाता है। वर्ष 2011-12 तक के पाँच वर्षों के दौरान भूखण्डों का विकास, आवंटन एवं उपयोग नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	भूमि (अविकसित भूमि सहित) आवंटन के लिये उपलब्ध	भूखण्ड	38838	35258	31343	35553	34715
		क्षेत्रफल	28090.1	29927.02	31187	33656.18	32717.78
2	आवंटित भूमि	इकाई	27503	24288	21868	24673	24098
		क्षेत्रफल	37100	30845	27998	31574	30663
3	अनधिकृत कब्जा/ विवाद के कारण आवंटन के लिये अनुपलब्ध भूमि	भूखण्ड	1139	1154	1027	1427	808
		क्षेत्रफल	766.14	570.44	1028.95	882.37	747.41
4	भूमि उपयोग विवरण के अनुसार अवशेष भूमि	भूखण्ड	2610	1881	2194	2480	3282
		क्षेत्रफल	3286.48	2867.46	3406.12	3846.94	4129.94
5	वास्तविक अवशेष (1-2+3)	भूखण्ड	599	3259	2318	2552	3244
		क्षेत्रफल	2134.96	1833.53	3961.48	4430.09	4610.21
6	अन्तर (5-4)	भूखण्ड	-2011	1378	124	72	-38
		क्षेत्रफल	-1151.52	-1033.93	555.36	583.15	480.27
7	उत्पादनरत भूमि	इकाई	6375	8412	8157	9095	9841
		क्षेत्रफल	12285.4	13679.12	13529.08	14370.7	14847
8	बीमार/ बन्द इकाइयों के पास भूमि	इकाई	2169	1912	1752	1945	2421
		क्षेत्रफल	2940.79	5312.55	3380.97	3751.45	3951
9	आवंटियों द्वारा निर्माणाधीन भूमि	इकाई	2557	2489	2583	2807	2722
		क्षेत्रफल	3196.41	3766.99	3663.25	4103.49	3177.99
10	उपयोग की हुई भूमि (7+8+9)	इकाई	11101	12813	12492	13847	14984
		क्षेत्रफल	18422.6	22758.66	20573.3	22225.64	21975.99
11	उपयोग न की गयी भूमि (2-10)	इकाई	16402	11475	9376	10826	9114
		क्षेत्रफल	6766.4	4764.39	5623.27	6118.08	5384.17
12	विकसित भूखण्ड के विरुद्ध आवंटन का प्रतिशत	क्षेत्रफल	89.67	91.97	84.00	84.22	83.62
13	आवंटन के विरुद्ध उत्पादनरत भूमि का प्रतिशत	क्षेत्रफल	48.77	49.70	51.64	50.70	54.27
14	आवंटित इकाइयों के विरुद्ध बीमार/ बन्द इकाइयों का प्रतिशत	क्षेत्रफल	11.67	19.30	12.91	13.24	14.44

स्रोत: 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिये भूमि उपयोग विवरणी।

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि:

- 2011-12 को समाप्त हुये पाँच वर्ष की अवधि में वर्ष के अन्त में भूमि का अवशेष एवं लेखापरीक्षा में निकाले गये अवशेष का अन्तर (-) 1151.52 एकड़ से 583.15 एकड़ के मध्य है जिसे प्रबन्धन द्वारा समाधानित नहीं किया गया है।
- आवंटित भूखण्डों का इकाइयों द्वारा उपयोग 2011-12 तक पिछले पाँच वर्षों में 48.77 प्रतिशत और 54.27 प्रतिशत के मध्य था। इससे यह इंगित होता है कि आवंटनी उद्यमिता केन्द्रित नहीं थे, कदाचित, वह भूखण्डों के सट्टे के व्यवसाय में रत थे जैसा कि प्रस्तर 2.2.24 में वर्णित है।
- भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 747.41 एकड़ एवं मूल्य ₹ 440.10 करोड़ था (मार्च 2012 के अन्त में), विवाद एवं अनधिकृत कब्जों के कारण आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं थे। भूखण्डवार कब्जे एवं विवाद के विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि वास्तव में भूमि विवादित नहीं थी बल्कि खण्डों द्वारा भूखण्ड की ट्रेसिंग उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जिसके लिये कार्यवाही की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को जो सूचना उपलब्ध कराई गयी है उससे यह स्पष्ट है कि भूखण्ड ट्रेसिंग उपलब्ध न कराने एवं विकसित भूखण्डों पर मंदिर तथा कब्रिस्तान बने होने के भी कारण उपलब्ध नहीं थे।

### औद्योगिक भूखण्ड

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में हमें विभिन्न अनियमितताएं मिलीं जिनकी चर्चा आगे प्रस्तारों में की गयी है:

**2.2.24** भूखण्ड दो वर्षों के अन्दर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आवंटित किये जाते हैं जिसमें विफल होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाना था। आपरेटिंग मैनुअल के अध्याय-6 में उद्धृत नीतियों के अनुसार कोई भी पट्टाधारी बिना कम्पनी के अनुमोदन के भूखण्ड का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। भूखण्ड का हस्तान्तरण, विरासत, आवंटी की मृत्यु की दशा में छोड़कर, हस्तान्तरण शुल्क जो कि पाँच से 15 प्रतिशत के मध्य होती है, वसूल करने के उपरान्त अनुमोदित किया जाता है। निदेशक मण्डल ने अपनी 258वीं बैठक (17 अक्टूबर 2007) में खाली पड़े भूखण्डों के हस्तान्तरण पर 1 अप्रैल 2008 से रोक इस आधार पर लगा दी थी कि खाली भूखण्डों का हस्तान्तरण सट्टा व्यापार को बढ़ावा देता है व औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। निदेशक मण्डल ने अपनी अगली बैठक (फरवरी 2010) में इस हस्तान्तरण पर लगी रोक को इस आधार पर समाप्त कर दिया कि कम्पनी को इससे हस्तान्तरण शुल्क प्राप्त होगा जिससे इसकी वित्तीय स्थिति सृष्टि होगी और उद्यमी आसानी से भूखण्ड प्राप्त करेंगे जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हमने ट्रानिका सिटी, सूरजपुर और लखनऊ क्षेत्रों के एक-एक औद्योगिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में पाया कि 131 खाली भूखण्डों का हस्तान्तरण किया गया जिनका विवरण निम्नलिखित है:

{k=	v{s} kfxd {k= ea I q; k	31 epl 2012 rd vtofv r Hq{k. M I q; k	{k=Oy clM+ ea	2007&08 I s 2011&12 ds e/; gLrWrfjr Hq{k. M	i jh{k. k fd; s x; s v{s} kfxd {k=	v{s} kfxd {k= ea Hq{k. M	v{s} kfxd {k= ea glrWrfjr Hq{k. M	gkfu * % djM+ e%k
ट्रानिका सिटी	3	2412	455.71	1677	ट्रानिका	2302	25	5.26
सूरजपुर	9	4466	2683.74	1940	साइट- 4	339	31	4.77
लखनऊ	22	1880	2970.65	277	एगो पार्क	294	75	1.27
:lx	34	8758	6110.10	2204		2933	131	11.30

स्रोत: भूखण्डवार रजिस्टर तथा भूखण्ड हस्तान्तरण रजिस्टर

- अगस्त 2008 से जनवरी 2010 के मध्य जबकि हस्तान्तरण पर रोक लगी थी, 21 भूखण्ड अनियमित रूप से हस्तान्तरित किये गये।
- पाँच वर्षों में 110 खाली भूखण्डों के निरस्तीकरण एवं उनके पुनः आवंटन के बजाय स्थानान्तरित कर दिये गये।

[kkyh Hq{k. Mka ds  
LFkkukWj. k dh  
vupfr nus ds  
QyLo: i ₹ 11-30  
djM+ ds vfrfj Dr  
jktLo I soifpr jgk  
x; k I kfk gh I Vvk  
%Li dhy%Vo% 0; ki kj  
ea of) gP A

हमने अवलोकित किया कि इन भूखण्डों की स्पष्ट माँग थी और; इसीलिए, विवेकपूर्ण विकल्प यह होता कि हस्तान्तरण अनुमन्य करने के बजाय, उपयोग न करने के कारण उन्हें रद्द कर दिया जाता और पुनः आवंटन किया गया होता। ऐसा करने से ₹ 11.30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता जिससे कम्पनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई होती। पुनश्च, इससे सट्टा व्यापार पर रोक लगती तथा उद्यमियों को आसानी से भूखण्ड भी प्राप्त हुए होते।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी भूखण्डों के सट्टा व्यापार को ध्यान में रखती है, परन्तु भूखण्डों के हस्तान्तरण को रोका नहीं जा सकता क्योंकि भूखण्डों का हस्तान्तरण उन आवंटियों के लिए एक सुविधा है जो आर्थिक समस्याओं के कारण या मृत्यु के कारण सरलता से बाहर निकलना चाहते हैं। हस्तान्तरण के माध्यम से, कम्पनी भूखण्डों के उपयोग और तीव्र औद्योगिकीकरण का बेहतर प्रबन्धन कर रही है। यदि कम्पनी हस्तान्तरण को रोकती है और आवंटित भूखण्डों को रद्द करती है तो इसके परिणाम में विवाद बढ़ेगा जिससे भूखण्ड पुनः आवंटन के लिये उपलब्ध नहीं होंगे। औद्योगिकीकरण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः, बिना बाहर निकलने का अवसर प्रदान किये रद्द करने का तर्क सही नहीं है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि यह

\* वर्तमान में प्रीमियम दर-₹ 29.49 करोड़ घटाया (आवंटन के समय प्राप्त प्रीमियम-₹ 14.64 करोड़ जोड़ा प्राप्त हस्तान्तरण शुल्क -₹ 3.55 करोड़)।

आवंटन पत्र की उन शर्तों के विरुद्ध है जिसके अनुसार यदि भूखण्ड दो वर्षों की अवधि में उपयोग नहीं होता है, आवंटन रद्द कर दिया जायेगा। पुनः समय वृद्धि की सुविधा आवंटी को उपलब्ध है जिसके माध्यम से वह दो वर्ष के बाद भी उसका उपयोग सुनिश्चित कर सकता है। अतः, अनुपयोग की स्थिति में, आवंटन रद्द कर दिया जाना चाहिये था जिससे कि उसका आवंटन समुचित उद्यमी को किया जा सके। पुनः भूखण्डों का हस्तान्तरण सट्टा (स्पेकुलेटिव) व्यापार को बढ़ावा देता है जिससे राज्य का औद्योगीकरण प्रभावित होता है।

### **दरों का पुनरीक्षण न करना**

**2.2.25** कम्पनी ने ट्रोनिका सिटी के नव विकसित सेक्टर ए-7 के पाकेट-1 में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिये ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की (14 जनवरी 2010) जो 31 मार्च 2010 तक प्रभावी थी एवं इसके उपरान्त, वहीं यह भी तय था कि यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा जिसके अनुसार प्रीमियम की दर अति द्रुतगामी, द्रुतगामी तथा मन्दगामी क्षेत्रों में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत बढ़ा कर नवीनीकृत किया जाना था।

प्रीमियम की दर 31 मार्च 2010 के उपरान्त पुनरीक्षित नहीं की गयी। परियोजना कार्यालय को 166 भूखण्डों के विज्ञापन (16 जनवरी 2010) के विरुद्ध सेक्टर ए-7 में आवंटन हेतु 423 आवेदन प्राप्त हुये। आवेदकों का साक्षात्कार 5 मार्च 2010 से 18 मार्च 2010 के मध्य सम्पन्न किया गया। जून 2010 में, 164 भूखण्ड ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किये गये। औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल के अध्याय-III के अनुसार, आवंटन के दिन प्रचलित प्रीमियम की दर मान्य थी। हमने पाया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 31 मार्च 2010 के बाद प्रीमियम की दर 10 प्रतिशत जोड़कर ₹ 6,600 प्रति वर्ग मीटर पर पुनरीक्षित नहीं की गयी थी। चूँकि आवंटियों से पुरानी प्रीमियम ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर से वसूली की गयी थी, इससे ₹ 3.29 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 6,000 प्रति वर्ग मीटर की दर 14 जनवरी 2010 को निर्धारित की गयी थी। कार्टिंग अनुभाग ने ₹ 6,000 की प्रीमियम को पुनः सुनिश्चित किया (15 सितम्बर 2010)। अतः कोई हानि नहीं हुई। उत्तर जनवरी 2010 के आदेश के अनुरूप नहीं था जिसमें यह सुविचारित था कि दर 31 मार्च 2010 के उपरान्त प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा।

### **औद्योगिक क्षेत्रों में विद्यालय/स्कूल के लिए बफर क्षेत्र का सृजन न करना**

**2.2.26** राज्य सरकार ने निर्देशित किया (अगस्त 2004) कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्कूल चलाने के लिये भूखण्ड आवंटित नहीं किया जायेगा और जहाँ पूर्व में ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है, स्कूल के चारों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाये और वहाँ पर बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिये केवल गैर-प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना की अनुमति प्रदान की जा सकती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने भी राज्य सरकार के आदेश का पालन करने हेतु निर्देशित किया (31 अगस्त 2005)।

हमने अवलोकित किया कि सरकार के निर्देश के बावजूद गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पहले से छः स्कूल\* चल रहे थे। कम्पनी ने बफर क्षेत्र सृजित करने की कोई कार्यवाही आठ साल से अधिक व्यतीत होने के बावजूद नहीं की।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कार्यवाही करने के लिये बिन्दु नोट कर लिया गया है। स्कूलों को स्थानान्तरित करने के लिये या स्कूलों के बाहर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सृजित करने के लिये कठोर नोटिसें दी जायेंगी। पीसीबी से स्कूल के चारों ओर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिये नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की जायेगी। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी स्कूल के चारों ओर बफर क्षेत्र बनाने के लिये जिम्मेदार थी जिसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

\* सिल्वर लाइन पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद; दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद; अभुदया स्कूल, साहिबाबाद; न्यू ऐरा स्कूल, शंकर स्कूल, बुलन्दशहर रोड-गाजियाबाद; रेयान इंटरनेशनल स्कूल, गाजियाबाद।

**बिना पट्टा विलेख सम्पन्न किये भूखण्डों के हस्तान्तरण के कारण राजकोष की हानि**

**2.2.27** कम्पनी द्वारा जारी किये गये आवंटन पत्रों के प्रावधान के अनुसार, आवंटियों को आवंटन के 90 दिन के अन्दर स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग से पट्टा विलेख कराना था।

हमने अवलोकित किया कि आवंटियों ने समयानुसार पट्टा विलेख नहीं करवाया। कम्पनी ने आवंटियों द्वारा इस शर्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित नहीं किया है। इस कारण राजकोष को, 3,490 में से जाँचे गये 515 मामलों में, ₹ 24.21 करोड़ की हानि हुई:

i VV/k foy/[k djk; s  
fcuk gLrKUrj .k dh  
vuqfir nus ds  
clkj .kj jktclsk cks  
₹ 5-40 djkm+dh  
gkfu gpbA vlxj  
i VV/k foy/[k u  
dj; s tkus ds  
clkj .k LVKEi M; wh  
ds ₹ 18-81 djkm+  
ol y ugha gq A

- 212 भूखण्ड (6 प्रतिशत) मूल आवंटियों द्वारा अनियमित रूप से हस्तान्तरित किये गये जिन्होंने पट्टा विलेख नहीं कराया था। इस कारण एक्सचेकर को ₹ 5.40 करोड़ की हानि हुई।
- 303 मामलों में (जिन्हे जनवरी 1970 से फरवरी 2012 के मध्य भूखण्ड आवंटित किये गये थे) मूल आवंटियों ने 90 दिन के व्यतीत हो जाने के बाद भी पट्टा विलेख नहीं किया था। इस कारण स्टाम्प ड्यूटी ₹ 18.81 करोड़ की वसूली नहीं हो पाई।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि टिप्पणी नोट कर ली गयी है एवं नये आवंटियों के लिये आवंटन के छः माह के अन्दर तथा नये हस्तान्तरणी को भूखण्ड हस्तान्तरण के 90 दिन के अन्दर पट्टा विलेख कराने के लिये सख्त कार्यवाही करने की धारणा बना ली गयी है।

**आवासीय भूखण्ड**

**ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन**

**2.2.28** उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) ने अपनी 16वीं निदेशक मण्डल की बैठक में निर्णय लिया (फरवरी 2009) कि ट्रोनिका सिटी और गाजियाबाद के लिये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के नियम, सूरजपुर क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण (जीएनए) के नियम एवं अन्य क्षेत्रों के लिये सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के नियम लागू होंगे।

औद्योगिक क्षेत्र के आपरेटिंग मैनुअल के पैरा 2.09 (VI) में प्रावधानित है कि अति द्रुतगामी और द्रुतगामी क्षेत्रों में स्थित आवासीय क्षेत्रों की भूमि के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु रिजर्व प्राइस का निर्धारण आवासीय दर में 2.5 से गुणा करके निर्धारित किया जायेगा।

कम्पनी ने सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र के साइट-सी विस्तार में तीन ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों (एचआरए 9,10,11) का आवंटन (जून 2011 से अगस्त 2011) रिजर्व प्राइस ₹ 7,850 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 7,950 से ₹ 7,965 प्रति वर्ग मीटर की दर से एवं दो ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (एचआरए 12,14) रिजर्व प्राइस ₹ 8,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध नवम्बर 2011 में ₹ 8,090 और ₹ 8,080 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया। हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के अतिरिक्त जीएनए के समस्त नियम अपनाये। जीएनए आवासीय भूखण्ड का दर का निर्धारण औद्योगिक भूमि<sup>&</sup> की दर पर 1.91 से 5.12 के फैक्टर का गुणा करके करता है।

कम्पनी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का मूल्य आवासीय मूल्य के फैक्टर 1 को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित करती है। कम्पनी ने लागत ₹ 7,827 के विरुद्ध रिजर्व प्राइस ₹ 7,850 निर्धारित किया एवं 8,000 का निर्धारण पिछले अधिकतम प्राप्त नीलामी दर ₹ 7,950 के विरुद्ध किया।

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड निजी बिल्डर्स को आवंटित किये गये जो प्लैट निर्माण एवं उनके विक्रय के व्यवसाय में लगे थे जो कि वाणिज्यिक क्रिया थी। आवासीय क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड का प्रीमियम, क्षेत्र के आवासीय भूखण्ड की लागत और अति द्रुतगामी/द्रुतगामी क्षेत्रों में 2.5 का फैक्टर लेते हुये निर्धारित किया जाना चाहिये था,

<sup>&</sup> कम्पनी के दिनांक 12 नवम्बर 2008 को हुई 264वीं निदेशक मण्डल में विचारित।



xij gkmf! x Hkf[k.Mka  
clsfjtOz ikbl clk  
fuEu fu/kkj.k ds  
clkj.k ₹ 110.10  
djkm+ds vfrfjDr  
jktLo l soipr  
jguk iMkA

जैसा कि कम्पनी द्वारा निर्धारित किया गया था। चूँकि विकसित भूमि की लागत ₹ 7,827 प्रति वर्ग मीटर थी, रिजर्व प्राइस ₹ 19,567.50 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जानी चाहिये थी। इस प्रकार, रिजर्व प्राइस के निम्न निर्धारण किये जाने के कारण बिल्डर्स ने निम्न दर दिये जिसके कारण कम्पनी को पाँच गुण हाउसिंग भूखण्डों के आवंटन में ₹ 110.10 करोड़\* की अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि जीएनए के सभी सेक्टर के लिये आवासीय दर और गुण हाउसिंग दर ₹ 10,500 थी और जीएनए के एफएआर 2.50 से समता रखने के लिये एफएआर 2.75 प्रदान किया गया क्योंकि सूरजपुर आवासीय ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि कम्पनी ने न तो जीएनए की व्यवस्था को पूर्णतः लागू किया न ही अपने स्वयं के वर्किंग मैनुअल के अनुरूप रिजर्व प्राइस निश्चित किया। भूखण्डों का आवंटन बिल्डर्स को प्लैटों के निर्माण और बिक्री के लिये किया गया। चूँकि बिल्डर की क्रिया वाणिज्यिक प्रकृति की है, उसी अनुरूप रिजर्व प्राइस का निर्धारण किया जाना चाहिये था।

### **ट्रोनिका सिटी में वाणिज्यिक एवं गुण हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन**

**2.2.29** निदेशक मण्डल ने निर्धारित किया (26 जून 1992) कि औद्योगिक क्षेत्र के आसपास में मौजूदा बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुये प्रीमियम की दर निर्धारित की जाय। आपरेटिंग मैनुअल के प्रस्तर 2.06 में भी प्रावधान है कि मौजूदा बाजार मूल्य पर भूखण्डों का विक्रय किया जाये।

कम्पनी ने 96,600 वर्ग मीटर के गुण हाउसिंग भूखण्ड और 76,640 वर्ग मीटर के वाणिज्यिक भूखण्ड ट्रोनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित (अगस्त 2006 और मार्च 2007) किये। प्रबन्ध निदेशक ने भूमि के आवंटन में निम्नलिखित अनियमिततायें उजागर की:

- प्राप्त हुई बिड्स की जाँच एक समिति द्वारा की गई और सीई को अनुमोदन के लिये भेजी गयीं। एमडी और जेएमडी के अनुमोदन प्राप्त नहीं किये गये क्योंकि तत्कालीन एमडी द्वारा 6 अगस्त के आदेश के तहत सीई को असीमित अधिकार प्रत्यायोजित किये गये थे। सीई को असीमित अधिकार के प्रत्यायोजन का आदेश अनियमित था।
- विज्ञापन सम्बन्धी मीडिया योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं कराई गई थी।
- भूखण्डों का आवंटन व्यापक स्तर पर विज्ञापित नहीं किया गया क्योंकि विज्ञापन केवल फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर, जिनका सीमित क्षेत्र था, में दिया गया।
- मुख्यालय द्वारा गुण हाउसिंग भूखण्ड के बाजार मूल्य ₹ 12,000 से ₹ 13,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 3,200 से ₹ 4,475 प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक भूखण्ड के बाजार मूल्य ₹ 15,000 प्रति वर्ग मीटर तक के विरुद्ध ₹ 5,500 से ₹ 11,500 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया।
- नीलामी दस्तावेजों में आवेदक की वाणिज्यिक और तकनीकी अनुभव से सम्बन्धित शर्त नहीं लगाई गयी थी।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, एमडी ने सीबीआई द्वारा जाँच की सिफारिश की। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जाँच शाखा (एसआईटी) के माध्यम से जाँच शुरू की (22 जून 2007) जो अभी प्रगति में थी (दिसम्बर 2012)। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मुख्यालय समिति ने निविदा आमंत्रित की, आवंटियों का चयन किया आवंटियों का चयन पत्र परियोजना कार्यालय को भेज दिया। तदनुसूत, परियोजना कार्यालय ने अक्टूबर 2006 से मार्च 2007 की

\* भूखण्ड सं. एचआरए-9: ₹ 13.83 करोड़, एचआरए-10: ₹ 40.80 करोड़, एचआरए 11: ₹ 15.91 करोड़, एचआरए-12: ₹ 26.26 करोड़, एवं एचआरए-14: ₹ 13.30 करोड़।

अवधि में आठ ग्रुप हाउसिंग और 34 वाणिज्यिक भूखण्ड आवंटित किये। अभिलेखों की परीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

- आवंटियों द्वारा जमा की गयी मूल बिड्स, रिजर्व प्राइस निश्चित करने सम्बन्धी अभिलेख और भूखण्डों के विक्रय के लिये मीडिया योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- आपरेटिंग मैनुअल के प्रस्तर 2.06 और निदेशक मण्डल के अनुमोदन (26 जून 1992) के विरुद्ध प्रचलित बाजार दर और सर्किल दर से कम पर भूखण्डों का आवंटन किया गया।
- प्रकरण निदेशक मण्डल की बैठक (27 मई 2009) में प्रस्तुत किया गया। मण्डल को बताया गया कि भूखण्डों का आवंटन क्षेत्रीय समाचार पत्रों, जिनका विस्तार क्षेत्र सीमित था, में दिये गये विज्ञापन के आधार पर किया गया था और भूखण्डों का आवंटन ग्रुप हाउसिंग के सम्बन्ध में ₹ 12,000 से ₹ 13,000 प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित बाजार दर के विरुद्ध ₹ 3,200 से ₹ 4,475 प्रति वर्ग मीटर और वाणिज्यिक के सम्बन्ध में ₹ 15,000 प्रति वर्ग मीटर के विरुद्ध ₹ 5,500 से ₹ 11,500 प्रति वर्ग मीटर की निम्न दर पर किया गया। भूखण्डों के निम्न दर पर आवंटन के कारण कम्पनी को बाजार दर पर ₹ 152.29 करोड़ और सर्किल दर पर ₹ 24.50 करोड़ के अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई जैसा कि i f j f k'V&14 में वर्णित है।
- वर्किंग मैनुअल के प्रस्तर 2.16 में प्रावधान है कि यदि भूखण्ड क्षेत्र 10 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, प्रकरण आरएम द्वारा निर्णीत किया जायेगा, अन्यथा, अनुमोदन के लिये मुख्यालय को संदर्भित किया जायेगा। भूखण्डों की ट्रेसिंग अन्तिम किये बगैर आवंटन कर दिया गया जिसके कारण आवंटन के लिये मुख्यालय द्वारा अनुमोदित क्षेत्र से 41,134 वर्ग मीटर अधिक का आवंटन किया गया। 14 मामलों में, आधिक्य क्षेत्र 10 प्रतिशत से अधिक था जिसका अन्तिमीकरण मुख्यालय के अनुमोदन के बगैर परियोजना कार्यालय द्वारा स्वयं कर दिया गया।
- निर्माण योजना और मानचित्र केवल आठ मामलों में अनुमोदित किये गये थे और अन्य आवंटियों द्वारा इन दस्तावेजों को मई 2012 तक अनुमोदन के लिये जमा नहीं किया गया था।
- जनवरी 2012 के अन्त में, 34 आवंटियों के विरुद्ध ₹ 43.30 करोड़ प्रीमियम और ₹ 29.31 करोड़ ब्याज संचित था परन्तु आवंटन पत्र की शर्तों के अनुरूप भूखण्डों के निरस्तीकरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी की सम्बन्धित दर को दृष्टिगत रखते हुये रिजर्व प्राइस के विरुद्ध अधिकतम निविदादाता को भूखण्ड आवंटित किया गया था। ग्रुप हाउसिंग के बाजार मूल्य ₹ 10,000 एवं वाणिज्यिक के बाजार मूल्य ₹ 12,000 का कोई आधार फाइलों में उपलब्ध नहीं था। यह तथ्य है कि 44 आवंटनों में एसआईटी जाँच ने ट्रोनिका सिटी के विकास, संवर्धन, आवंटन और हैबिटेसन को प्रभावित किया है और ₹ 7,000 रिजर्व प्राइस निश्चित करने के बाद भी किसी ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का 2007 से आवंटन नहीं हुआ है जो बाजार मूल्य की मान्यता पर हानि की संगणना पर बड़ा सवाल लगाता है। आगे बताया गया कि 6 अगस्त 2005 के आदेश द्वारा क्लास-I अधिकारियों को कार्य विभाजित किये गये थे। महाप्रबन्धक (वि.) के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण जीएम की शक्ति सीई को प्रदान कर दी गयी।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि रिजर्व प्राइस बाजार मूल्य से कम निर्धारित किया गया था जिसका ऑकलन कम्पनी द्वारा स्वयं किया गया था। आगे, शक्ति प्रत्यायोजन के आदेश (6 अगस्त 2005) में सभी अधिकारियों के रिपोर्टिंग अधिकारी का निर्धारण किया गया था। भूखण्डों का आवंटन जेएमडी/एमडी के अनुमोदन के बगैर किया गया था जो कि रिपोर्टिंग अधिकारी थे। जेएमडी द्वारा की गयी जाँच में सीई को शक्ति के

fuEu njk i j  
vko&u ds dkj .k  
dEi uh dks ₹ 152-29  
djkm+dh vfrfjDr  
jktLo dh gkfu  
gpbA ; g gkfu  
l fclz njk i j  
₹ 24-50 djkm+  
vxf.kr gpbA

उल्लंघन, प्रक्रियात्मक अनियमितता और पर्यवेक्षणीय कमी के लिये उत्तरदायी ठहराया गया (6 अगस्त 2009) है और उनकी दो वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गयी थी तथा उसकी निन्दा की गयी थी। सीई के विरुद्ध जाँच पुनः शुरू की गई है (6 जनवरी 2012) और एएमडी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके विरुद्ध सीई द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में वाद प्रस्तुत किया गया है।

### आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया, जो संचालन की कुशलता, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं नियमों तथा विधियों के पालन हेतु औचित्यपूर्ण सुनिश्चितता के लिए अपनायी जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं/प्रणाली की लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

#### अपर्याप्त श्रमशक्ति के कारण आंतरिक नियंत्रण का अभाव

**2.2.30** कम्पनी ने प्रारम्भ से कार्य की मात्रा के सन्दर्भ में श्रमशक्ति की आवश्यकता का विश्लेषण नहीं किया। राज्य सरकार ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 801 पद अनुमोदित (11 जनवरी 2002)\* किये फिर आरक्षित श्रेणी के बैकलाग को भरने के लिये 514 पद अस्थायी रूप से अनुमोदित किये। श्रम शक्ति की वर्ष 2011-12 के अन्त में अनुमोदित क्षमता के विरुद्ध कार्यशील श्रमशक्ति का विवरण निम्न प्रकार था:

oxl	Lohdr in			dy vupkfnr 'kDr	kMkrfod 'kDr	fjDr in
	2002	2007 rFkk 2008 ea	2011 ea			
अ	79	5	-	84	53	31
ब	81	2	-	83	50	33
स	444	2	95	541	421	120
द	197	-	410	607	443	164
कुल	801	9	505	1315	967	348

हमने निम्न तथ्य अवलोकित किये:

- जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है, 348 कर्मचारियों की कमी थी। क्लास-ए के 31 एवं क्लास-बी के 33 अधिकारियों की कमी थी जो निर्देशन एवं नियंत्रण के लिये उत्तरदायी थे, परिणामस्वरूप नियंत्रण की कमी थी। आगे, 284 निम्न कर्मचारियों की कमी के कारण निष्पादन स्तर प्रभावित हुआ और कार्य देरी से पूरा हुआ जिसका परिणाम अपरिहार्य व्यय एवं हानि के रूप में हुआ।
- कम्पनी ने 35 कर्मचारियों की स्थिर वेतन आधार पर नियुक्ति (1 अक्टूबर 2011 से 31 मार्च 2012) की जिसके लिए निदेशक मण्डल/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
- बैकलाग को समाप्त करने के लिये अनुमोदित पदों के विरुद्ध नियुक्ति अपुष्ट दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई। हमने फरवरी 2010 से जनवरी 2011<sup>&</sup> की लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में ऐसे आठ मामलों को प्रतिवेदित किया था और नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच के लिये प्रबन्धन को सिफारिश की थी। प्रबन्धन ने, तथापि, लेखापरीक्षा की सिफारिश पर कोई कार्यवाही नहीं की। राज्य सरकार ने सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया की जाँच करने के लिये कम्पनी को निर्देश (10 मई 2012) दिया और आयुक्त, कानपुर को मामले की जाँच करने के लिये नियुक्त किया। कम्पनी द्वारा की गई नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख सील कर दिये गये हैं। मामले में भावी प्रगति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया था (नवम्बर 2012)।

#### पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग नियंत्रण की कमी

**2.2.31** वर्किंग मैनुअल के अध्याय-16 के अनुसार, सीई निर्माण खण्डों (सीडी)/विद्युत खण्डों (ईडी) का वार्षिक निरीक्षण करेगा। हमने पाया कि सीई द्वारा सीडी/ईडी का

\* कम्पनी के निगमन के 40 वर्ष बाद पत्र संख्या 4477(1)/77-4-2001 दिनांक 11 जनवरी 2002, 3396/88-2007-312 एन/07 दिनांक 14 नवम्बर 2007, 4408 (i)/86-08 दिनांक 21 फरवरी 2008, 3576/86-11-338/2010 दिनांक 1 अप्रैल 2011।

& लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रबन्धन को पत्र संख्या सी.ए.डब्ल्यू/डीएमयू/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/14 दिनांक 14 अप्रैल 2011 को निर्गत।

वार्षिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, एमडी, एफसी एवं सीएमआईए द्वारा प्रबन्ध निदेशक के आदेश (25 जून 2010) के बावजूद अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि एमडी और एफडी द्वारा प्रति माह मॉनिटरिंग की जाती है और अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र कार्यालयों का दौरा करते हैं परन्तु निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किया गया है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि निरीक्षण की स्थापित प्रक्रिया को अभिलेखित नहीं किया गया है, इसीलिए, यह व्यवस्था के अनुपालन के सम्बन्ध में विश्वसनीयता प्रदान नहीं करती है।

### **वित्तीय नियंत्रण में कमियाँ**

**2.2.32** निम्नलिखित कमियाँ वित्तीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत देती हैं:

- कम्पनी ने केवल 2008-09 तक वार्षिक लेखे को अन्तिमीकृत किया था एवं वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लेखे बकाये में थे।
- आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुसार प्रत्येक करदाता को यदि उसकी आय ₹ 10,000 या अधिक है तो अधिनियम की धारा 208 से 219 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष की प्राक्कलित आय पर निर्धारित दर से चार किस्तों\* में अग्रिम कर चुकता करना होता है। अग्रिम कर का न्यूनतम 90 प्रतिशत जमा न करने या कमी होने पर निर्धारित स्लैब के अनुसार धारा 234बी एवं 234सी के प्रावधानों के अनुसार एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अलग से ब्याज देय होगा। अतः ब्याज के प्रभाव से बचने के लिये कर योग्य आय का समुचित प्राक्कलन करना आवश्यक है।

हमने पाया कि चूँकि कम्पनी ने मासिक/त्रैमासिक लेखे बनाने की कोई व्यवस्था नहीं विकसित की थी, आयकर रिटर्न समय से जमा करने के लिये आय का प्राक्कलन करने में विफल रही। वर्ष 2007-08 से 2010-11 की अवधि के मध्य प्राक्कलित आय वास्तविक आय से कम थी; इसलिए, कम्पनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234(बी) एवं (सी) के अन्तर्गत ₹ 5.45 करोड़\* का दण्ड ब्याज का भुगतान किया। वर्ष 2007-08 में दाण्डिक ब्याज लगाये जाने के बावजूद प्रबन्धन अगले वर्षों में सुधारात्मक कार्यवाही करने में विफल रहा।

### **प्रबन्ध सूचना प्रणाली का अभाव**

**2.2.33** कम्पनी ने वर्ष 2000 में साफ्टवेयर माड्यूल पैकेज विकसित करना प्रारम्भ किया। साफ्टवेयर आपरेशन ₹ 2.15 करोड़ व्यय करने के बावजूद सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया जैसे आनलाइन भूखण्डों का आवंटन, निरस्तीकरण, हस्तान्तरण, रेस्टोरेशन, भूमि लेखांकन, आर्थिक चिट्ठा, कार्मिक सूचना प्रणाली, औद्योगिक/आवासीय भूखण्ड आवंटन की लाटरी व्यवस्था, फाइल ट्रेकिंग प्रणाली, लोक परिवाद प्रणाली, विधिक सूचना प्रणाली, प्रबन्धन सूचना प्रणाली, भूमि अधिग्रहण व्यवस्था, भूमि कार्टिंग प्रणाली एवं नेट बैंकिंग, हिन्दी एवं अंग्रेजी में वेबसाइट का जारी करना, प्रयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं हार्डवेयर तथा श्रमशक्ति की आवश्यकता का निर्धारण।

नियंत्रण अभिलेख जैसे आवंटन रजिस्टर, पार्टी लेजर, पट्टा विलेख रजिस्टर, भूखण्डवार रजिस्टर, हस्तांतरण रजिस्टर, विधिक नोटिस रजिस्टर आदि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियमित रूप से पूर्ण एवं अद्यतन नहीं कराये गये थे। इसी तरह, कार्य रजिस्टर, माप पुस्तिका, देय एवं प्राप्ति रजिस्टर, अग्रिम रजिस्टर आदि सीडी/ईडी में अद्यतन नहीं बनाये गये थे। इसने आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबन्धन सूचना प्रणाली को कमजोर बना दिया।

\* 15 जून या पूर्व में (अग्रिम कर का 15 प्रतिशत से कम नहीं) 15 सितम्बर (पूर्व में किये भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का 45 प्रतिशत), 15 दिसम्बर (पूर्व के भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का 75 प्रतिशत), वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक (पूर्व के भुगतान को घटाते हुये अग्रिम कर का सम्पूर्ण धनराशि)।

\* वर्ष 2007-08: ₹ 1.00 लाख, 2008-09: ₹ 71.47 लाख, 2009-10: ₹ 387.38 लाख एवं 2010-11: ₹ 76.15 लाख।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि साफ्टवेयर माड्यूल का प्रयोग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से किया जा रहा है और सीडी/ई-मेल के माध्यम से डाटा हस्तान्तरित किया जा रहा था। विकास एवं विपणन नीतियों में परिवर्तन के कारण नया साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और अभिलेखों को अद्यतन बनाने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं। हम उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि इकाईवार जो विवरण प्रस्तुत किया गया उससे स्पष्ट है कि हार्डवेयर की अनुपलब्धता एवं ज्ञान की कमी के कारण साफ्टवेयर का उपयोग नहीं हो सका।

आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण फ़ाडुलेन्ट भुगतान किया गया जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

निर्माण खण्ड-X, कानपुर ने औद्योगिक क्षेत्र चकरी- II में सड़क के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिये 12 फरवरी 2009 को अनुमोदित जाब संख्या 309 के विरुद्ध दो अनुबन्ध\* सम्पादित (28 मार्च 2009) किये। हमें निम्नलिखित अनियमिततायें अवलोकित हुईं:

- यद्यपि प्राक्कलन अनुमोदित नहीं था, अल्पकालीन निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित (10 फरवरी 2009) की गयीं।
- ठेकेदारों की निविदायें स्वीकार कर ली गईं यद्यपि निविदायें ठेकेदारों द्वारा पूर्ण एवं हस्ताक्षरित नहीं थीं।
- कार्य प्रदान कर दिया गया एवं अनुबन्ध संख्या 81 के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ एवं अनुबन्ध संख्या 82 के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ का भुगतान किया गया। यह भुगतान जाली मापन के विरुद्ध किया गया क्योंकि सम्बन्धित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में ही कराया जा चुका था। अतः ₹ 2.12 करोड़ का दुर्विनियोजन किया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विभागीय जाँच की गयी है तथा एफआईआर दर्ज करायी जा चुकी है। कम्पनी द्वारा उठायी गयी हानि ₹ 2.12 करोड़ एवं ₹ 45.76 लाख ब्याज की हानि को प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख उत्तर में नहीं है।

**2.2.34** हमने अवलोकित किया कि किसी भी अनुबन्ध में अधिशासी अभियन्ता स्तर पर गुणवत्ता जाँच के साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यह डब्ल्यूएमडीएमआईए के प्रस्तर 15.1.1 का उल्लंघन था जिसके अनुसार ₹ 50 लाख तक के कार्य की गुणवत्ता जाँच ईई और उसके स्तर द्वारा की जानी चाहिये थी।

### आंतरिक लेखापरीक्षा

**2.2.35** कम्पनी की स्वयं का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म द्वारा सम्पन्न की जाती है। हमने 46 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच की जिसमें 713 लेखापरीक्षा बिन्दु थे। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित लेखापरीक्षा बिन्दु हैं:

- कम्पनी की लेखापरीक्षा बकाये में है क्योंकि यह सिर्फ वर्ष 2008-09 तक सम्पन्न हुई थी। आंतरिक लेखापरीक्षक अपना प्रतिवेदन कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी) के बजाय वित्त नियंत्रक को सौंपते हैं।
- लेखापरीक्षा बिन्दुओं पर कोई अनुश्रवण एवं सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।
- आंतरिक लेखापरीक्षा के बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की जाँच हेतु कम्पनी द्वारा कोई व्यवस्था विकसित नहीं की गयी है। कमियों पर बेहतर अनुश्रवण एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निर्गत बिन्दु, निपटायें गये बिन्दु एवं बकाया बिन्दुओं का कोई नियंत्रण अभिलेख नहीं बनाया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा की जाती है जो वर्ष 2009-10 तक पूर्ण है। प्रतिवेदन एमडी को प्रस्तुत करने के लिये

\* कार्तिक इण्टरप्रारसेस से 81/सीई/2008-09 एवं 82/सीई/2008-09।

लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। अभिलेखों के अद्यतन बनाने हेतु निर्देश जारी कर दिया गया है जिसे कम्प्यूटरीकरण के बाद आवश्यक नहीं समझा गया था। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षकों द्वारा अनुपालनों का सत्यापन किया जाना चाहिये था।

### fu'd'k

dEi uh dh fu'iknu y[kkijh{k l smtkxj gq/k fd%

- foyEc ds dkj.k Hkie vf/kxg.k ds y{; i klr ea deh jghA Hkie ds Rofjr vf/kxg.k grrq l ksyf k; e dk Hkqrku vl k/kj.k njh ds dkj.k fuj Fkd fl ) gq/kA
- vf/kxg.k "ky'd , oa ep/kots dk vf/kd Hkqrku] /ku dk vo#) gkuk] vf/kxghr Hkie dk dEi uh ds uke dlo\$ UI MhM u djkus ftl l s Hkie ds n#i ; kx gks l dus t\$ skeys Hkh FkA
- fodkl dk; ka ea uhykeh i f0; k dk vuqkyu u dju\$ Bdnkjka dks vns /kujf k dk Hkqrku] foyEc l s dk; Z l Ei knu] vuqll/k i nku djus ea Bdnkjka dks vuqpr yHk ds ekeyA
- vkoV; ka }kjk m| kx LFkkr djus ds ctk; [kkyh@mi ; kx u fd; s x; s Hk[k.Mka ds gLrkUrj.k us jkT; ea vks] k\$xd fodkl dks i Hkfor fd; kA
- fj toZ i kbl ds de fu/kkj.k v\$ i hfe; e nj dk i qjhf{k.k u djus ds dkj.k vrfjDr jktLo i klr djus l sofpr jgukA
- mPp vf/kdkfj; ka }kjk i ; b{k.k , oa vuqlo.k ds vHko ds dkj.k vkrfjd fu; a.k iz kkyh ea deh Fkh , oa y[kkijh{k.k vi ; klr FkA

### l Lrf; k

dEi uh dks pkfg; s fd%

- Hkie vf/kxg.k ds y{; ka dks i klr djus dk iz kl djs , oa l ksyf k; e ds Hkqrku l s cpus ds fy; s vfuok; Z vf/kxg.k ds fo#) Hkie vf/kxg.k tc vko ; d gks rHkh dj\$
- vf/kd Hkqrku l s cpus grrq vf/kxg.k 0; ; , oa ep/kots dk "k) vkdyu o Hkqrku djs , oa l n0 futh m| fe; ka l s vuqll/k djA jkt dskh; jktLo ea of) rFk Hkie dks n#i ; kx gkus dh l Ekkouk l s cpus grrq yht@dlo\$ UI MhM djkus ea "k?kark djA fu/kkj.k , oa Hkqrku okLrfod : i l s djs ftl l s fd vf/kd Hkqrku ij jkd yxs rFk vko ; d : i l s futh m| fe; ka l s vuqll/k djA bl s pkfg; s fd i Vvk foy\$ k l Ei lu djkus dh i f0; k rst djs ftl l s fd l jdkjh vk; ea of) gks , oa Hkie dk n#i ; kx u gks l d\$
- i fr; kxh nj i klr djus grrq i kjn kiz o i frLi /kRed fufonk iz kkyh cuk; \$
- , d l q+foi .ku uhr cuk; s , oa vi uh vuqlo.k iz kkyh dks l q+ djs ftl l s fd fodfl r Hk[k.M vkoVr gks l ds , oa fu/kkj.r l e; l hek ea mudk mi ; kx gks l d\$
- nj fu/kkj.k , oa i qjhf{k.k uhr o funskd e.My ds fu.kz ka dk dBkjrk l s i kyu dj\$ , oa
- vkrfjd fu; a.k iz kkyh dks l q+ djA